

छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही



(अधिकृत विवरण)



षष्ठम् विधान सभा

द्वितीय सत्र

गुरुवार, दिनांक 08 फरवरी, 2024

(माघ 19, शक सम्वत् 1945)

[अंक 04]

छत्तीसगढ़ विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 08 फरवरी, 2024

(माघ 19, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, पूरा विपक्ष खाली है, कोई नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, दयनीय स्थिति है। ये लोग राज परिवार के स्वागत में गए हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- 1 पर 10 भारी है।

श्री धर्मजीत सिंह :- राजपरिवार के स्वागत में नहीं, कुमार गौरव सरीखे फ्लाफ हीरो के स्वागत में गए हैं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय राजेश मूणत जी।

महादेव सट्टा ऐप व अन्य सट्टा ऐप के प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

[गृह]

1. (*क्र. 338) श्री राजेश मूणत : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जनवरी, 2020 से नवम्बर, 2023 तक महादेव सट्टा ऐप व अन्य सट्टा ऐप के संबंध में किसके द्वारा, कब-कब व क्या-क्या शिकायत किससे की गई है? शिकायतवार जानकारी दें? इन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं की गई है तो क्यों? (ख) क्या यह सही है कि इस संबंध में विभिन्न थानों में शिकायत/एफआईआर भी दर्ज की गई है? यदि हाँ, तो किन-किन थानों में, किनके द्वारा, कब व किनके विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई है एवं इस पर कब व क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या कंडिका "क" अनुसार ऐप के संबंध में केन्द्रीय एजेंसी ईडी के द्वारा कार्यवाही की गई है तथा क्या चालान या जानकारी राज्य शासन को उपलब्ध कराई गई ?यदि हाँ, तो इसमें किस-किस को, किन-किन कारणों से आरोपित किया गया है? आरोपीवार जानकारी दें ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य में महादेव सट्टा ऐप की कुल 28 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अन्य सट्टा ऐप में शिकायत निरंक है। शिकायतों की

विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र “अ” अनुसार है।(ख) जी हॉ। कुल 90 अपराध पंजीबद्ध किये गये हैं, की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र “ब” एवं प्रपत्र “स” अनुसार है। (ग) ईडी केन्द्रीय जाँच एजेन्सी है। जिस पर राज्य शासन का नियंत्रण नहीं होने से जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपके प्रति और विधान सभा के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। एक महत्वपूर्ण विषय पर आज मेरा प्रश्न लगा है, वह विषय पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है। इसकी चपेट में हजारों नौजवान हैं और महादेव के नाम पर पूरे प्रदेश के अंदर एक गोरख धंधा चला, जिसमें पूरे प्रदेश और देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के लोग उसमें *Involvement* हैं। इसके अंदर एक बहुत बड़ी एजेंसी E.D. जांच कर रही है और इसमें कई लोग *Involvement* हैं, उनके बयान भी हो चुके हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री ऊर्जावान हैं, वे भी युवा मोर्चे से आये हैं, मैं भी युवा मोर्चे से आया हूँ। वह भी जनता की लड़ाई लड़कर आये हैं, मैं भी जनता की लड़ाई लड़कर आया हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- युवा में ही तो सट्टा ज्यादा चल रहा है।

श्री राजेश मूणत :- इसीलिए तो मैंने वही विषय लाया है, जो संवेदनशील है। सिर्फ एक ही विधान सभा भिलाई नगर से, वैशाली नगर विधान सभा से 20 हजार नौजवान इस महादेव सट्टा एप में *Involvement* हैं। यही नहीं, दुबई में जाकर जिसका रेकेट चल रहा है, उसका संचालन करने वाले कौन लोग हैं, उसके पीछे किन-किन की भूमिका है? मैं सीधा स्पेशिफिक प्रश्न पर आता हूँ। यह सरकार के संज्ञान में कब आया? आपने करीब 90 केस दर्ज किये, मैंने पूरे केस की स्टडी की है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मैं ऐसे-ऐसे तथ्य से आपको अवगत कराऊंगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जिन पर सरकार की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिस सरकार को व्यवस्था के तहत चलने की आवश्यकता है, पांच साल तक जो पूर्व सरकार थी, उस सरकार ने गिरोहबंदी के साथ योजनाबद्ध तरीके से नये-नये आयाम खोजकर इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को ठगने और गलत काम में लगाने का काम किया। आपने 90 केस दर्ज किये, 90 केस में से आपने कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की? मैंने जो कार्यवाही पढ़ी है, आपने सट्टा एप के तहत कह दिया कि उनके खिलाफ जो धारा लगी थी, वह थाना में *Bailable* थी, इसलिए *Bail* दे दिया। जिनके बयान हुए हैं, उन बयान के आधार पर बैंक से करोड़ों का *Transaction* हुआ। बैंक के किन-किन अधिकारी-कर्मचारी ने या सरकार ने संज्ञान में लेकर क्या-क्या काम किया? यह मेरा स्पेशिफिक प्रश्न है।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह प्रश्न सचमुच बहुत लाजिमी है और उनकी चिन्ता भी वाजिब है। इस पूरे विषय पर जो उनकी विशेष चिन्ता है कि बहुत सारे नौजवान राह से भटके हुए हैं, जिनको अपने जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना था, उन्होंने इस महादेव सट्टा एप में फंसकर अपनी बर्बादी का रास्ता चुन लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं आपको यह बात बताना चाहता हूँ कि इस विषय पर कुल 90 एफ.आई.आर. दर्ज हुए हैं। सन् 2022 से इस विषय में एफ.आई.आर. दर्ज हो रहे हैं। रायपुर में 36 प्रकरण पंजीबद्ध है, दुर्ग में 23 प्रकरण पंजीबद्ध है, बिलासपुर में 2 प्रकरण पंजीबद्ध है, जांजगीर में 2 प्रकरण पंजीबद्ध है, सूरजपुर में भी 4 प्रकरण पंजीबद्ध है। इस विषय पर महादेव एप के सन्दर्भ में ही विशेष रूप से 67 प्रकरण पंजीबद्ध है, जिनमें 54 प्रकरण पर चालान प्रस्तुत हो गया है। साथ ही साथ जो अन्य एप है, उनके सन्दर्भ में भी एफ.आई.आर. दर्ज हुए हैं और उसमें काम चल रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दुर्ग के सन्दर्भ में जानना चाहा है कि दुर्ग में कुछ लोग हैं, उन्होंने ही उसको संचालित कर रखा है। पूरा छत्तीसगढ़ जानता है, बल्कि इस विषय को पूरा भारत ही जानता है कि दुर्ग में हमारे ही छत्तीसगढ़ के कुछ लोग हैं, उन्होंने ही इसको संचालित कर रखा है। इस विषय पर सरकार की ओर से क्या कार्रवाई हुई है, मैं उस पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। लुकाऊट सर्कुलर जारी हुआ है। इनके लिए रेड कार्नर नोटिस भी जारी हुआ है। प्रत्यर्पण की कार्यवाही भी चल रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रायपुर में 507 बैंक खाता फ्रीज होने की प्रक्रिया में है, जिसमें 221 खाते फ्रीज हुए हैं और उसमें 01 करोड़ 16 लाख 71 हजार 696 रुपये की राशि भी फ्रीज हुई है। इसके अलावा और भी विभिन्न स्थानों पर, जैसे दुर्ग में 436 बैंक खाता, सूरजपुर में 38 बैंक खाता, जांजगीर में 5 बैंक खाता फ्रीज होने की प्रक्रिया जारी है। इस विषय पर कार्यवाहियां भी हुई हैं। जो सरकारी महकमें के लोग थे, जब उनके विषय में बात आई, उसमें स्पष्ट जानकारी मिली थी। enforcement directorate की जांच के बाद ऐसे लोगों को जेल में भेजा गया था, जब यह विषय विभाग के ध्यान में आया था, तो उनको निलंबित किया गया है, बर्खास्त किया गया है। अभी 2 जेल में है, यह कार्यवाही की गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से जो चर्चा का विषय है, जिनके सन्दर्भ में माननीय सदस्य कह रहे थे, उसके सन्दर्भ में भी जैसे ही यह विषय आधिकारिक तौर पर या प्रमाणिकता के साथ विभाग के संज्ञान में आयेगा, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वह भी युवा मोर्चा से हैं, मैं भी युवा मोर्चा से हूँ। जो आग उनके दिल में है, वह आग मेरे दिल में है। मैं बिल्कुल उनको यह कहना चाहता कि यह पीर भी पर्वत की हो गई है, इसको निःसंदेह पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) सौ प्रतिशत, जैसे ही यह विषय सामने आयेगा, विष्णुदेव सरकार को इस पर फैसला लेने में एक घंटा भी नहीं लगेगा, एक घंटे के अंदर कार्यवाही की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय :- महादेव और गंगा का बहुत सम्बन्ध है। गंगा, महादेव की जटा से ही निकली है। जब आप महादेव एप पर जवाब दे रहे हो तो उस गंगा को याद किए हो, उस पर कोई प्रश्न करना चाहेंगे।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगा यहीं से निकलनी है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर प्रश्न है और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने सामान्य प्रक्रिया में एक सरकारी प्रश्न का सरकारी उत्तर दे दिया है। मैंने स्पेसीफिक प्रश्न पूछा है कि महादेव एप के ऊपर 90 प्रकरण दर्ज किए हैं, उसमें बयान भी हुए हैं। मैं आपको आपके थाने का एक बयान पढ़कर सुना देता हूँ। महादेव एप के अंदर जिस व्यक्ति ने बयान दिया, उसका नाम रविकांत है। उसने अपने बयान में कहा है कि मैं फलाना-फलाना बेरोजगार था, मैं घूम रहा था, मेरा कहीं कुछ नहीं था, मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि चल भाई तेरा एकाउंट खुलवा देता हूँ। मैं उसके साथ चला गया। मैंने बैंक में अपना खाता खुलवा लिया। मेरे बैंक के खाते में मेरा कोई पैसा नहीं था, उसमें करोड़ों रुपये का ट्रांजेक्शन हो गया। मैं खाता बंद करने गया तो मुझे धमकाया। जब पुलिस वाले पकड़े, बातचीत आई तो मैं वहां गया, जब मैं बैंक में गया तो उसने फलाने-फलाने का नाम लिया। वह बार-बार निवेदन कर रहा है कि मेरा खाता नहीं है, मेरे एकाउंट में लेन-देन कैसे किया जा रहा है, उसके बाद भी किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, यह एक नहीं है, ऐसे हजारों प्रकरण हैं। सामान्य रूप से सब लोग जानते हैं कि एक बैंक में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की लेन-देन होती है। बैंक वाला पूछता है कि आपके एकाउंट से पैसा लूं या नहीं लूं? यह आपका पैसा है या नहीं है? अगर वह करोड़ों की लेन-देन हुई हो और आपके संज्ञान में आया हो, पुलिस वाले बैंक में जाकर पूछते हैं, संज्ञान में आने का विषय कहां से होता है? जब शासन के संज्ञान में आ गया, पुलिस विभाग के संज्ञान में आ गया, आपने एफ.आई.आर. दर्ज कर दी हो, बैंक में जाकर पूछताछ कर रहे हैं, बैंक वाला पुलिस वालों के सामने उनको धमका रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- अब प्रश्न में आ जाइये।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, अब मूल प्रश्न में आ ही गया हूँ और यही तो मेरा पूछना है। माननीय मंत्री जी यदि कह रहे हैं कि संज्ञान में नहीं है तो पुलिस वाला बैंक में उसके साथ कैसे गया? आगे छोटे-छोटे प्रश्न और हैं।

श्री विजय शर्मा :- जो प्रावधान अधिनियम 1867 के अंतर्गत उपलब्ध थे, उसके तहत ऑनलाईन गेमिंग के लिये, बैटिंग के लिये कोई प्रावधान नहीं था। कालान्तर में कुछ प्रावधान बनाये गये थे और उसमें 1 साल से 7 साल तक की सजा है तथा 10 लाख तक का जुर्माना है। उन प्रावधानों के आधार पर काम किया जा रहा है। मैंने बताया कि 54 चालान पुट-अप हो गये हैं। किसी के बयान के आधार पर किसी को फांसी नहीं चढ़ाई जा सकती है, परन्तु इस आधार पर जांच की जो प्रक्रिया है, वह जरूर जारी है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को पुनः इस बात को कहना चाहूंगा, उन्हें विश्वास दिलाना चाहूंगा कि पूरी ताकत के साथ पूरे विषय का जांच किया जायेगा। कोई दल, कोई और समाज,

किसी की भी परवाह किये बिना, जो-जो गुनाहगार हैं, उन सब को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जायेगा। यह विषय जैसे ही निर्धारित होता है, प्रमाणिकता के साथ कोई बात सामने आती है, मैं फिर से कहता हूँ कि माननीय विष्णु देव जी की सरकार है, एक घण्टे के अंदर कार्यवाही होगी। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बहुत अच्छा। ठीक। कोई और छोटा प्रश्न ?

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ...।

अध्यक्ष महोदय :- महत्वपूर्ण प्रश्न में 12 मिनट अकेले प्रश्न कर रहे हैं। एक छोटा प्रश्न और कर लें।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, मैंने सामान्य प्रश्न पूछा है। आपने कहा है कि संज्ञान में नहीं आया है। जब संज्ञान में नहीं आया तो बयान कैसे हुआ ? यह सीधा-सीधा प्रश्न है। जब सरकार के संज्ञान में नहीं है तो पुलिस अधिकारी बैंकों में जाकर बयान कैसे लिये ? दूसरा, बैंकों के माध्यम से कितने करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है ? जरा इसे स्पष्ट कर दें तो आधा प्रश्न मैं पुछूंगा अध्यक्ष जी ?

अध्यक्ष महोदय :- बस, धन्यवाद।

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, एक विषय जो सामने है, जिसकी जानकारी हाथ में है, मैं आपको जरूर उपलब्ध कराता हूँ। 507 एकाऊंट जो रायपुर के फ्रीज होने वाले थे, इसमें 221 करोड़ रुपये तक के ट्रांजेक्शन में हम पहुंचे हैं। यह पता चला है और थर्ड पार्टी को भी इसमें इन्गेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक-एक एकाऊंट को खंगालकर यह जान पाये कि यह राशि इन खातों के माध्यम से कहाँ जाती थी और इसके बाद फिर अगला ट्रांजेक्शन कहाँ होता था, यह राशि कैसे दुबई तक पहुंच जाती थी, इसकी पूरी जांच करवाई जा रही है। मैं आपको यह भी बताना चाह रहा हूँ कि संज्ञान का अर्थ यही है कि जो बात बयान में आई है, वह बात कोर्ट के सामने रखी गई है, इसमें कोर्ट को भी फैसला करना होगा। कोर्ट का फैसला आ जाये, उस पर बात कर लेंगे। मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि विभाग ने आगे बढ़कर लोगों की फरारी होने का आवेदन कोर्ट में दिया हुआ है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि उनके संपत्ति के चिन्हांकन की बात प्रारंभ हुई है, उनके संपत्ति को चिन्हांकित करके कुर्की करने की बात हम सामने लेकर आ रहे हैं। मैं आपको यह भी बता रहा हूँ कि यह मामला पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत चर्चित था, नागपुर से एक चार्टर्ड प्लेन दुबई तक गया है, हमारा विभाग उन सारे बारातियों की भी सूची ले रही है। मैं सरकार के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि सारी सूची हाथ में आने के बाद सभी पर जांच होगी और कुछ भी छोड़ा नहीं जायेगा। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह बयान जिसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लिया है और जो रायपुर के कोर्ट में जमा है, उस बयान की कोई अधिकृत जानकारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा शासन को नहीं दी गयी है। अधिकृत जानकारी आने के बाद, यदि उसमें प्रमाणिकता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जायेगी। बिल्कुल, मैं आपसे इस बात को कहता हूं।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपके संज्ञान में ला देता हूं कि फिर विभाग आपको गुमराह कर रहा है। 03 जनवरी को शासन को पत्र आ चुका, 30 जनवरी को फिर रिमाइंडर आ चुका। यदि आपको तारीख उपलब्ध नहीं है तो मैं आपको तारीख बता देता हूं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा शासन को पत्र भेजा गया। जब किसी ने संज्ञान में नहीं लिया, उत्तर नहीं दिया तो 30 तारीख को वापस फिर रिमाइंडर आया। उसका बयान पूरी सुर्खियों में, समाचार पत्रों से लेकर, सोशल मीडिया से लेकर आम जनता के बीच में चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं विभाग की गंभीरता के ऊपर एक छोटा-सा उदाहरण देता हूं। कल मेरा एक प्रश्न था और वह प्रश्न नहीं लग पाया। मेरा पी.डब्ल्यू.डी. के खिलाफ एक प्रश्न था। किसी ने मेरे खिलाफ एक फर्जी शिकायत की थी। मैंने उस समय भी जनता से कहा कि इसकी जांच किसी रिटायर जज से करा ले। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उस समय लिखा कि एफ.आई.आर. दर्ज की जाये और वह केस ई.ओ.डब्ल्यू. को गया। जिसके कोई तथ्य, कोई जानकारी नहीं है। एक आदमी ने आवेदन दिया और ई.ओ.डब्ल्यू. इतना सक्रिय हो गया और तत्काल उसकी विवेचना के लिये डिपार्टमेंट में आ गया।

अध्यक्ष महोदय :- आप मूल विषय में आईये।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, मूल विषय यही है कि अगर 03 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक रिमाइंडर आने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो किन अधिकारियों को बचाने का काम हो रहा है ? इसके पीछे बड़े-बड़े लोग हैं। इसमें जो उस समय के तार थे, उसके अंदर नाम है कि किसी को 30 लाख रुपये, किसी को 50 लाख रुपये और किसी को 01 करोड़ रुपये महीना देते थे। यह मैं नहीं कह रहा हूं। यह पूरे समाचार पत्रों में छपा है और सुर्खियों में था। क्या सरकार स्वयं विवेचना के रूप में संज्ञान में लेकर इसकी जांच नहीं कर सकती ? आज तक ई.ओ.डब्ल्यू. ने उसके ऊपर जांच क्यों नहीं की ? क्या सरकार इस केस को सी.बी.आई. को देगी ? क्योंकि इसके तार विदेश तक जुड़े हुए हैं। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। यह मेरा आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। धन्यवाद।

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग से इस विषय पर पूरी जानकारी ली गयी थी। उनसे 05 फरवरी को अंतिम जानकारी ली गयी है। इस विषय पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से कोई अधिकृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- 18 मिनट हो गये हैं। सेन जी।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा स्केण्डल केस का मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- और भी अन्य विषय आयेंगे।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब विषय लीजियेगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं, आपके पास वह गलत जानकारी है। आप कहेंगे तो मैं सदन के पटल पर रख दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, रख दीजिये।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, यह पत्र जिस तारीख को गया है, वह 03 जनवरी है और कोर्ट के अंदर वकील ने जिस बात को मैसेज किया, वह भी जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय :- आप मंत्री जी को जानकारी दे दीजिये।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, आप कहें तो मैं यह दस्तावेज दे दूँ। मैं लगातार 02 साल से इसके खिलाफ लड़ता रहा हूँ। इसमें कौन-कौन संचालनकर्ता, किस-किस गैंग के रूप में, किसने किससे कितने रुपये लिये और दिये, कहां-कहां किसके साथ विवेचना हुई, किस दिन किस थाने के अंदर एफ.आई.आर. दर्ज हुई और एफ.आई.आर. होने के बाद अभी तक एक भी प्रकरण का निराकरण नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, एफ.आई.आर. तो हुई, विवेचना भी हुई लेकिन एक भी बड़ी मछली पकड़ में नहीं आई।

अध्यक्ष महोदय :- उप मुख्यमंत्री जी, यदि कोई जानकारी हो तो उपलब्ध करवा देंगे। सेन जी, आप एक छोटा-सा प्रश्न कर लीजिये।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि इसकी जांच की घोषणा करें।

अध्यक्ष महोदय :- यदि कोई घोषणा करना है तो बताईये।

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कोई मछली भी नहीं, यदि मगरमच्छ भी हो तो भी पकड़े जायेंगे। (मेजों की थपथपाहट) आप उस विषय में निश्चित रहिये।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बढ़िया।

श्री विजय शर्मा :- मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अब तक की जो स्थिति है, वह यही है। यदि आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी है तो आप अवश्य उपलब्ध करवायें। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच अंतिम स्थिति में है और इस स्थिति में फिर एक नई एजेंसी से जांच कराना उचित नहीं होगा। हम उसकी प्रतीक्षा कर लें। हम एक बार देख लेते हैं कि क्या स्थिति आती है।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है। मेरा फिर इस बात पर आग्रह है। आप कह रहे हैं कि जांच होने दीजिये लेकिन जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, वहां अभी-भी वही अधिकारी बैठे हैं। जांच

कौन करेगा ? सैंया भये कोतवाल, तो डर किसका ? जिनके खिलाफ में आरोप है, वे पूरे प्रदेश को बर्बाद करने का ठेका लेकर बैठे हैं। वही लोग जाकर पी.एच. क्यू. में बैठे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- राजेश जी, ठीक है। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि इसमें जांच होनी चाहिए। आप जो भी जांच करें, आप विधायक दल से जांच करें, जिस माध्यम से भी जांच करें। मेरा यही आग्रह है कि इस प्रदेश में एक नज़ीर बननी चाहिए कि जो लोग गिराव बनावर जनता को लूटने का काम करते हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- आपको धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं इस विषय में प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं इनके बाद आपका प्रश्न ले लूंगा।

श्री रिकेश सेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से आदरणीय सदस्य राजेश मूणत जी ने अपनी चिन्ता व्यक्त की। पहले भिलाई को खेलधानी और शिक्षाधानी के रूप में जाना जाता था। अब यह महादेव सट्टा ऐप के रूप में जाना जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न यही है कि इन्होंने युवाओं की चिन्ता की। मेरे विधान सभा क्षेत्र से इसमें 20 हजार से अधिक युवा लिप्त हैं, लेकिन इसके साथ-साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पिछले 5 वर्षों में लगातार जिनकी दुर्ग जिले में पोस्टिंग हुई है। पुलिस प्रशासन के लोगों के पास खुद आई.डी. है, लोगों, अधिकारियों के पास आई.डी. है और राजनीतिक दल के अलग-अलग नेताओं के पास आई.डी. है, लेकिन आज तक केवल 90 युवाओं को गिरफ्तार किया गया, वह भी उनको थाने से मुचलके पर छोड़ दिया गया। आज तक सही रूप से इन शिकायतों पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। तात्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जो भी थे, उनका भी संरक्षण साफ था। हमको यह भी देखने को मिला था। इसलिए महादेव सट्टा ऐप को लेकर विशेष रूप से जांच करने की आवश्यकता है। माननीय गृह मंत्री जी ने जिन बारातियों के विषय पर कहा कि जो वहां बराती गये थे, उनकी लिस्टिंग होगी। लगातार नेशनल समाचार में उन बारातियों की लिस्टिंग दी जा रही है और वे लोग भिलाई में खुलेआम घूम रहे हैं। आज तक उन बारातियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ऐसे एडीशनल एस.पी.जिनकी उस जिले में पोस्टिंग हुई, पांच साल ऐसे आई.जी. जिन्होंने लगातार खुद आई.डी. लेकर महादेव सट्टा ऐप का संचालन किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही होगी? क्योंकि अभी तक इसमें छोटे लोगों पर कार्यवाही की गई है। धन्यवाद।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है। इस प्रदेश में कानून का राज होना चाहिए और कानून की नज़र में कोई छोटा या बड़ा हरगिज नहीं होना चाहिए। वैसे मैं इसमें गिरफ्तारी के संदर्भ में उनके आंकड़ों को दुरुस्त करूँ कि आज तक इस विषय पर 482 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मसला है कि इसमें जिन अधिकारियों के संदर्भ में चर्चा है। हम ई.डी. के चालान के संदर्भ में ले लें, सोशल मीडिया या मीडिया पर प्रचलित सारे विषयों को लेकर जो बात चल रही है। जहां तक प्रमाणिकता की बात है एक बार प्रमाणित होने के बाद, माननीय सदस्यों को इस विषय पर कार्यवाहियाँ होती देखेंगी, इसमें उनको चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं होगी।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि छत्तीसगढ़ में संरक्षण के बगैर महादेव सट्टा ऐप फल-फल नहीं सकता था। बाकी तो आप तकनीकी पक्ष बता रहे हैं और आप पूछ रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी मैं तो आपसे एक ही मांग करना चाहता हूँ कि शनिवार को आप स्टेट प्लेन ले लीजिए और उत्तर प्रदेश चले जाइये। आप योगी बाबा से पूछकर आ जाइये कि यह बुलडोजर जो खड़ा है, इसमें जो-जो फंसे हैं उन 10-5 का बुलडोजर में गिरवाएं तब थोड़ा लोगों में खौफ पैदा होगा। (मेजों की थपथपाहट) आप कितने कायदे कानून में चलेंगे। यहां तो बड़े बड़े वकील क्या-क्या मलानी, इंगवी-सिंघवी, इब्बल-सिब्बल सब आ जाते हैं, आप उन 1-1 करोड़ रूपए की फीस वालों के सामने में कहाँ पूरा पाएंगे। आप बुलडोजर को मारिए, आप ड्राइवर को खिलाइये, पिलाइये और भेज दीजिए। वहां तोड़-ताड़ के आ जाए, तब उनमें थोड़ा खौफ पैदा होगा। खौफ का नाम पुलिस है। आप अपराधियों में डर पैदा करिये। कहीं पुलिस नहीं खड़ी होती है। यह जो 300 लोग पकड़ाये हैं उनमें आप 10-05 को उड़ा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत अच्छा। श्रीमती संगीता सिन्हा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या महादेव सट्टा ऐप में प्रश्न पूछ रही हैं क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- नहीं। वह उमेश पटेल जी के स्थान पर प्रश्न पूछ रही हैं। प्रश्न क्रमांक दो में प्रश्न पूछ रही हैं। आपका नंबर बाद में आएगा। आप किसमें प्रश्न पूछ रहे हैं महादेव सट्टा ऐप में प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महादेव सट्टा ऐप में एक प्रश्न पूछ रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सदस्य माननीय राजेश मूणत जी ने जो प्रश्न उठाया है इसके कारण पूरे प्रदेश में लाखों-करोड़ों लोग बर्बाद हुए हैं और उनको जो शह देने वाले हैं वे आज भी मस्त हैं

और घूम रहे हैं। लेकिन जो विवेचना आई, जिनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, उन पर कार्यवाही नहीं हुई। यदि वास्तव में यह कार्यवाही नहीं होगी तो यह सट्टा चलता रहेगा और ऐप चलते रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आज आपका भी प्रश्न है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे बाकी लोग ...।

श्री रिकेश सेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छोटे लोगों को पकड़ना आसान होता है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए इसमें कार्यवाही होनी चाहिए और इसमें कार्यवाही नहीं हो रही है। इसमें जांच होनी चाहिए और माननीय गृह मंत्री जी को कोई न कोई जांच की घोषणा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप संक्षिप्त में करिये।

श्री रिकेश सेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एन.एस.ए. के तहत एक भी कार्रवाई नहीं हो रही है। यह गंभीर मामला है। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष जी, आप विपक्ष में उस समय थे।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह युवाओं के साथ में खिलवाड़ किया गया है, उनके भविष्य को चौपट किया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, धन्यवाद।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें उत्तर नहीं आया है।

श्री रिकेश सेन :- उसमें रा.सु.का. के तहत एक भी कार्रवाई नहीं हुई है। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लोगों का भविष्य चौपट करने का काम किया गया है। इसलिए माननीय मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि उनके भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं। महादेव एप सट्टा खिलाने वाले जो लोग घूम रहे हैं, आप ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे और उनको नहीं रोकेंगे तो युवाओं का आने वाला भविष्य ठीक नहीं होगा। इसलिए इसमें तत्काल कार्रवाई की घोषणा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- संगीता सिन्हा जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट, संगीता सिन्हा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो बयान आया है, मुझे उसमें अपर्याप्त लगता है। यह विषय जितना गंभीर है, सरकार की ओर से कोई कमिटमेंट आना चाहिए कि इसको हम समयबद्ध ढंग से इतने दिन में निराकृत करेंगे। यह बड़ा ज्वलंत विषय है। मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि इसमें छोटे-छोटे लोग ही गिरफ्त में आये हैं।

श्री रिकेश सेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा विषय यह है कि 05 साल में दुर्ग जिले में जिन-जिन अधिकारियों की पोस्टिंग हुई है, उनकी जांच की जाये।

अध्यक्ष महोदय :- इस प्रश्न में 26 मिनट हो गये हैं। चलिये, अगला प्रश्न आने दीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 26 मिनट हो गये हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इसमें निर्णय तो कुछ नहीं हुआ है, उत्तर तो वही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश का सबसे बड़ा स्कैण्डल है।

श्री रिकेश सेन :- इसमें निर्णय नहीं निकल पाया है। आप इतनी घोषणा कर दीजिए कि दुर्ग जिले में 05 साल में जिन अधिकारियों में पोस्टिंग हुई है, उन अधिकारियों की जांच होगी?

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय गृह मंत्री तक इसमें चिंता व्यक्त कर चुके हैं। इसमें विषय इतना ही है, उसमें जो भी है, समयबद्ध घोषणा करें कि उनके खिलाफ मैं क्या कार्रवाई की जायेगी? इस प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई छोटा-मोटा फैसला नहीं है। आप समयबद्ध कार्रवाई की घोषणा करिये न।

श्री रिकेश सेन :- वैशालीनगर में पान ठेला चलाने वाला युवा आईफा अवार्ड को फाईनेंस कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, दूसरे प्रश्न में आ जाईए। धन्यवाद।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष जी, आपने कहा कि महादेव की जटा से ही गंगा निकली है तो गंगा तो कहीं निकल नहीं रही है, क्या गंगा रुक गई है?

श्री सुशांत शुक्ला :- इसकी सदन में घोषणा हो, इसमें जांच होनी चाहिए।

श्री रिकेश सेन :- इस सदन के मंदिर से अच्छा संदेश जायेगा, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। माननीय मंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हो गये हैं।

श्री रिकेश सेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लोगों की निगाहें हमारी तरफ है, महादेव एप को लेकर हमारी सरकार को कड़ा रवैया अपनाना पड़ेगा। दुर्ग जिले में 05 साल में जिन-जिन अधिकारियों की पोस्टिंग थी, उनकी जांच होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, माननीय मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद दूसरा प्रश्न लेंगे।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि केन्द्र की एजेंसी जांच कर रही है, Enforcement Directorate कर रही है। उनकी जांच अंतिम स्थिति में है, वह चालान पुट अप कर चुके हैं। आप प्रतीक्षा कर लें, एक बार वह चालान को देख लें। आप जो चाहते हैं, वह चालान में है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय उप मुख्यमंत्री (गृह) जी, धारा 164 के बयान के तहत E.D. का बयान अपने आप में कोर्ट में दिया हुआ बयान माना जाता है। अगर जानकारी नहीं है तो विभाग क्लीयर कर लें। धारा 164 के तहत जो बयान दिया गया है, चन्द्रभूषण ने जो बयान दिया है और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जयललिता जी के केस में आया है कि इसके अंदर वह पार्टी नहीं बन सकते और उनको

15 दिन में इसमें फैसला करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला हो चुका है। जब इतना सब कुछ साक्ष्य होने के बाद में भी आप किनको बचाना चाहते हैं ? आप ध्यान रखना कि यह किसी के नहीं हैं। यह सिर्फ कुर्सी के सलाम करने वाले हैं। आप जिन-जिन को बचाना चाह रहे हो, वह किसी के नहीं हैं। वही अपने ऊपर डंडा चलाये हैं, आंसू गैस फेके हैं, फर्जी केस बनाये हैं और वही आपको लिखकरके दे रहे हैं। कुछ नहीं होना है। महादेव की जटा से गंगा निकलनी चाहिए। आपने कहा, यह दर्द मेरा नहीं है, यह दर्द आपका भी है। इस पर कोई न कोई फैसला होना चाहिए। यह आपसे उम्मीद करते हैं।

श्री अनुज शर्मा :- मूणत जी जेन हा ताप दिही, तेन जरबे करही, चिंता झन करौ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, श्रीमती संगीता सिन्हा जी।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष जी, इसमें माननीय मंत्री जी कुछ कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अब आगे बढ़ गये।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन है। माननीय मंत्री महोदय कुछ कह रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने में तो हमारा समय खत्म हो जायेगा। हम लोग भी प्रश्न लगाये हैं। .. (व्यवधान) हम लोगों को भी अवसर दीजिए। हम लोगों को कब अवसर मिलेगा ? आप एक प्रश्न में इतना समय लगायेंगे तो दूसरे को कब मौका मिलेगा ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- संगीता जी, बैठिये। एक मिनट। बैठ जाइये। मंत्री जी, आखिरी लाइन बोल लीजिये।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबके संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूँ कि ई.डी. के प्रेस नोट, जो *Enforcement Directorate* के वेबसाइट पर जारी होता है, उसमें बहुत सारे नाम हैं। उनके लिए अधिकृत जानकारी हमको ई.डी. उपलब्ध करा दें, इसके लिए भी हमने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। आप थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिये। वह होगा, जो आपके मन में है।

श्री राजेश मूणत :- कितने दिन में हो जायेगा, आप यह घोषणा कर दीजिये। आप घोषणा कर दीजिये कि महीने भर में या दो महीने में हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय :- राजेश जी, बस। हो गया। संगीता सिन्हा जी।

रायगढ़ जिले में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवासों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

2. (*क्र. 89) श्री उमेश पटेल : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रायगढ़ जिले में विकासखण्डवार वर्ष 2020 से नए स्वीकृत एवं पुराने स्वीकृत प्रधानमंत्री आवासों की संख्या तथा कार्य प्रारंभ, कार्य अधूरा एवं कार्य पूर्णता की जानकारी दें ? (ख) पूर्व में

मुख्यमंत्री आवास योजना तहत हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास में जोड़ा गया है या उनको अलग रखा गया है ? वर्तमान में आवास प्लस में नामित हितग्राहियों को भी आवास मिलेगा अथवा नहीं ? (ग) अधूरे आवास एवं नये आवास को पूर्ण करने हेतु कितनी समयावधि का लक्ष्य रखा गया है ? निश्चित समयावधि में लक्ष्य पूर्ण करने के लिए क्या-क्या कार्ययोजना है, जिससे हितग्राहियों को लाभ मिल सके?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2020-21 से आज पर्यन्त प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की जानकारी संलग्न¹ "प्रपत्र-अ" में एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब" अनुसार है। (ख) पूर्व में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में नहीं जोड़ा गया है। वर्तमान में आवास प्लस में नामित हितग्राहियों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास प्रदाय किये जाने का निर्णय लिया गया है। (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" में एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब" अनुसार है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में नहीं जोड़ा गया है। यह मेरा मंत्री जी से पहला प्रश्न है कि ऐसे परिवार, जिनका नाम वर्ष 2011 की सूची में छूट गया था, जिनको पूर्ववर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए मकान दिलाने के लिए सर्वे कराया था। प्रश्न के जवाब में दिया गया है कि मुख्यमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में नहीं जोड़ा जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं जोड़ेंगे तो उन परिवारों का क्या होगा, जिनको आवास के लिए एक किश्त भी नहीं मिली है। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि प्रश्न के उत्तर में दिया गया है कि वर्तमान में आवास प्लस के नामित हितग्राहियों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्रदाय किये जाने का निर्णय लिया गया है। मैं मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूँ कि अगर निर्णय लिया गया है तो यह निर्णय कब तक प्रभावशाली होगा और कब से लागू होगा? इसका कुछ मापदण्ड होगा? या इसका मापदण्ड में बदलाव हुआ, कृपया आप यह बतायेंगे?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही मार्मिक प्रश्न है। माननीय सदस्य के इस चिन्ता का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ऐसा ही मार्मिक प्रश्न एक बार पूर्ववर्ती सरकार के माननीय मंत्री श्री टी. एस. सिंहदेव जी के हृदय में भी उठा था। जब उन्होंने 8 लाख आवास के लिए बार-बार प्रयास किया, परंतु वह आवास नहीं मिल पाया था। आवास नहीं मिल पाने के कारण उन्होंने उस विभाग को छोड़ भी दिया था। आज प्रधानमंत्री आवास के संदर्भ में फिर से यह विषय है। अभी विष्णु देव साय जी की पालनहारी सरकार है और उस सरकार का बिल्कुल स्पष्ट निर्णय है। 18

¹ परिशिष्ट "एक"

लाख गरीबों को आवास दिये गये हैं। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सदस्य महोदय, मैं आपको इस विषय पर भी कह रहा हूँ कि इसमें जो सर्वे कराया गया था, वर्ष 2011 एवं वर्ष 2016 की सर्वे सूची, इन दोनों वर्षों की सूचियों के आधार पर प्रधानमंत्री आवास दिया जाता है। राज्य की सरकार ने एक अलग से सर्वे करायी। उनका अपना एक अलग पैमाने थे, उनका अपना एक अलग डाटाबेस था। अब यह कैसे हो सकता है कि वह जो राज्य सरकार का सर्वे है, उसके माध्यम से प्रधानमंत्री आवास दे दिया जाए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, वर्ष 2011 का सर्वे चल रहा है और उसके बाद सर्वे हुआ ही नहीं है। केन्द्र सरकार ने सर्वे कराया ही नहीं है। 12 से 13 साल हो गये हैं। उसके बाद पूर्ववर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उनको आवास दिया। अध्यक्ष महोदय जी, मैं फोटोग्राफ भी दिखा दूंगा। इसमें वे लोग हैं, जिनको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पहला किशत मिली है। उसमें लोग अपना घर बनाना शुरू कर चुके हैं। उन गरीब परिवारों का क्या होगा जो घर बनाना का शुरुआत कर चुके हैं। आपने इसमें कहा कि उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। यदि आप इनको नहीं जोड़ेंगे तो उन लाखों-करोड़ों गरीब परिवारों का क्या होगा। वह गरीब लोग हैं, जिनको छाया नहीं है। बारिश में उन लोग 3-4 परिवार एक साथ रहते हैं।

श्री रिकेश सेन :- जो लोग आवास को रोकते थे, अब उन लोग आवास की चिंता कर रहे हैं।

श्री विजय शर्मा :- भाई, लाखों-करोड़ों परिवार की बात नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पिछला कराया गया जो सर्वे है, उसके आधार पर जो आवास दिया जाना है, वह लगभग 47 हजार आवास हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जी।

श्री विजय शर्मा :- मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में ही घोषणा कर दी है कि जिनको मुख्यमंत्री आवास के संदर्भ में पहला किशत दिया गया है, उनके आवास के पूरे किशत दिये जायेंगे। उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह निर्णय विष्णु देव जी साय जी के सरकार का पहले ही हो चुका है। (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ।

श्री विजय शर्मा :- एक बार मेरी बात होने दीजिये। मैं आपसे दूसरा विषय कहना चाहता हूँ कि आवास के संदर्भ में वर्ष 2011 में जो ए.ई.सी.सी. डाटा सर्वे हुआ था, उसके बाद एक और सर्वे हुआ है। वह वर्ष 2016 का सर्वे कहलाता है। जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास प्लस मिलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में...। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वे कहीं पर नहीं हुआ है।

श्रीमती चातुरी नंद :- सर्वे हुआ ही नहीं है।

श्री विजय शर्मा :- आप पहले पता कर लीजिये कि दो सर्वे हैं । मैं आपसे बोल रहा हूँ तो कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ । वर्ष 2016 में यह सर्वे आया है जिसके आधार पर आवास प्लस दिया जाता है । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र द्वारा वर्ष 2011 में सर्वे हुआ है उसके बाद कोई सर्वे नहीं हुआ है । (व्यवधान)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सर्वे कहाँ हुआ है ?

श्री विजय शर्मा :- आप पहले एक मिनट मेरी बात सुन लें । आवास प्लास पूरे देश में केवल पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में नहीं दिया जा सका अन्यथा पूरे देश में भी आवास प्लस दिया गया है और इसके कारण माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने यह निर्णय किया है कि वर्ष 2011 की सर्वे सूची के आधार पर जितने लोग बचे हैं उनको और दूसरा आवास प्लस के जितने लोग बचे हैं उनको और इसके साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री आवास के नाम से आपने 47,000 लोगों को दिया था उनको और जिनको एक किस्त देकर आपने रोक दिया था उनको इन सारे लोगों को आवास दिया जायेगा । इनकी पूरी किस्त दी जायेगी और इस तरीके से 18 लाख आवास शुरू किये जायेंगे । (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो 18 लाख की घोषणा की गयी है उसको क्या उसी में जोड़ा जायेगा ? क्या आपने अभी जो नयी घोषणा की है उसको पुराने में जोड़ा जायेगा ?

श्री विजय शर्मा :- हां । मैं आपसे बिल्कुल कह रहा हूँ ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- नहीं । क्या नया जुड़ेगा या आप नया 18 लाख देंगे अथवा क्या आप उसी में जोड़ेंगे ? (व्यवधान)

श्री विजय शर्मा :- यह हम देंगे का अर्थ नहीं होता है भई ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अगर गांव में जाते हैं। पिछली बार जब आप यहां बैठे थे उस समय आप लोग आवास के लिये कितना चिल्लाते थे । आज जब आपको जनता ने मौका दिया है तो आप जनता के साथ धोखाधड़ी मत करिये । आप उनको आवास दिलवाईये, जिनको वास्तव में जरूरत है । एक छत के नीचे 3-4 परिवार रहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- बस इतना बता दीजिये कि 18 लाख आवास कब तक दे रहे हैं ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप इनको जोड़वाने की घोषणा कीजिये । जो मुख्यमंत्री आवास योजना है उसको कृपया आप प्रधानमंत्री आवास से जोड़ने का आदेश कीजिये ।

अध्यक्ष महोदय :- संगीता जी बता रहे हैं । पहले आप उनको सुन लीजिये ।

श्री विजय शर्मा :- आप मेरी बात सुनिये । इस विषय पर ऐसा है कि यह जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में जिन लोगों को पहली बार, जिनका शून्य कमरे का मकान इस तरह का सर्वे में डाटा आया है

उनको पहली किस्त दी जा चुकी है । मैं फिर से कहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उदार हैं । उन्होंने इस बात का निर्णय कर दिया है कि इनको पूरी किस्त दिये जायेंगे । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बहुत अच्छा । आदरणीय पुन्नूलाल मोहले जी ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- अब हो गया । 3 प्रश्न हो गये ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पुराना पेण्डिंग है । जिनको एक-एक किस्त मिला है क्या उनको दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय :- बता दिया न ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जी । धन्यवाद ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने वर्ष 2011 का सर्वे लिस्ट, वर्ष 2016 का कहा और उन्होंने आवास प्लस बोला । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि वह टोटल कितने होते हैं और उसके बाद जो वास्तव में गरीब हैं, जो कि वास्तव में बेघर हैं ऐसे लोगों के लिये क्या आप आवास देने की योजना बना रहे हैं या बना चुके हैं ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास दिया जाना या राज्य सरकार के द्वारा प्रवर्तित उस योजना के अंतर्गत आवास दिया जाना यह सूची के आधार पर ही होता है । जो सूचियां अभी उपलब्ध हैं, वर्ष 2011 की सूची है, वर्ष 2016 की सूची है और राज्यसरकार का एक सर्वे हुआ था उसके आधार की सूची है । इन तीनों की सूची के आधार पर आवास दिया जा रहा है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय मंत्री जी, टोटल कितने हुए हैं ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 18 लाख से अधिक हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये । प्रबोध जी ।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से इस संबंध में थोड़ा सा जानना चाहूंगा । अभी उन्होंने जवाब दिया है कि जो मुख्यमंत्री आवास की योजना है उसको भी चालू रखा जायेगा, उसमें भी राशि दी जायेगी । पहले हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना पर जो कार्य होता था जिनको 5 वर्षों में सामने वालों ने रोका और कोई आवास बनने नहीं दिया । चूंकि अब आवास चालू हो गये हैं तो इस प्रधानमंत्री आवास में केंद्र का पैसा आता है और राज्यांश पैसा मिलाता है और मुख्यमंत्री आवास योजना जिसके लिये माननीय ने कहा कि 47,000 परिवारों को देंगे तो क्या इसमें केंद्रांश मिलेगा या केवल राज्य ही इसमें अपना हिस्सा देगा ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान स्थिति के आधार पर चूंकि यह राज्य की प्रवर्तित योजना है अर्थात् इसमें केंद्र की तरफ से कोई केंद्रांश नहीं मिलने वाला है परंतु जैसा कि केंद्र ने

निर्णय किया है कि 2 करोड़ नये आवास और पूरे देश में बनाये जायेंगे उसके लिये इस बात की कोशिश की जायेगी कि इस विषय पर भी इसको प्रधानमंत्री आवास में जोड़कर के और इसमें केंद्राश भी मिला दें ।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट । चलिये, यादव जी ।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जो शहरी विकास पट्टा है । हमारी एक समस्या आ रही है कि जैसे पट्टा पिता के नाम पर है और उनका निधन हो गया है । पट्टा वाला ट्रांसफर हो गया है, वह ट्रांसफर के लोगों को प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास की किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिनका निधन हो गया, जो पट्टा ट्रांसफर हो गया, जिनके जो नये नाम आये हैं, उनका नाम क्या हम जोड़ सकते हैं? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुभव के आधार पर इस विषय पर..।

श्री गजेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, दूसरा एक और निवेदन है..।

अध्यक्ष महोदय :- पहले प्रश्न का जवाब आ जाये। चलिए, चातुरी जी, आप प्रश्न पूछिए।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय से मोर विशेष निवेदन है कि जब ये सर्वे वाला लिस्ट है, ए लिस्ट में ग्राउण्ड लेवल में जाये ले जो पात्र हितग्राही है ओमन ला आवास के सुविधा नहीं मिले है और जे मन ला मिले है एक-एक घव नहीं, दो-दो तीन-तीन बार मिल चुके है तो एखर बर जो क्राइटेरिया तय है वर्ष 2011 के सर्वे और वर्ष 2002 के सर्वे ओमे कुछ परिवर्तन किया जा सकथे, महोदय से मैं जानना चाहथव।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2011 की सर्वे सूची और वर्ष 2016 की सर्वे सूची के बाद एक और सर्वे सूची बनी और उस सर्वे सूची में राज्य सरकार ने सारी बातों का परीक्षण किया है और उसके बाद भी अगर हृदय में यह प्रश्न शेष है तो इसकी चिंता भी माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं।

श्रीमती चातुरी नंद :- पर वाकई में हितग्राही ला ऐखर सुविधा नहीं मिलथे।

अध्यक्ष महोदय :- रोहित जी।

श्री रोहित साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करूंगा कि मैं भी पूर्व में सरपंच रहा हूं। पूरे छत्तीसगढ़ में वर्ष 2011 की सर्वे सूची, वर्ष 2002 की सर्वे सूची के आधार पर आवास योजना में शामिल हुआ है, लेकिन उस समय भी बहुत ऐसे परिवार हैं जो आज भी आवास

सूची से वंचित हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वास्तव में जो पात्र परिवार है, उसको पुनः आवास सूची में शामिल करने हेतु निवेदन करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- भावना जी, पूछिए।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, आवास से संबंधित एक जानकारी और एक प्रश्न भी है। अभी जो गांव में या तालाब के किनारे जो निवासरत हैं, चूंकि उनका पट्टा नहीं बन पाता है तो हर तरीके से आवास से वंचित हैं तो क्या आने वाले समय में कुछ योजनाएं बनेंगी? तालाब के किनारे जो काफी सालों से बसाहट है, उनके आवास के विषय में आगे क्या संभावना है? यह बहुत ही मूल प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी।

श्री विजय शर्मा :- एक बार फिर बताएं कि आप क्या कह रही हैं?

अध्यक्ष महोदय :- तालाब के ऊपर जो आवास बने हुए हैं, क्या उनको भी पट्टे और आवास दिया जा सकता है?

श्रीमती भावना बोहरा :- गांव के साइड में जो निवासरत हैं, उनकी कई पीढ़ियां निकल चुकी हैं, 40-50 सालों से वहीं पर निवासरत हैं, लेकिन पट्टे का और आवास का अभी भी कोई प्रावधान नहीं है।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहले जो प्रश्न किया था, वर्ष 2002 की कोई सर्वे सूची नहीं है, जिसके आधार पर आवास दिया जाये। आवास सिर्फ वर्ष 2011 और वर्ष 2016 की सर्वे सूची के आधार पर दिया जाता है और आवास प्लस है, उसे पिछली सरकार भूल गई थी। उस पर काम ही नहीं हो पाया, उसे आवास प्लस कहते हैं। उसके आधार पर भी 8 लाख लोगों को आवास मिलना था। आवास का काम पूरा हो जाता तो आवास प्लस शुरू होता, परंतु पूरे देश में मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि सिर्फ छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं, जहां पर आवास का काम पूर्ण नहीं हुआ, आवास प्लस प्रारंभ ही नहीं हो पाया तो वर्ष 2016 की कोई सर्वे सूची है, वर्ष 2016 की सर्वे सूची के आधार पर आवास दिया जाना है, ये स्पष्ट ही नहीं हो पाया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, अजय चन्द्राकर जी आप पूछिए। बहुत प्रश्न हो गये।

श्रीमती संगीत सिन्हा :- वर्ष 2011 की सर्वे सूची के आधार पर दिया जा रहा है।

श्रीमती चातुरी नंद :- अध्यक्ष महोदय..।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सूची..।

अध्यक्ष महोदय :- अभी विभाग की चर्चा में आप अपनी बात रखेंगे। बहुत अवसर मिलेगा। चलिए, अजय चन्द्राकर जी।

छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-2023" बजट एवं व्यय राशि का उद्देश्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

3. (*क्र. 42) श्री अजय चंद्राकर : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में "छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-2023" कब से कब तक चलाया गया? और इसका उद्देश्य क्या है यह सर्वेक्षण ग्रामीण/शहरीय किन-किन क्षेत्रों में करवाया गया? इस सर्वेक्षण का उपयोग सरकार की किन योजनाओं व कार्यों के लिए किया गया? क्या इस सर्वे का पुनःपरीक्षण कराया गया था ? यदि हां, तो कारण क्या था और उसका परिणाम क्या रहा? इसके आधार पर कितने लोग लाभान्वित हुये? (ख) उक्त अभियान के लिये कितनी राशि की आवश्यकता थी और कितना बजट रखा गया है एवं कुल कितनी राशि, किस मद से, किन-किन कार्यों के लिये व्यय की गयी? (ग) उक्त अभियान के मुख्य बिन्दु क्या-क्या हैं तथा इसके परिणाम क्या रहे हैं? इससे ग्रामीण/शहरीय क्षेत्रों में किन-किन वर्गों से, कितने लाभान्वित हुये तथा उनको क्या-क्या लाभ प्राप्त हुये? (घ) उक्त अभियान के दौरान कितने गांवों का सर्वे, किस विभाग द्वारा कराया गया ? किन-किन जन प्रतिनिधियों तथा किस स्तर के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा एवं किस विभाग ने सर्वेक्षण कराया ? क्या-क्या कमियां इन गांवों में पायी गयीं? उन कमियों का निराकरण करने हेतु क्या-क्या योजनायें बनाकर उन कमियों को दूर किया गया?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रदेश में "छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-2023" 01 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक किया गया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य केन्द्र एवं राज्य सरकार के योजनाओं का ग्रामीण परिवारों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करना एवं उसके आधार पर नई योजना एवं नीतियों का निर्माण करना है। यह सर्वेक्षण राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में करवाया गया। इस सर्वेक्षण में चिन्हांकित 47,090 आवासहीन परिवारों को ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत लाभान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया। इस सर्वे का पुनः परीक्षण नहीं कराया गया। (ख) उक्त अभियान के लिये राशि रु 15.97 करोड़ की आवश्यकता थी एवं राशि रु 14.00 करोड़ का बजट प्राप्त हुआ है, जिसके व्यय का विवरण मदवार संलग्न परिशिष्ट ¹ "प्रपत्र-अ" अनुसार है। (ग) सर्वे कार्य के मुख्य बिन्दु हैं- आवास की स्थिति, ईंधन स्रोत की जानकारी, सिंचाई साधनों से संबंधित जानकारी, विद्युत कनेक्शन की स्थिति, व्यवसाय, भूमि, शिक्षा एवं परिवार के आय की स्थिति। इसके परिणाम की जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब" अनुसार है। सर्वे में चिन्हांकित 47,090 आवासहीन परिवारों को ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत लाभान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया। (घ) उक्त अभियान के दौरान 20,111 ग्रामों में सर्वे किया गया। सर्वे कार्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा

² † परिशिष्ट "दो"

विकासखण्ड स्तरीय विभिन्न विभागों के मैदानी अमलों के सहयोग से संपन्न कराया गया। सर्वे में पायी गयी कमियां एवं उसके निराकरण के लिये की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न "प्रपत्र-स" अनुसार है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपका विभाग बड़ा सक्षम विभाग है। एक महीने में आपने वर्ष 2023 में पूरे प्रदेश का सर्वे करा दिया। मैं आपसे यह जनना चाहता हूँ कि एक महीने में अचानक यह सर्वे कराने की जरूरत क्यों पड़ी? और सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर जो अनुशंसाएं मिलीं, उसमें आपने क्या-क्या नीति, कार्यक्रम स्वीकार किये और सर्वे की रिपोर्ट को सरकार ने क्या स्वीकार कर लिया?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रिकेट में मैदान में सचिन तेंदुलकर आ जाये या सदन में माननीय अजय चन्द्राकर जी आ जायें, एक जैसी ऊर्जा और एक जैसा उत्साह लोगों में होता है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, ये फास्ट बॉलर हैं। बैटिंग..। (हंसी)

श्री विजय शर्मा :- माननीय सदस्य का इस विषय पर प्रश्न कि वर्ष 2023 की सर्वे सूची एक ही महीने में सरकार ने कैसे सर्वे कर लिया? यह विभाग मूलतः पूर्ववर्ती मंत्री आप ही रहे हैं, आप ही की आधारशिला पर यह विभाग आगे बढ़ता है। आपने ही जो प्रतिमान् स्थापित किये हैं, उनको पार करना मुश्किल है।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बढ़िया।

श्री विजय शर्मा :- मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि यह जो सर्वे हुआ है। इस सर्वे के आधार पर इसका फिर से भौतिक परीक्षण नहीं हुआ है परंतु इसमें जो शून्य कमरे के मकान हैं, कच्चे कमरों वाले, उन आवासों के लिए भौतिक सत्यापन भी किया गया है और उनको स्वीकृत भी किया गया है। मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप सिर्फ मकान में केंद्रित हो गए। मैंने यह पूछा है कि एक महीने के सर्वे में आपको सर्वे की जो जो रिपोर्ट मिली है, क्या उस सर्वे रिपोर्ट को आपने स्वीकार कर लिया और उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आपने क्या नीति, कार्यक्रम बनाए, आपने उसमें लिखा है, आपने उसके लिए क्या बजट निर्धारित किया? जब मैं आवास के बारे में पूछूंगा तब आवास का विषय आएगा, अभी तो मैंने पूरे सर्वे के बारे में पूछा है, मैं अभी आवास तक नहीं पहुंचा हूँ।

श्री विजय शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, इसी विषय पर मैं आपसे कह रहा था कि सर्वे हुआ है, डाटा सामने आया है और उसका अंतिम भौतिक सत्यापन होने के बाद उसकी स्वीकार्यता की बात आती है। भौतिक सत्यापन उसमें से एक पोर्शन का किया गया, बाकी डाटा का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया और वह 47,090 ऐसे लोग थे जिनको चिन्हांकित करके, जिनका सर्वे में आया था कि इनके पास एक भी कच्चा मकान रहने के लिए नहीं है, उस पोर्शन का सत्यापन करके, उसको स्वीकार करके, उस पर योजना बनाकर काम किया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- पूरा सर्वे होने के बाद आपने केवल एक पोर्शन का भौतिक सत्यापन किस आधार पर करवाया, क्योंकि जो बाकी सर्वे की रिपोर्ट्स हैं, वे बड़ी शर्मनाक हैं। उस पर फिर सरकार ने भौतिक सत्यापन क्यों नहीं करवाया, केवल आवास का ही क्यों करवाया, इसका कारण मुझको बता दीजिए ? क्योंकि आप परिशिष्ट पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ की स्थिति तो बदतर है। आपने उनका सत्यापन क्यों नहीं करवाया ? आपने जो आवास दिया है, ये लोग मुख्यमंत्री आवास बोल रहे थे तो क्या उसके लिए मुख्यमंत्री आवास नाम की योजना चालू की गई या कोई दूसरी योजना बनाई गई, जिसका वित्त पोषण आप स्वयं करेंगे या केन्द्र सरकार करेगी ? सर्वे में शर्मनाक स्थिति है तो बाकी डाटा का भौतिक सत्यापन आप कब तक करवाने जा रहे हैं, कब तक स्वीकार करेंगे ? एक ही का भौतिक सत्यापन क्यों करवाया ?

श्री विजय शर्मा :- यह जो 47090 आवासहीन परिवारों को आवास दिया गया, यह "आवास न्याय योजना" के नाम पर दिया गया और वित्त पोषण का विषय है तो यह केन्द्र की किसी भी योजना का अंश नहीं है, यह पूर्णतः राज्य का है अर्थात् केन्द्र से किसी वित्त पोषण का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है। मैं आपके इस पूरे विषय के लिए यही कहना चाहता हूँ कि इस पूरे सर्वे को कराने के बाद, उसमें बहुत सारे आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों की जानकारी आपको उपलब्ध करवाई गई है। परिशिष्ट में क्या-क्या दिया है और क्या-क्या हुआ है ? इसमें जितना काम हो सका है, वह आपके समक्ष है। इस डाटा को यूज करना या नहीं करना, इसका एक निर्णय करके इस पर आगे कार्रवाई करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय, मैंने आपसे पूछा कि बाकी जो आंकड़े आए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे थोड़ा सा आग्रह करूंगा कि जैसे शौचालययुक्त परिवार 30 लाख हैं, छत्तीसगढ़ में टोटल परिवार 72 लाख हैं, तो 42 लाख परिवारों के पास शौचालय ही नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ में हमने अनुमति ली थी 280/290 गांवों को छोड़कर बाकी ओ.डी.एफ. घोषित हो चुका है। आप इसको शुरू करेंगे क्या ? आपने लिखा है उसमें अस्थायी विद्युत 12 लाख 36 हजार 662, यानी इतने आवास में बिजली ही नहीं है तो यह तो छत्तीसगढ़ की बड़ी दर्दनाक स्थिति है। आप देखिये थोड़ा सा, आपने कहा कि 18 लाख उज्जवला गैस कनेक्शन बांटे हैं, उज्जवला की वेबसाइट खोल लीजिए उसके अनुसार 36 लाख कनेक्शन बंट गए हैं। यह पूरा 14 करोड़ या तो घोटाला है, एक महीने में आपने कर लिया या तो इन सबमें आप कार्रवाई कीजिए। या तो इन लोगों ने पांच सालों में छत्तीसगढ़ की स्थिति को बर्बाद कर दिया है, यह माना जाएगा।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अब तो आपकी सरकार है तो कार्रवाई करवाओ ना। कार्रवाई करवाइए, 3 महीना, 4 महीना तो हो गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने करवाया है। अब आप देखिए, 25 लाख मजदूरी में संलग्न परिवार हैं, कुल जॉब कार्ड को छोड़ दूँ तो एक्टिव जॉब कार्ड 32 लाख हैं, आप अपनी वेबसाइट खोलकर देख

लीजिए । आप इस सर्वे को सही मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं ? भौतिक सत्यापन आपने केवल एक का ही करवाया । इस शर्मनाक स्थिति से मुक्त करने के लिए आप कब तक भौतिक परीक्षण करवाकर नीति, कार्यक्रम इसके लिए बनाएंगे या आप इसको अस्वीकार करते हैं तो सदन में अस्वीकार करते हैं यह कहिए। क्योंकि आपने जो पहले कहा है और आज के आंकड़े में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए मैंने कहा कि एक महीने में किया गया सर्वे घोटाला है। कृपया स्थिति स्पष्ट कीजिए। क्योंकि यह सरकार के द्वारा कराया गया सर्वे है। छत्तीसगढ़ ओ.डी.एफ. है या नहीं है। आप यह बताईए।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सारे आंकड़ों को माननीय सदस्यों को भी उपलब्ध कराया गया है और ये सारे आंकड़े सब के सामने हैं। जो सर्वे हुआ है उसमें जो बात निकलकर सामने आई है, डाटाबेस बन जाने के बाद वह सबके सामने हैं। भौतिक सत्यापन इसका नहीं हुआ है तो इसको अंतिम ना माना जाए। इसके भौतिक सत्यापन के उपरांत ही यह स्पष्ट हो जाएगा।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, आपने परिशिष्ट में 25 लाख लिखकर दिया है। आपके ही विभाग के वेबसाईड में 32 लाख एक्टिव आंकड़े हैं, आप दोनों में से किसको सही मानेंगे मुझको यह बताईए। आपके स्थायी कनेक्शन दोनों में अलग-अलग हैं।

अध्यक्ष महोदय :- भौतिक सत्यापन पूरा नहीं किया गया है, यह मंत्री जी के जवाब में आ गया है। इसके बाद कोई स्पेसीफिक प्रश्न है तो करिए। इन्होंने पहले ही जवाब में कह दिया कि भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी दोनों आंकड़े सरकार के हैं। भौतिक सत्यापन की जरूरत नहीं है, भौतिक सत्यापन दिख रहा है। सरकार की वेबसाईड में आंकड़े दिख रहे हैं, स्थायी कनेक्शन के आंकड़े दिख रहे हैं, आवासहीन के आंकड़े दिख रहे हैं, सबके आंकड़े दिख रहे हैं। मंत्री जी ने बेराजगारों के आंकड़े आज दोनों में अलग-अलग बताया है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न करिए ना।

श्री अजय चंद्राकर :- दोनों आंकड़े दिख रहे हैं तो इसमें सत्यापन की क्या जरूरत है। आप इसको सही मान रहे हैं या जो आपके विभागीय आंकड़े वेबसाईड में दिख रहे हैं, उस आंकड़े को सही मानते हैं। सत्यापन नहीं कर रहे हैं तो यह बता दीजिए।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो सर्वे हुआ है, सर्वे के आधार पर डाटाबेस बना है और उसके आधार पर रिपोर्ट बनी है। उसमें से एक ही पर्सन को सत्यापित करके उस पर कार्रवाई प्रारंभ की गयी है। अन्य का सत्यापन नहीं हुआ है। अगर अन्य का सत्यापन नहीं हुआ है...।

श्री अजय चंद्राकर :- इसका सत्यापन करवाएंगे क्या ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर निर्णय लिया जाएगा।

श्री अजय चंद्राकर :- मंत्री जी, छत्तीसगढ़ की स्थिति आपके एक सर्वे में शर्मनाक दिख रही है तो मेरा आपसे आग्रह है कि इसका सत्यापन करवाएं।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से इस विषय पर दो बातें कहना चाहता हूं। इस पर निर्णय करके आपको सूचित करेंगे या इसका सत्यापन करवाएंगे या नयी सूची बनाएंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, निर्णय किया जाएगा बोल दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- आप निर्णय से समय पर अवगत कराएंगे ?

श्री विजय शर्मा :- जी जरूर।

बिलासपुर जिला अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत श्रमिक

[श्रम]

4. (*क्र. 486) श्री धर्मजीत सिंह : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बिलासपुर जिला अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा विगत 03 वर्षों में कुल कितने श्रमिकों का पंजीयन किया गया है,? वर्षवार विवरण दीजिए? (ख) कंडिका "क" के पंजीकृत श्रमिकों को विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजना के तहत राशि एवं सामान का वितरण किया गया है? वर्षवार वितारित राशि व सामग्री का विवरण दीजिए?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) बिलासपुर जिला अंतर्गत विगत 03 वर्ष (वर्ष 2021 से 2023) में श्रम विभाग के अधीन संचालित छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत 16921 निर्माण श्रमिक, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत 41551 असंगठित कर्मकार एवं छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल अंतर्गत 4948 संगठित श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। मण्डलवार एवं वर्षवार जानकारी संलग्न प्रपत्र -“अ”³ अनुसार है।(ख) श्रम विभाग के अधीन मण्डलों के अंतर्गत संचालित योजनाओं में वर्ष 2021 से 2023 तक की अवधि में लाभांशित हितग्राही, व्यय राशि एवं सामग्री वितरण की मण्डलवार, योजनावार तथा वर्षवार जानकारी संलग्न प्रपत्र -“ब” अनुसार है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का विस्तृत लिखित उत्तर दिया है, मुझे उनके उत्तर पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं उनसे सिर्फ दो चीजें जानना चाहता हूं। असंगठित और संगठित मजदूर में क्या वे मजदूर भी शामिल हैं जो यहां से कमाने खाने हैदराबाद जाते हैं ? उनकी सूची आपके पास लिस्ट में है क्या ? दूसरा, आपने बहुत से काम बताए, मुझे पढ़कर अच्छा लगा।

³ परिशिष्ट "तीन"

छत्तीसगढ़ सन्निर्माण कर्मकार मंडल में आपने 30 काम बताए हैं और असंगठित कर्मकार में 29 काम बताए हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, आपने परिशिष्ट में जानकारी दी है। इन हितग्राहियों का निर्धारण कैसे करते हैं, अधिकारी करते हैं या जनप्रतिनिधि करते हैं, इसमें करोड़ों रूपए का वितरण होता है और गरीबों को लाभ मिलता है। आपने बच्चों की छात्रवृत्ति भी लिखा है, शिक्षा भी लिखा है, चिकित्सा लिखा है, उनको सामग्री देने का भी लिखा है तो मैं आपसे दो प्रश्न यह पूछ रहा हूँ कि जो हैदराबाद, यू.पी. बिहार कमाने खाने के लिए जाते हैं, उनका रिकार्ड इस लिस्ट में है क्या ? दूसरा, यह जो लगभग 60 योजना है, इसका निर्धारण, हितग्राही का चयन किस प्रक्रिया से होता है और क्या इसमें विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि शामिल रहते हैं क्या ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। वैसे उन्होंने जो प्रश्न किया था, उसमें यह प्रश्न नहीं किया था। बाकी हमारे मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित हो रही हैं और उसका जनप्रतिनिधियों से सलाह मशविरा करके, मजदूरों से उनको कैसे दिक्कत है, इसका फैसला केबिनेट में होता है कि मजदूरों को किस-किस रेट पर अलग-अलग योजनाओं का लाभ दिया जाए। जो प्रवासी मजदूर हैं, संगठित-असंगठित श्रमिक हैं उनका पंजीयन होता है। वर्तमान में 80,000 प्रवासी श्रमिक पंजीकृत हैं। इस तरह से उनको अनेक योजनाओं का लाभ अलग-अलग दरों के माध्यम से मिलता है और उनका पंजीयन भी होता है। हर चीज में मजदूरों का कैसे हित हो सके, उसके लिए काम किया जाता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, मैं आपसे बहुत ही स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहा है। आप तो श्रमवीरों की नगरी से आये हैं। श्रमिक की समस्या के बारे में सबसे ज्यादा ज्ञान तो आपके पास है। आप सरकार के जनकल्याणकारी कार्यक्रम की जो इतनी सारी योजनाएं संचालित कर रहे हैं तो इसका निर्धारण कौन करता है ? क्या अधिकारी करते हैं या जनप्रतिनिधि करते हैं ? यदि जनप्रतिनिधि करते हैं तो कौन सी मीटिंग में करते हैं ? मैं तो 20 साल में आज तक उस मीटिंग में नहीं गया हूँ, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि ज़रा आप बता दीजिए कि क्या इन हितग्राहियों के चयन की कोई प्रक्रिया है ? क्या उनको पैसे देने के लिए पात्र लोगों की स्वीकृति के लिए कोई मीटिंग होती है ? यदि मीटिंग नहीं होती है तो क्या आप इसकी व्यवस्था करेंगे ?

श्री लखन लाल देवांगन :- छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल अंतर्गत संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की योजना आवेदन नियोजक के माध्यम से मण्डल को प्राप्त होता है। जिसके प्रशिक्षण उपरांत श्रम कल्याण आयुक्त द्वारा उसको स्वीकृत किया जाता है। यदि आवश्यकता पड़ती है तो हम उसको केबिनेट में भी ले जाते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। यह तो मुझे भी मालूम है कि हर चीज केबिनेट से होता है और इसको तो पहली, दूसरी कक्षा के बच्चे भी जानते हैं। तांत्रिक की अंगूठी की

तरह हर चीज का ईलाज केबिनेट है। मैं आपसे पहला प्रश्न यह पूछ रहा हूँ कि हितग्राहियों का चयन कौन करता है कि इन हितग्राहियों को क्या-क्या देना है ? उसका चयन जिलेवार होता है या मण्डलवार होता है या मंत्रालय में होता है ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या बिलासपुर जिले के मजदूरों, हितग्राहियों के चयन के लिए बिलासपुर के जनप्रतिनिधियों या कोरबा के जनप्रतिनिधियों के साथ आपके अधिकारी बैठक लेकर तय करेंगे या आपने जो अधिकारी, प्रमुख सचिव बताया था, वह तय करेंगे ? आप मुझे यह बता दीजिए।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रमिकों का निर्माण श्रमिकों के रूप में 90 दिन से अधिक कार्य करने का प्रमाण पत्र जो ठेकेदार श्रम नियोजक, श्रम निरीक्षक, ट्रेड यूनियन द्वारा जारी हो और आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रथम पेज, बार पंजीयन, पांच वर्ष में नवीनीकरण, लाइव फोटो के माध्यम से उनका चयन होता है। इस प्रक्रिया के तहत उनको लाभ दिया जाता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, आप ठीक बोल रहे हैं लेकिन आप मेरी मंशा को नहीं समझ पा रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी श्रम मंत्री रहा हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इसमें सीमित संख्या नहीं होती है। इसमें लगभग सभी मजदूरों को उनके बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा देना है, यदि कोई प्लम्बर है तो उसको प्लम्बर के औजार देंगे, यदि कोई राजमिस्त्री है तो उसको राजमिस्त्री के औजार देंगे, यदि कोई मजदूर है तो मजदूर को खुदाई के लिए रापा, गैती, कुदाली देंगे। ये सभी मजदूरों के लिए है इसलिए इसकी कोई चयन प्रक्रिया नहीं है। जितने लोग आवेदन करते हैं उन सबको उपलब्ध करवाया जाता है।

श्री अजय चंद्राकर :- धर्मजीत भैया को क्या चाहिए ?

श्री धर्मजीत सिंह :- मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसमें आपके शहर के एक महापुरुष थे। (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- मंत्री जी, मोहले जी पूछ रहे हैं कि आप क्या-क्या औजार देते हैं ? (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मोहले जी को जो औजार चाहिए, वह तो हम नहीं दे सकते हैं। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, मेरा मतलब यह है कि कम से कम आप यह तो कर सकते हैं कि हमारे क्षेत्र के किन-किन श्रमिकों को आपने क्या-क्या व्यवस्था और सुविधा दी ? आप अपने अधिकारियों से उसकी सूची तो उपलब्ध करवा सकते हैं ताकि हम उनसे पूछ सकें कि आपको ठीक से पैसे मिले या नहीं मिले। हम आपसे हथियार नहीं मांग रहे हैं।

सुश्री लता उसेण्डी :- अगली बार से विधायकों की उपस्थिति में इसका वितरण कराया जाए ताकि यह विधायकों की जानकारी में आए।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, आप वितरण मत कराइये।

सुश्री लता उसेण्डी :- यह गड़बड़ी हमारी नहीं है, गड़बड़ी उधर होती है।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं इसलिए थोड़ा डरा हुआ हूँ कि पिछली सरकार में निगम-मण्डल में जो बैठे थे, वह एक बड़े नेता के बहुत खास थे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप मोहले जी से मिलकर हथियार ले लीजिए। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त। अब मैं शून्यकाल की सूचना लूंगा।

(प्रश्नकाल समाप्त)

समय :

12:00 बजे

श्री लखेश्वर बघेल (बस्तर) :- माननीय अध्यक्ष जी, हमने स्थगन प्रस्ताव आपको दिया है, उसमें भय, आतंक और नक्सली घटना से संबंधित है। इसको ग्राह्य करके चर्चा करवाएं।

अध्यक्ष महोदय :- संक्षिप्त में अपनी बात रखें, सभी सदस्य दो-दो मिनट में अपनी बात कह दें।

श्रीमती अनिला भेंडिया (डोंडीलोहारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर के आदिवासी अराजकता की आग में जल रहे हैं, आम आदिवासी दहशत में हैं। इसलिए हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव लाया है कि नक्सली गतिविधियां आपकी सरकार के आते ही बढ़ रही हैं तो इसमें काम रोककर चर्चा कराई जाये।

अध्यक्ष महोदय :- बताईए, आप चर्चा शुरू करिए।

श्री विक्रम मण्डावी (बीजापुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बस्तर की स्थिति बहुत ही ज्यादा चिन्ताजनक है। पिछले 1 दिसम्बर, 23 से 15 जनवरी, 2024 तक बस्तर में लगभग 38 घटनाएं हो चुकी हैं और वहां पर निर्दोष आदिवासी जेल जा रहे हैं, फर्जी मुठभेड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। और तो और 1 जनवरी, 2024 को बीजापुर के गंगालूर के मुदवेंडी गांव में क्रास फायरिंग में 6 माह की बच्ची की भी मौत हुई है, यह बस्तर के इतिहास में पहली बार हुआ है कि क्रास फायरिंग में 6 माह की बच्ची की भी मौत होना बहुत ही दुखद घटना है। जिस तरह से फर्जी मुठभेड़ हो रहा है, आदिवासी मारे जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, यह आदिवासियों की चिन्ता का विषय है और वे पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। और तो और पिछले पांच साल में जब राज्य में कांग्रेस थी तो सुरक्षा कैम्पों पर कभी भी हमला नहीं हुआ था। यह पहली बार हुआ है कि सुरक्षा कैम्पों पर भी हमला हो रहा है। इस तरह से बस्तर की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि बस्तर के इस महत्वपूर्ण विषय पर, आदिवासियों के महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन में चर्चा होनी चाहिए, यह मेरी मांग है।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में भाजपा सरकार के आने के बाद जिस हिसाब से नक्सली मूवमेंट बढ़े हुए हैं, आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, क्रास फायरिंग में 6 माह की दूधमुही बच्ची की गोली लगने से हत्या हो जाना, उसकी माँ का घायल हो जाना और निर्दोष आदिवासियों पर जो कार्यवाही हो रही है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। हम चाहते हैं कि स्थगन के माध्यम से ग्राह्य करें और इस पर चर्चा कराएं।

श्री भोलाराम साहू (खुज्जी) :- अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर माननीय सदस्य ने जो स्थगन प्रस्ताव लाया है, उस पर चर्चा कराई जाये क्योंकि यह आदिवासी समाज से जुड़ा हुआ मामला है।

श्री इन्द्रशाह मंडावी (मोहला-मानपुर) :- अध्यक्ष महोदय, सत्ता परिवर्तन के बाद आदिवासी क्षेत्र में बहुत ही गंभीर मामले आ रहे हैं और फर्जी एंकाउन्टर भी कर रहे हैं और वहां फर्जी जेल में भी डाल रहे हैं। इन सब मामलों को देखते हुए स्थगन को ग्राह्य कर उस पर चर्चा कराई जाये।

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी (भानुप्रतापपुर) :- अध्यक्ष महोदय, बस्तर के आदिवासी अराजकता की आग में जल रहे हैं और आम आदिवासी भी दहशत में जी रहे हैं। अपराध अनियंत्रित है और हर एक के मन में यही प्रश्न है कि कल उनका क्या होगा, उनके व्यवसाय और कृषि का क्या होगा और उनके घर की महिलाओं और बच्चों का क्या होगा? प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद में जिस तरह से नक्सली घटनाएं बढ़ी हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी चाहिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर में जो नक्सली घटना बढ़ी है, उसका असर है, वह पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में हो रहा है। मैं यह कहना चाह रही हूँ कि हमारे यहां के लोग वहां नौकरी कर रहे हैं। कोई सचिव के पद पर हैं, कोई फोर्स में गए हैं। वे सब अब पलायन की स्थिति में हैं, वे सब वापस अपने घर की ओर आ रहे हैं। उसको छोड़कर अपनी जमीन, अपने घर में रहना पसंद कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इसमें चर्चा कराई जाये।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (डोंगरगढ़) :- अध्यक्ष महोदय, 1 जनवरी, 2024 की शाम को लगभग 4 बजे थाना गंगालूर के ग्राम मुदवेंडी, जिला-बीजापुर में क्रास फायरिंग में 6 माह की बच्ची की मौत हो गई और उनके घरों में कई महिलाओं और बच्चों को इस तरह से मारा जाना प्रदेश में ऐसा कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस सरकार के रहते कभी भी सुरक्षा कैम्पों पर हमला नहीं हुए। आज नक्सली कैम्पों को बेखौफ निशाना बनाते हुए सुरक्षा बलों के जवानों को मारा जा रहा है। कवर्धा, जहां से नक्सलवाद की खबरें आना बंद हो गई थीं, आज वहां फिर से मुठभेड़ की घटनाएं हो रही हैं। यह अत्यंत पीड़ादायक माहौल है। नक्सलवाद को खत्म करने की बात को देखते हुए इसमें निर्णय लेना चाहिए, हमारा यह कहना है।

श्रीमती अम्बिका मरकाम (सिहावा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर में जो नक्सली घटना हुई है, यह बड़ा दुर्भाग्यजनक है। एक छोटी सी बच्ची का मृत्यु हो जाना, सुरक्षा कैम्पों में यह घटना घटित होना बड़ा दुर्भाग्यजनक है। इसलिए आपसे निवेदन है कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराई जाये।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा (खैरागढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर में वहां जो आदिवासी लोग रहते हैं, हर एक आदिवासी दहशत में जी रहे हैं कि कल हमारा क्या होगा। उनका व्यवसाय, कृषि, उनके बच्चे अपने घर में सुरक्षित कैसे रहेंगे। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिस तरह से नक्सली घटनाएं बढ़ रही हैं, वह दुर्भाग्यजनक है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से यह कहना चाहती हूँ कि नक्सली घटनाएं भा.ज.पा. शासनकाल में बढ़ रही हैं, उस पर रोक लगाई जाये और इस स्थगन पर चर्चा कराई जाये।

श्री जनक धुव (बिन्दानवागढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर में नक्सली मुठभेड़ हो रहा है और घटनाएं घट रही हैं। साथ ही साथ मेरे बिन्दानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत गरियाबंद जिले में भी इस प्रकार मुठभेड़ के समाचार आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस स्थगन पर चर्चा कराई जाये।

श्री भोलाराम साहू (डोंगरगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर के आदिवासी लोग अराजकता की आग में जल रहे हैं। आम आदिवासी दहशत में जी रहे हैं। अपराध अनियंत्रित है। हर एक के मन में यही प्रश्न है कि हमारा क्या होगा। हमारे साथियों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है, इस पर चर्चा कराने की मांग है। मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा कराई जाये।

श्रीमती चातुरी नंद (सराईपाली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां की कांग्रेस और केन्द्र सरकार आपस में मिलकर भा.ज.पा. सरकार जितना भी कैम्प खोले बर कहिस ओला कांग्रेस सरकार पूरा करत गइस अउ नक्सली गतिविधि कम होत गइस। सन् 2010 में जहां आम नागरिक और सुरक्षा कर्मियों के मौत के आंकड़ा 1,050 रहिस, वह घटकर 98 रह गइस है। अर्थात् 90 प्रतिशत के कमी आय है। तो उक्त तथ्य ला स्वयं केन्द्र सरकार हा स्वीकार करे है। तो मैं निवेदन करत हव कि ये स्थगन में चर्चा कराय जाए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये धन्यवाद। मेरे खयाल से सभी सदस्यों ने अपनी बात कही दी है। प्रदेश के नक्सल घटनाओं में वृद्धि एवं उससे उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। मैंने सभी सदस्यों की बातें सुनी। प्रदेश की नक्सली घटनाओं में वृद्धि और उससे उत्पन्न स्थिति को लेकर मुझे श्री विक्रम मण्डावी जी एवं अन्य सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई। इसी विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना, चर्चा हेतु सम्मिलित है। विषय महत्वपूर्ण है, जो नक्सल समस्या से जुड़ा हुआ है। इस पर चर्चा होगी और आपकी बात आ जायेगी। अतः विचारोपरांत मैं इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता, इसे अग्रहय करता हूं।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्यगण चाह रहे हैं कि इस पर चर्चा हो, यह बस्तर से जुड़ा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने ध्यानाकर्षण स्वीकार कर लिया है। उसमें प्रश्न पूछने के लिए आपको पर्याप्त समय दूंगा और उस पर चर्चा हो जायेगी। अभी आपने बात कह दी है। अब आगे की कार्यवाही में बढ़ते हैं।

समय :

12.09 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2023-2024

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2023-2024 पटल पर रखता हूँ।

समय :

12:00 बजे

(2) पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 (01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक) पटल पर रखता हूँ।

(3) कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 (1 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023) तक पटल पर रखता हूँ।

(4) विश्वविद्यालयों के वार्षिक प्रतिवेदन

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार :-

- (i) संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 (1 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023)

- (ii) पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का 59 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 (1 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023 तक)
- (iii) शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2022-23
- (iv) हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग का अष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 (1 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023 तक)
- (v) अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर का एकादश वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2022-2023 तथा
- (vi) शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 (1 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023) तक पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव । श्री अजय चन्द्राकर जी ।

समय

12.13 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) प्रदेश में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल भवनों के पुनर्निर्माण कराने के नाम पर अनियमितता की जाना.

सर्वश्री अजय चन्द्राकर (कुरुद), श्री अनुज शर्मा, श्रीमती भावना बोहरा, सदस्य :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

प्रदेश में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने के नाम पर अनियमितता की गई है एवं स्कूल के बच्चों व शिक्षकों के जानमाल के साथ खिलवाड़ किया गया है । कई ऐसे स्कूल हैं, जहां रंगरोगन व पुराने भवन के पुनर्निर्माण के नाम पर लाखों रुपये की अनियमितता की गयी है । उनमें से एक स्कूल राजधानी रायपुर के आमापरा में स्थित पंडित रामदयाल तिवारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जिसे पूर्ववती सरकार द्वारा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में तब्दील किया गया । वहां रंगरोगन व भवन के पुनर्निर्माण के नाम पर लगभग 50 लाख रुपये व्यय किया गया, परिणाम स्वरूप स्कूल के जर्जर सीलिंग के स्लैब का 6 बाई 6 का टुकड़ा नीचे आ गिरा, जहां पर बच्चे व शिक्षक वार्षिकोत्सव की तैयारी कर रहे थे । उसकी जांच में पाया गया कि स्कूल को नया रूप देने के लिये अफसरों ने बाहरी दीवारों पर जमकर रंगरोगन कराया, परंतु भीतर की जर्जरता को छिपाने कुछ जगहों पर सीमेंट का लेप, पीओपी और फाल्स सीलिंग भी कराया गया । इस तरह जर्जर भवन व की छत की

मरम्मत कराए बगैर ही गैरजिम्मेदाराना तरीके से उसे तैयार कर दिया गया । इस प्रकार भवन के स्ट्रक्चर को मजबूत नहीं किए जाने से स्लैब का बड़ा टुकड़ा गिरा और स्कूल के बच्चे और शिक्षक सहम गए । इस घटना की जानकारी से शासन-प्रशासन को भी अवगत करया गया, इसके बावजूद भी सरकार इसे अनदेखा कर रही है, जिसके कारण स्थानीय प्रबंधन के साथ-साथ बच्चों के परिजनों में सरकार के प्रति काफी रोष व आक्रोश व्याप्त है ।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में कुल 751 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय संचालित है, जिनमें 403 अंग्रेजी माध्यम तथा 348 हिन्दी माध्यम के हैं । इन विद्यालयों के संचालन के लिये कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है, इनके द्वारा सभी कार्यों का संचालन किया जाता है एवं कलेक्टर द्वारा निर्धारित एजेंसी द्वारा निर्माण कार्य कराया जाता है । प्रदेश में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्ष, टायलेट, लाईब्रेरी, प्रयोगशाला एवं अन्य कुल 2043 निर्माण कार्य एवं जीर्णोद्धार कराये गये हैं । स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के छात्रों को वे सभी सुविधायें दी जाती हैं, जो अन्य शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों को दी जाती है ।

रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा आर.डी.तिवारी स्कूल का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कार्यदेश दिनांक 03.07.2020 को प्रदाय कर प्रारंभ किया गया । कार्य के अंतर्गत स्कूल के पुराने भवन का जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ किया गया, जिसमें सभी क्लास रूम, स्टॉफ रूम, प्रिंसपल रूम का संधारण एवं पुराने कक्षों में आवश्यकतानुसार पुराने प्लास्टर को तोड़कर नये प्लास्टर शौचालय संधारण कार्य, कमजोर स्लेब बीम के समानांतर स्टील गर्डर तथा बीम-कॉलम को ग्राउंटिंग कर स्ट्रेंथनिंग कार्य किया गया। यह बात सही है कि राजधानी के आमापारा में स्थित आर.डी. तिवारी स्कूल को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में तब्दील किया गया है, उसकी छत के प्लास्टर एवं कांक्रीट का कुछ हिस्सा गिरा है, जिसकी मरम्मत कराई जा रही है। इसकी जांच कराई गई, जांच में पाया गया कि जहां प्लास्टर गिरा है, वहां जब पूरे स्कूल की मरम्मत की जा रहा थी, तब वहां का प्लास्टर ठीक होने के कारण नया प्लास्टर नहीं किया गया था। स्लैब के ऊपर बाथरूम का पानी सीपेज होने के कारण स्लैब का निचले हिस्से का प्लास्टर गिर गया था। टेक्नीकल एक्सपर्ट से इसका संधारण कराया जा रहा है। जीर्णोद्धार एवं नवीन कार्य की कुल लागत 407.63 लाख है। कार्य दिनांक 30.06.2021 को पूर्ण किया गया है। उक्त शाला का निर्माण कार्य कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के माध्यम से कराया गया है। जीर्णोद्धार एवं नवीन कार्य के लिये राशि की व्यवस्था स्मार्ट सिटी मद से रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के माध्यम से प्राप्त हुआ।

प्लास्टर गिरने से घटना के पश्चात् तत्काल शासन प्रशासन द्वारा मरम्मत कार्य प्रारंभ कर दिया गया है तथा स्थानीय प्रबंधन एवं बच्चों के परिजनों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- इस ध्यानाकर्षण में तीन माननीय सदस्यों का नाम है। श्री अजय चन्द्राकर जी, श्री अनुज शर्मा जी, श्रीमती भावना बोहरा। नियमानुसार आप प्रश्न पूछ सकते हैं। माननीय अजय चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पहले यह बताना चाहता हूँ कि आत्मानंद स्कूल खोले गये। उसमें कोई नया कोर्स नहीं, कोई नई बिल्डिंग नहीं, कोई नई किताब नहीं, कोई नया करिकुलम नहीं, कोई नई भर्ती नहीं हुई। हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर सारे मोशन में यह बोलते रहे कि यह पूरे प्रदेशभर का मेंटेनेंस घोटाला है। जितने पैसे मेंटेनेंस में खर्च किये गये हैं, उतने में नया स्कूल भवन बन जाता। मुझे बृजमोहन जी से ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि जैसा लिखा हुआ है, वह वैसा ही लीपापोती वाला उत्तर दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आर.डी. तिवारी स्कूल में कौन-कौन से हिस्से में क्या-क्या मरम्मत कार्य कराये गये और किस मेंटेनेंस की जरूरत है ? उसकी रिपोर्ट उपलब्ध करवायें।

दूसरा, यह रिपोर्ट किस तकनीकी संस्था के द्वारा तैयार की गयी कि उस स्कूल में कौन-कौन से मरम्मत के कार्य हैं ? उस मेंटेनेंस में किस मद का उपयोग किया गया ? क्या नियमानुसार, उस स्मार्ट सिटी मद का उपयोग किया जा सकता है ?

तीसरा, क्या स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पास तकनीकी क्षमता है, जिससे उन्होंने उसमें निर्माण कार्य संपादित करवाये ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पास जो टी.सी.एल. कंपनी है, वह उसकी कंसल्टेंट कंपनी है। उसका जो एस्टीमेट बनाया, वह टी.सी.एल. कंसल्टेंट कंपनी ने बनाया। वह पूरे देश की ख्याती नाम कंपनी है। उसी कंपनी ने उसका एस्टीमेट बनाया और उस आधार पर उसकी रिपेयरिंग हुई।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न में ही और सवाल पूछे थे। टी.सी.एल. कंपनी सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही काम करती है और बाकी जगहों पर वह ब्लैक लिस्टेड रहती है। वह इतनी एक्सपर्ट कंपनी है कि वह मूर्ती भी बनाती है। कल मूर्ती बनवाने का विषय भी आयेगा। आप ही उससे मूर्ती बनवा रहे हैं। मैंने यह पूछा कि टी.सी.एल. कंपनी ने क्या-क्या रिपोर्ट बनाई कि आर.डी. तिवारी स्कूल में मेंटेनेंस की जरूरत है ? उसमें किस मद का उपयोग किया गया ? क्या उसमें नियमतः उस मद का उपयोग किया जा सकता है ? अब उन्होंने रिपोर्ट बना दी। मैंने यह पूछा कि रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पास कौन-सी तकनीकी संस्था है जिन्होंने मेंटेनेंस का कार्य संपादित किया ? क्योंकि

इसमें लिखा है कि रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा उसका कार्य करवाया गया ? इसका जवाब आ जाये फिर मैं दूसरा प्रश्न करूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पास टी.सी.एल. कंपनी है, वह तकनीकी संस्था है। उस तकनीकी संस्था के द्वारा एस्टीमेट बनाया गया और उस एस्टीमेट के माध्यम से वहां का पूरा टॉयलेट बनाना, बिल्डिंग का रेनोवेशन करना, प्रयोगशाला बनाना, शेड बनाना, खाना बनाने का शेड बनाना, इन सब चीजों का परीक्षण करके उसका निर्माण किया गया है। माननीय अजय चन्द्राकर जी, आपका मूल उद्देश्य क्या है ? आप क्या चाहते हैं यह बता दीजिये ? मैं आपको बता देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, आप स्पेसिफिक प्रश्न करिये। आप दोनों ही इतने सीनियर सदस्य हैं। आप अच्छा प्रश्न करिये, अच्छा जवाब आ जायेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिक प्रश्न ही पूछा है। मैं अच्छा प्रश्न ही कर रहा हूं लेकिन वह जवाब देंगे तब तो आगे बढ़ूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा काम कराया गया। यह बता रहे हैं कि वह तकनीकी समिति है। यह बता रहे हैं कि उन्होंने उसका प्राक्कलन बनाया। प्राक्कलन तो किसी ने भी बना दिया। एक, मैंने यह पूछा है कि कार्य किसके द्वारा संपादित कराया गया ? दूसरा, मैंने यह पूछा है कि क्या स्मार्ट सिटी के मद का उपयोग मेंटेनेंस के लिये किया गया है। उसको आपने स्वीकार किया है। मैंने यह पूछा है कि क्या स्मार्ट सिटी के नियमों में यह बात है कि हम मेंटेनेंस में इस मद की राशि को व्यय कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्मार्ट सिटी के सराउडिंग वर्क्स हैं, उसमें शिक्षा के लिए खर्च किया जा सकता है। इसकी व्यवस्था है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने फिर कहा कि इसमें स्मार्ट सिटी लिमिटेड मरम्मत की एजेंसी थी क्या ? टी.सी.आई.एल. निर्माण के प्राक्कलन बनाने वाली थी, मैंने यह स्वीकार कर लिया। इसमें स्मार्ट सिटी लिमिटेड के माध्यम से कार्य कराया गया तो स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने किसके द्वारा कराया ? उसकी खुद की तकनीकी क्षमता है ? आर.ई.एस. है, पी.डब्ल्यू.डी. है, डब्ल्यू. आर.डी. है ऐसी कोई एजेंसी के माध्यम से करवाएं या उसके पास खुद इंजीनियर, मजदूर है, कौन हैं ? उन्होंने किसके द्वारा यह काम करवाया कि उसके अध्यक्ष ने खुद चढ़कर, पोताई कर दी?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी मेसर्स सरस शुक्ला एण्ड कंपनी कॉन्ट्रैक्टर है, उसके माध्यम से करवाया गया। इसमें कार्य का जो तकनीकी स्टाफ है वह मैनेजर सिविल,

डिप्टी मैनेजर सिविल, जो स्मार्ट सिटी में हैं उनके माध्यम से करवाया गया और टी.सी.एल. कंपनी के सुपरविजन में करवाया गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरा आखिरी प्रश्न है फिर माननीय सदस्य लोग प्रश्न पूछेंगे। इसमें केवल चार करोड़ रुपये का मेनटेनेंस वर्क है। जो पी.डब्ल्यू.डी. के एस.ओ.आर. हैं जो प्रदेश में चलते हैं उसमें थोड़ा बहुत और पैसा मिलाने से आर.डी. तिवारी के लेवल की नई स्कूलें बन जातीं। उसमें उतना मेनटेनेंस कराने के बाद भी दुर्घटना घटी। यह घटना, जो मेनटेनेंस घोटाला है, यह पूरे प्रदेश में है। क्या आप उस घटना, राशि के उपयोग, दुरुपयोग की जांच करवायेंगे?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अजय चन्द्राकर जी की बात से सहमत हूँ कि जितनी भी स्वामी आत्मानंद स्कूलें खोलीं गईं। हम स्वामी आत्मानंद जी को सम्मान करते हैं और उनको प्रणाम भी करते हैं, परन्तु उनके नाम पर जिस प्रकार की अनारकी, भ्रष्टाचार किया गया है। इसमें लगभग 800 करोड़ रुपये खर्च किया गया है और इसके लिए तुगलकी आदेश हुआ कि आप कहीं से भी पैसा ले आईये और इसको बनाईये। कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति होगी और...

अध्यक्ष महोदय :- माननीय अजय जी वही पूछना चाहते हैं कि आप इसमें जांच कराकर, कार्यवाही करेंगे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी एक पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ कि यह बड़ा दुर्भाग्यजनक है। हमने यह निर्णय किया है अब छत्तीसगढ़ में कई प्रकार की स्कूलें चलने लगीं, उसमें शिक्षा विभाग का नियंत्रण समाप्त हो गया। उसे कलेक्टर देखेगा। हमने इस पूरे मामले लिया। क्योंकि सरकार सरकार होती है भले पहले उनकी सरकार हो, आज हमारी सरकार हो, सरकार, सरकार होती है, परन्तु जितनी स्वामी आत्मानंद हैं उसको व्यवस्थित करने के लिए और शिक्षा व्यवस्था में अलग-अलग व्यवस्था नहीं हो। हम इसके बारे में विचार कर रहे हैं। जहां पर भी कोई भ्रष्टाचार, कोई गलत काम करने की शिकायत प्राप्त होगी, हम उसकी जांच करवाएंगे, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कोण्डागांव जिले का भी स्कूल है।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। पहले प्रश्नकर्त्ता आ जाएं फिर आपको प्रश्न पूछने का अवसर दूंगा।

श्री अनुज शर्मा (धरसीवा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में भी ऐसी घटना एक बार हुई थी फिर उसके बाद यह तय किया गया कि जो स्कूल भवन है उसका इंजीनियरों के द्वारा ऑडिट कराया जाएगा। अगर ऐसी घटना आर.डी. तिवारी स्कूल में हुई तो क्या इस भवन का इंजीनियरों के द्वारा ऑडिट हुआ था? और अगर ऑडिट नहीं हुआ था तो उसका कारण क्या है कि इन भवनों को लेकर ऑडिट को क्यों बंद किया गया ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पुराने भवन का ऑडिट करने के बाद ही नये भवन का निर्माण किया गया।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो जानकारी है उसमें यह ऑडिट हुआ ही नहीं है। उसका ऑडिट बंद कर दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय :- आप कोई नई जानकारी दे दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरी जानकारी में है कि इसका ऑडिट हुआ और फिर ऑडिट होने के बाद ही इसके निर्माण का काम किया गया। इसके निर्माण कार्य के बाद, सत्यापन के बाद में ठेकेदार को...

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 11.1.2024 को समाचारपत्रों में छपा था, मेरे पास उसकी प्रति है। मैं माननीय मंत्री जी को उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नोटिस आया नहीं है। आप दिनांक 11.1.2024 बता रहे हैं।

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्वामी आत्मानंद स्कूलों में जो शिक्षकों की भर्ती हुई है, उस विषय पर है। सबसे पहला विषय यह है कि शिक्षा कर्मियों जिनकी संख्या आलरेडी इसमें बहुत कम है, जो स्कूल काफी खाली जा रहे हैं, इतने शिक्षा कर्मियों को स्वामी आत्मानंद स्कूल में deputation में ले जाया गया है और दूसरा विषय यह है कि जो शिक्षक provisional period में थे, उनको भी deputation पर ले जाया गया। उन्होंने अपना provisional period पूरा नहीं किया था, उनको deputation में किस नियम के तहत शिफ्ट किया गया है? तीसरा विषय यह है कि जो फर्नीचर, स्मार्ट क्लास की बात स्वामी आत्मानंद स्कूल में हो रही है, क्या उसमें भी जांच होगी? क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में स्मार्ट क्लास एक-दो महीने चलने के बाद बंद हो गई हैं और फर्नीचर बैठने लायक नहीं हैं। कृपया तीनों विषय पर उत्तर देने का कष्ट करें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि तत्कालीन समय पर जो स्कूलें चल रही थीं, उन स्कूलों में जो अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक थे, भावना बोहरा जी, अब शिक्षा कर्मों शब्द समाप्त हो गया है। अब सहायक शिक्षक, शिक्षक और लेक्चरर कहते हैं।

श्रीमती भावना बोहरा :- मैं अपने शब्द वापिस ले करके सहायक शिक्षक संबोधित करती हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उसमें उन शिक्षकों को deputation पर लिया गया है और उसके साथ में संविदा पर भी शिक्षकों को रखा गया है। किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होगी तो हम उसकी जांच करवायेंगे। हम उसमें कोई कोताही नहीं करेंगे और जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, deputation की जगह में स्वामी आत्मानंद स्कूल में सेट अप के हिसाब से नई भर्ती होनी चाहिए।

श्रीमती भावना बोहरा :- provisional period में जो शिक्षक थे, उनको किस आधार पर वहां पर रेगुलर टीचर बनाया गया है ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, क्या इनके लिए अलग से सेट-अप मंजूर किया गया है या पुराने सेट-अप में ही काम चल रहा है ? मूल प्रश्न सदस्य जी का ये है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए सेट-अप मंजूर किया गया है कि प्राइमरी स्कूल होगी तो इतने लोग होंगे, मिडिल स्कूल होगी तो इतने लोग होंगे, हाई स्कूल होगी तो इतने लोग होंगे, हायर सेकेण्डरी स्कूल होगी तो इतने लोग होंगे परंतु उसके लिए शासन के बजट में किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- उसके लिए नियुक्ति नहीं की गई। बजट प्रावधान नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, deputation से, डी.एम.एफ. मद से और अन्य सहायता से वहां पर संविदा नियुक्तियां दी गई हैं और जो हमारा पुराना सेट-अप है, उसी के अनुसार इसका भी सेट-अप है। इसके लिए कोई सेट-अप नहीं है। मैं सभी सदस्यों की चिंताओं से वाकिफ हूं। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जो नया शिक्षा सत्र होगा, उस नये शिक्षा सत्र में इस प्रकार की मनमानी वाली जितनी स्कूले हैं, उनको हम सबको एक ही छत्र में ले आयेगें और शिक्षा विभाग के अंतर्गत ले आयेगें। किसी अधिकारी, किसी मंत्री की मनमानी नहीं चलेगी।

श्रीमती भावना बोहरा :- इसमें एक विषय स्पष्ट कर दें कि provisional period में जो शिक्षक थे, उनको वहां पर deputation पर लेकर गये हैं तो क्या उनकी क्वालीफिकेशन की जांच होगी या फिर उनको deputation से वापिस लाकर provisional period पूर्ण कराया जायेगा ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उनका provisional period तो पूर्ण होगा ही, उसके बिना तो वह रेगुलर हो ही नहीं सकते।

श्रीमती भावना बोहरा :- उनको बिना provisional period पूर्ण हुए शिफ्ट कर दिया गया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह लोग ले गये हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनका provisional period है, उनका provisional period पूर्ण होने के बाद ही उनकी रेगुलर नियुक्ति होगी। जो लोग वहां पर deputation पर भी गये हैं, उन deputation वालों को भी, चूंकि वह शिक्षा विभाग की स्कूलें हो जायेंगी, उसके बाद जो उनका अलग-अलग चल रहा था, वह ठीक हो जायेगा।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आपकी अनुमति से एक विषय यह भी लेना चाहूंगी स्कूल प्रायः शिफ्ट में चल रहे हैं, अभी मार्निंग और डे आवर की शिफ्ट में टीचर कम हो रहे

हैं, कृपया इसमें भी प्रकाश डाल देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप लिख कर दे दीजिए।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी और माननीय अजय चन्द्राकर जी की मिलीभगत है, आप देखिये कि आज दोनों के ड्रेस शेम है।

अध्यक्ष महोदय :- आज दोनों मेचिंग का ड्रेस पहनकर आये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो एक प्रस्ताव आपकी अनुमति से रखता हूँ कि स्वामी आत्मानंद स्कूल भूपेश बघेल जी की सरकार के आनंद के लिए खोला गया था। इसलिए उस नाम को बदलकर हम आत्मानंद जी के नाम से नई योजना शुरू कर लेंगे, इसका नाम भूपेशानंद कर देंगे।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विषय जरूर लेना चाहूंगी कि जिस समय राज्यपाल जी का अभिभाषण हो रहा था, इंग्लिश में अभिभाषण दिया, उस समय इन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी और आज स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल की तारीफ कर रहे हैं। आप लोगों ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में ही अभिभाषण दिया है। पहले आप क्लीयर कर लें कि इंग्लिश में पढ़ाना है या फिर नहीं पढ़ना है ?

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय में हम लोग प्रश्न लगाये थे, हमारे जो पहले स्कूल थे या तो शिक्षा विभाग या ट्राइवल में आते थे। स्वामी आत्मानंद स्कूल खुलने के बाद में उसमें जो आदेश जारी हुआ है, उसमें शासन का नहीं है, कलेक्टर के प्रसादपर्यन्त तक वह स्कूल चलेगी। मतलब कलेक्टर जब तक चाहेगा, तब तक वह स्कूल चलेगी। कलेक्टर बदल गया, आने वाला कलेक्टर नहीं चाहेगा तो वह स्कूल नहीं चलेगी। आखिर उन विद्यार्थियों का क्या होगा जो उन स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं ? मतलब पूर्ववर्ती सरकार के इन बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का काम द्वारा किया गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो स्वामी आत्मानंद स्कूल हैं, उसको आपने आने वाले समय के लिए आश्वासन दिया है। वह स्कूल कलेक्टर के प्रसाद पर्यन्त न रहे, शासन के नियंत्रण में रहे, शिक्षा विभाग के नियंत्रण रहे और उसके सेटअप के साथ में और बिल्डिंग के साथ में आप नये स्कूल न खोलें। नये स्कूल खोलने के बजाय अभी जो पुराने स्कूल चल रहे हैं, उसको कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, उस पर आप विचार करके उसको रेगुलाईज करेंगे तो मुझे लगता है कि उनकी भविष्य में यह उचित होगा। नहीं तो वह कलेक्टर के प्रसाद पर्यन्त रहेगा और कलेक्टर हटने के बाद स्कूल हट जाएगा।

अध्यक्ष महोदय :- आपका सुझाव ठीक है। चलिये।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- अध्यक्ष जी, जरा मैं भी एक मिनट बोल देता हूँ। स्वामी आत्मानंद जी तक तो कोई तकलीफ है, लेकिन हमारे यहां और कई महापुरुष हैं, जिन लोगों ने पहले दान दिया है,

जमीन दिया है, उनका बोर्ड इन्होंने हटाकर स्वामी आत्मानंद स्कूल नाम लिख दिए हैं। भाई, वे लोग जमीन दिए हैं, वह उस क्षेत्र के महापुरुष हैं। इनकी सरकार ने तखतपुर में जे.एम.पी. महाविद्यालय, जे.एम.पी. हायर सेकेण्डरी स्कूल का नाम ही बदल दी है। जबकि उन्होंने सन् 1961 में कई एकड़ जमीन दी थी। विनोबा भावे जी जिस स्कूल का उद्घाटन किये थे, वह स्कूल गायब हो गया। मंत्री जी, उसका भी खोजवा दीजियेगा। उस स्कूल का नाम लिखवा दीजियेगा।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय मंत्री जी, एक छोटा सा निवेदन है।

श्री राजेश मूणत (रायपुर नगर-पश्चिम) :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कह दी कि आने वाले शिक्षा सत्र के अंदर शिक्षा विभाग में यह स्कूल सम्मिलित किए जायेंगे। क्या इनका नया सेटअप भी स्वीकृत करेंगे और इसकी नई भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी? क्योंकि उन बच्चों के लिए उस स्कूल को इंग्लिश मीडिय के रूप में खोलने की इच्छा अच्छी थी, लेकिन उसके अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जो अप्रोच से टीचर आए थे, उसको आपने कहा कि उन सब को एकरूपता में ला देंगे। क्या नया सेटअप स्वीकृत करके नई भर्ती प्रक्रिया के तहत इसको व्यवस्थित करेंगे, यह आपसे आग्रह है?

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसमें एक और चीज जोड़ना चाहता हूं कि भृत्यों और सफाई कर्मियों की व्यवस्था नहीं है। ऐसे स्कूलों में न सिर्फ शिक्षकों की ही भर्ती होनी चाहिए बल्कि इन लोगों की भी भर्ती होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जाने-माने हिंदी मर्मज्ञ और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले पं. रामदयाल तिवारी जी का नाम विलोपित किया गया, स्वीर्गीय बद्री प्रसाद पुजारी जी का नाम विलोपित किया, शहीद स्मारक जो शहीदों के स्मारक के नाम पर नाम विलोपित किया गया, बिलासपुर में जो लाल बहादुर शास्त्री स्कूल है, उसका नाम विलोपित करके स्वामी आत्मानंद स्कूल रखा गया। जे.एम.पी. किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विषय माननीय अजय चन्द्राकर जी ने उठाया है कि रायपुर में स्मार्ट सिटी का जो विषय आया, वही स्थिति बिलासपुर में भी लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के साथ भी की गई है। वहां पर स्मार्ट सिटी बनाकर करोड़ों रुपये का काम कराया गया। आत्मानंद स्कूलों के उन्नयन कार्य में जो सबसे उम्दा उदाहरण आया है, वह नगरी सिहावा का है। वहां पर श्रद्धेय सप्त ऋषियों में से ऋंगी ऋषि जी के नाम पर जो विद्यालय चलता था, जो पुरानी बिल्डिंग थी, उस पर 13-14 करोड़ रुपये के काम कराये गये। वह क्षेत्र नगर पंचायत का है परंतु काम पंचायतों के माध्यम से काम कराया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- एजेन्सी आज तक भुगतान नहीं हुई। शहर में बनाने के लिए चार पंचायतों को उसकी एजेंसी बनाई गई है।

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, यह अपने आप में अद्भूत घोटाला है। मैं इस पर भी मंत्री जी का जांच चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बहुत प्रश्न आ गये हैं।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों की चिंताओं से अवगत हूं। मैं आज इस सदन में इस बात को कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी शिक्षा सत्र चल रहा है, बच्चों की भविष्य के कारण, परंतु अगले शिक्षा सत्र में कलेक्टर की जितनी समितियां हैं, उन सबको भंग कर दिया जाएगा। (मेजों की थपथपाहट) अब इन सभी स्कूलों को शिक्षा विभाग के अंतर्गत संविलियन कर लेंगे, शिक्षा विभाग के अंतर्गत रहेंगे। अभी तो अजीब स्थिति है। प्रिंसिपल हमारे सरकारी स्कूल का है। वह कलेक्टर के अंडर में प्रतिनियुक्ति में चले गया, उसको ट्रेजरी से पेमेंट मिलना बंद हो गया। उसका भविष्य समाप्त हो रहा है। उसको जो पेमेंट मिलाता है, वह कलेक्टर को चेक जाता है और कलेक्टर उसको चेक के माध्यम से उसको पैसा देता है। जो 20-30 साल से लेक्चरर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल काम कर रहे थे, उनका भविष्य भी असुरक्षित हो गया है। हम सभी बातों से अवगत हैं और आने वाले समय पर इसकी चिंता करके जो भी शिकायत करेगा कि कहां-कहां पर आत्मानंद स्कूल के निर्माण में यह-यह गड़बड़ हुई है, तो हम निश्चित रूप से एक उच्च-स्तरीय समिति बनाकर उसकी जांच करवायेंगे, परंतु बच्चों की भविष्य के कारण कोई भी नई स्कूल नहीं खोली गई है। हमारी जो पुरानी स्कूले थीं, पुरानी स्कूलों को ही स्वामी आत्मानंद स्कूल में परिवर्तित किया गया है और जो नाम की बात है तो हमारी सरकार का निर्णय है कि जो हमारे महापुरुष हैं, जो क्षेत्र के अग्रज लोग हैं, ऐसे लोगों के नाम को यदि बदला गया है तो स्वामी आत्मानंद जी के साथ-साथ उनका नाम भी वहां पर लिखा जाएगा। उनको नाम का बोर्ड लगाये जायेंगे, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ठीक है। द्वारिकाधीश जी।

(2) जिला-सुकमा के टेकलगुडेम में नक्सली मुठभेड़ में तीन जवानों का शहीद होना ।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :-

छत्तीसगढ़ प्रदेश के बस्तर क्षेत्र अंतर्गत जिला सुकमा के टेकलगुडेम गांव के निकट पुलिस बल, सी.आर.पी.एफ. तथा नक्सल मुठभेड़ में तीन जवान शहीद हो गये । विगत दो माह में प्रदेश में नक्सल घटनाओं में तेजी आई है । 30 जनवरी 2024 को घटित नक्सली घटना से पूरा प्रदेश आंदोलित है । पुलिस बल, सी.आर.पी.एफ. के जवानों के सर्चिंग के दौरान मुठभेड़ में घटित इस घटना से प्रदेश के कानून, सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगता है । विगत वर्षों में नक्सल घटनाओं में कमी हुई थी किंतु पुनः नक्सल घटनाओं के सिर उठाने से बस्तर क्षेत्र के विकास की ओर अग्रसर योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

मुख्य धारा में लौट रहे आम जनता का जीवन पुनः भय से ग्रसित है । इस घटना से क्षेत्र व प्रदेश के आम जन में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का संजीदा होना और इस गंभीर विषय पर गंभीर और चिंतित होना बहुत लाजिमी है और इस पर पूर्ण चर्चा होना बहुत आवश्यक भी है । यह जो विषय है इसके संदर्भ में विस्तृत जानकारी सभी को होना भी बहुत आवश्यक है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उस दिन जो कुछ हुआ था । दिनांक 30 जनवरी को टेकलगुड्डेम की घटना का उल्लेख है तो मैं यह जरूर बताना चाहता हूं कि कोबरा 201 बटालियन, सी.आर.पी.एफ., डी.आर.जी. इन सभी सशस्त्र बलों की संयुक्त टीम लगभग 1300 से अधिक वह लोग उस स्थान पर जाकर विकास का आधार रखना चाहते थे । विकास का कैम्प बना रहे थे तो उसी समय 300 से 500 की संख्या में नक्सलियों ने बी.जी.एल. और ऑटोमेटिक वेपन्स के थू कायरना हमला किया और उसमें हमारे 3 जवान शहीद हुए । यह सच है कि उस विषय में बहुत से नक्सली भी हताहत हुए हैं, उनके बहुत सारे सामान जब्त किये गये हैं, बंकर जब्त किये गये हैं परंतु हमारे जो 3 जवान शहीद हुए हैं । मैं सर्वप्रथम तो उन जवानों को जो देश के कोने-कोने से आये थे, जिन्होंने मां भारती की सेवा के लिये, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिये अपने प्राण न्यौछावर कर दिये । मैं उनके चरणों में नमन् करता हूं । उन 3 जवानों के साथ-साथ और 17 लोग घायल हुए थे । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें आपको यह बताना चाहता हूं कि जवानों के उत्साहवर्धन के लिये जब उन घायल जवानों में से 8 जवानों को एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया, दो विभिन्न अस्पतालों में रखा गया ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, उन्होंने ध्यानाकर्षण पढ़ा । आप पहले वक्तव्य पढ़ दें, जो आपने दिया है । उसके बाद फिर कोई प्रश्न आयेगा तो उसका जवाब देंगे । आप एक-बार पूरा वक्तव्य पढ़कर सुना दीजिये ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला सुकमा एवं बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र के माओवादी कोर इलाकों में रणनीतिक बढ़त, माओवादी विरोधी अभियानों को गति प्रदान करने तथा शासन के विभिन्न कल्याणकारी एवं विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु सिलगेर-पूर्वती-कुण्डपल्ली एक्सिस पर जिला सुकमा, थाना जगरगुण्डा के टेकलगुड्डेम में नवीन कैम्प की स्थापना हेतु उप महानिरीक्षक सी.आर.पी.एफ. एवं पुलिस अधीक्षक, जिला सुकमा के नेतृत्व में रवाना सी.आर.पी.एफ., एस.टी.एफ. एवं डी.आर.जी. की संयुक्त पार्टी पर दिनांक 30.01.2024 को दोपहर लगभग 12.30 बजे ग्राम टेकलगुड्डेम के समीप लगभग 300 से 400 माओवादियों द्वारा बी.जी.एल. एवं अन्य ऑटोमेटिक हथियारों से फायर किया गया ।

सुरक्षा बलों द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही किया गया । पुलिस की जवाबी कार्यवाही से माओवादी जंगल की आड़ लेकर भाग गये । मुठभेड़ लगभग 04 घंटे तक चली । मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 03 जवान शहीद तथा 17 जवान घायल हो गये । घायल जवानों का मौके पर ही उपस्थित डॉक्टर द्वारा

प्राथमिक उपचार कर बेहतर ईलाज हेतु जगदलपुर तथा रायपुर भेजा गया। पुलिस एवं सुरक्षाबलों के जवाबी कार्यवाही से हतोत्साहित माओवादी अपने घायल एवं मृत साथियों को लेकर जंगल की ओर भाग गये। मुठभेड़ स्थल की तलाशी पर खून के धब्बे, घसीटने के निशान मिले हैं तथा भारी मात्रा में बी.जी.एल. के अवशेष, हेलमेट एवं दैनिक उपयोग के सामग्रियां जब्त किया गयीं। घटना की रिपोर्ट पर थाना जगरगुण्डा, जिला सुकमा में अपराध क्रमांक 02/2024 धारा 147, 148, 149, 307, 302 भा.द.वि. 25, 27 आर्म्स एक्ट 3, 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त घटना में 02 माओवादियों के मारे जाने एवं कई माओवादियों के घायल होने की सूचना है।

समय :

12.40 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री (गृह विभाग) एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण द्वारा दिनांक 30.01.2024 को रायपुर के अस्पताल में भर्ती घायल जवानों का कुशलक्षेम प्राप्त कर हौसला अफजाई की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए दिनांक 31.01.2024 माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, उप मुख्यमंत्री (गृह विभाग), माननीय वन, जल संसाधन एवं सहकारिता मंत्री, पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस के अन्य अधिकारीगण कोबरा बटालियन मुख्यालय, करनपुर, जगदलपुर पहुंचकर जवानों की हौसला अफजाई की गई और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी दिवस पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नक्सल अभियान एवं सी.आर.पी.एफ. के वरिष्ठ अधिकारी टेकलगुडेम पहुंचकर उपस्थित जवानों से घटना के संबंध में चर्चा कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। दिनांक 03.02.2024 को उप मुख्यमंत्री (गृह विभाग) द्वारा पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ टेकलगुडेम के नजदीकी कैम्प सिलगेर पहुंचकर क्षेत्र में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की गई एवं उपस्थित जवानों का मनोबल बढ़ाया गया।

यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश में माओवादी घटनाओं में तेजी आई है एवं माओवादी घटना से पूरा प्रदेश आंदोलित है। पुलिस एवं सुरक्षाबलों द्वारा राज्य में माओवादियों के उन्मूलन हेतु सघन माओवाद विरोधी अभियान चलाये जा रहे हैं, जिससे बौखलाए माओवादियों द्वारा अपना वजूद कायम रखने के लिए सुरक्षा बलों के विरुद्ध घात लगाकर कायरतापूर्वक घटनाएं कारित की जा रही हैं। राज्य शासन माओवादियों के समूल उन्मूलन हेतु कटिबद्ध है। माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में निवासरत आम जनता की सुरक्षा एवं विकास कार्यों को गति प्रदान करने तथा रणनीतिक बढ़त हेतु सुरक्षा विहीन क्षेत्रों में फारवर्ड सुरक्षा कैम्पों की स्थापना की जा रही है। राज्य पुलिस द्वारा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ आसूचना आधारित विशेष अभियानों का संचालन किया जा रहा है। अंदरूनी माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में

स्थापित सुरक्षा कैम्प स्थित ग्रामों को समग्रित विकास केन्द्र के रूप में विकसित किया जाकर आम जनता को सुरक्षा के साथ मूलभूत सुविधाओं का लाभ प्रदाय किया जा रहा है।

माओवादी समस्या से निपटने के लिये अंदरूनी क्षेत्रों में विगत 02 माह में 11 सुरक्षा कैम्प स्थापित किये गये हैं। सुरक्षाबलों द्वारा माओवादियों के विरुद्ध अभियानों में 09 माओवादियों के शव, 21 हथियार, 60 आईईडी बरामद करने तथा 111 माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। उक्त अवधि में 62 माओवादियों द्वारा समाज की मुख्यधारा में जुड़ने हेतु आत्मसमर्पण किया गया। माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों का विश्वास अर्जित करने में सुरक्षाबलों एवं प्रशासन को लगातार सफलता मिल रही है। सुरक्षाबलों द्वारा सुरक्षा का माहौल निर्मित करने के कारण माओवादी/माओवादी समर्थक समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। इन समग्र प्रयासों से आमजनों में शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है। माओवादियों का प्रभाव क्षेत्र लगातार सिमटता जा रहा है। आम जनता में किसी भी प्रकार का रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि विगत दो माह में नक्सलवाद की कितनी घटना घटी और कितनी जनहानि हुई और कितने आदिवासी उसमें मारे गये? यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न कि विगत दो माह में कितनी नक्सलवादी घटनाएं हुई हैं, मतलब नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ है, इनकी संख्या 19 है। 19 ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिसमें सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि टेकलगुडेम वह क्षेत्र है, जहां..।

सभापति महोदय :- वे इकट्ठे पूछ रहे हैं कि कितने मरे और कितने घायल हुए। आप बता दीजिए। आप यही पूछ रहे हैं न? नक्सली कितने मरे? पुलिस वाले कितने मरे? घायल कितने हुए?

श्री विजय शर्मा :- मैं आपको थोड़ी देर में उपलब्ध करवा दूंगा ।

सभापति महोदय :- दूसरा प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, चूंकि नक्सल से संबंधित प्रश्न है, विभाग कितना गंभीर है, यह इस बात से स्पष्ट है कि घटना की जानकारी माननीय मंत्री जी को नहीं है ।

श्री विजय शर्मा :- विगत 2 माह में 19 घटनाएं हुई हैं । आपने जो अगला प्रश्न किया कि कितने हताहत हुए, इसकी जानकारी मैं आपको देखकर दे दूंगा ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैं सहमत हूँ । लेकिन मेरा कहने का आशय यह है कि आपके विभाग में ईश्वर की कृपा से मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में ..

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी, वे जवाब दे रहे हैं, उनके पास जानकारी आ रही है, थोड़ा धैर्य रखिए ।

श्री विजय शर्मा :- 19 मुठभेड़ हुई, जिनमें 8 जवान शहीद हुए हैं, सिविलियन जिनकी हत्या नक्सलियों ने कर दी, इनकी संख्या 4 है और इसमें इनमें हताहत नक्सलियों की संख्या भी मैं आपको दे रहा हूँ ।

श्री विक्रम मंडावी :- सभापति महोदय..।

सभापति महोदय :- आप बैठिये, पहले इनको पूछने दीजिए ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- टेकलगुडेम में जो नक्सलियों और सीआरपीएफ के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई, उसमें जवानों के द्वारा कितनी गोलियां चलाई गई, कितने छर्रे कितने राउंड चले ?

सभापति महोदय :- इतनी बारीकी में प्रश्न मत पूछिए, मोटा-मोटा पूछ लीजिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- उक्त घटनाओं में कितने नक्सली घायल हुए, यह जानना चाहता हूँ ?

श्री विजय शर्मा :- नक्सलियों द्वारा जारी प्रेस नोट में उन्होंने 2 नक्सलियों के मारे जाने की बात कही है और अनेक नक्सली घायल हुए हैं ।

सभापति महोदय :- आप पूछिए ।

श्री विक्रम मंडावी (बीजापुर) :- सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सरकार बनने के बाद पिछले दो-ढाई महीने में बस्तर में जिस तरह की स्थितियां बनी हैं । चाहे फर्जी मुठभेड़ की बात हो, चाहे फर्जी गिरफ्तारी की बात हो, नक्सली गतिविधियों की बात हो, इन मामलों में बढ़ोतरी हुई है । 1 दिसम्बर 2023 से 15 जनवरी 2024 तक लगभग 38 घटनाएं हो चुकी हैं ।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न पूछिए ना भाई ।

श्री विक्रम मंडावी :- मैं यह जानना चाहता हूँ कि बीजापुर जिले गंगालूर क्षेत्र के ग्राम मुतवेंडी में 1 जनवरी 2024 को क्रॉस फायरिंग में 6 माह की बच्ची की मौत हुई थी, इस मामले में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ? अगर इसमें कोई दोषी है तो उस पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई ।

सभापति महोदय :- देखिए, यह टेकलगुडेम से संबंधित है क्या ?

श्री विक्रम मंडावी :- जी है । हम लोग इस विषय में स्थगन लाए थे ।

श्री लखेश्वर बघेल :- हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय से बात की थी तो उन्होंने आश्वासन दिया था । हमारे स्थगन प्रस्ताव पर अध्यक्ष महोदय का आश्वासन था, ध्यानाकर्षण की सूचना में इस पर भी चर्चा कर लीजिए ।

सभापति महोदय :- मैंने तो मौका दिया लेकिन ध्यानाकर्षण टेकलगुडेम के विषय में है । अगर वे व्यापक प्रश्न पूछेंगे तो उसका जवाब माननीय मंत्री जी लेकर आए हैं या नहीं, यह मैं नहीं जानता हूँ । आप टेकलगुडेम से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री विक्रम मंडावी :- हमने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था, उसमें पूरे बस्तर के परिप्रेक्ष्य में बात रखने का तय हुआ था, अध्यक्ष जी ने कहा था। मैं बीजापुर जिले से संबंधित बात रख रहा हूँ कि जो क्रॉस फायरिंग की घटना हुई है उसमें क्या कार्रवाई हुई यह बताएं ?

श्री विजय शर्मा :- नक्सलवाद और बस्तर के परिप्रेक्ष्य में माननीय सदस्य ने कहा है।

सभापति महोदय :- जो प्रश्न वे पूछ रहे हैं, उसके बारे में आपको कुछ कहना हो तो कह सकते हैं।

श्री विजय शर्मा :- मैं वही बता रहा हूँ कि इस बात को समझने की आवश्यकता है, इस पूरे विषय को समझेंगे तो हमें यह बात समझ में आएगी कि किस कारण से नक्सली घटनाएं बढ़ी हैं और इसको समझने के लिए मुझे दो मिनट का समय दीजिए। मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ।

सभापति महोदय :- आप बोल लीजिए, आपको तो पूरा समय है।

श्री विजय शर्मा :- मैं यह बात बताना चाहता हूँ, यह आंकड़े कह रहे हैं, मैं यह बात नहीं कह रहा हूँ। पहले बीजापुर की बात शुरू कर लेते हैं। वर्ष 2016-17 से स्वीकृत 63 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इस योजना की सड़कें अब तक अपूर्ण हैं। वर्ष 2018-19 से स्वीकृत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बीजापुर जिले में ही अब तक अपूर्ण है। इसी तरीके से दंतेवाड़ा, सुकमा सभी जगहों में तीन जिलों को मिला करके 240 सड़कें वर्ष 2016-17 से स्वीकृत हैं, वह आज तक अपूर्ण हैं। वह पूरे नहीं हुए हैं, उस पर काम नहीं हुआ। मोबाईल टॉवर खड़ा करने के लिए उस पर काम नहीं हुआ, अभी जब माननीय विष्णु देव साय जी की नई सरकार बनी, 8 हफ्तों की सरकार है और इन 8 हफ्तों में 87 मोबाईल के टॉवर वहां पर लगाये गये हैं। (मेजों की थपथपाहट) इन 8 हफ्तों में 35 किलोमीटर रोड बनकर तैयार हुआ है, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन्हीं 8 हफ्तों में 10 नये कैंप खोले गये हैं। (मेजों की थपथपाहट) इन्हीं 8 हफ्तों में नाईट लैंडिंग हेलीकाप्टर बनाया गया है और लगातार आगे बढ़ा गया है। टेकलगुडेम के संदर्भ में आपको ध्यान होगा, पिछली बार इसी स्थान पर जा करके सशस्त्र बलों ने कैंप लगाने की कोशिश की थी, तब हमारे 22 जवान इसी टेकलगुडेम पर शहीद हुए थे और अनेक घायल हुए थे, तब कैंप लग नहीं पाया था। इस बार जवानों की इच्छाशक्ति से, सशस्त्र बलों की इच्छाशक्ति से उसी टेकलगुडेम पर जहां पर कभी पहुंचना मुश्किल था, वहां पर विकास का कैंप रखा गया है, अब हम वहां पर हैं, पूरा प्रशासन अब वहां पर है और वह पूरा क्षेत्र अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। (मेजों की थपथपाहट) मैं माननीय सदस्य की इस चिंता को बिल्कुल मानता हूँ कि समूचे बस्तर के क्षेत्र में किस तरीके से नक्सलवाद का उन्मूलन होना चाहिए, इस बात की चिंता बहुत जायज है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इस पूरी घटना में कुछ नहीं हो पाया, इच्छा शक्ति में क्यों कमी रही, अभी किस तरीके से नयी सरकार ने इसमें बढ़त ले करके आगे काम किया है और किस तरीके से 8 हफ्तों में 10 कैंप खोल दिये गये। ये कैंप अब साधारण कैंप नहीं हैं, पुलिस के कैंप नहीं हैं, ये वहां पर विकास के कैंप

बने हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, इस विषय को ले करके टेकलगुडेम में ही हम लोग पास के गांव सिलगेर में गये थे, उस सिलगेर की घटना आपको बताना चाह रहा हूँ। वहां पर छोटे-छोटे बच्चों ने गाना गया था, हम लोग भी उनके साथ तालियां बजा रहे थे, उन छोटे बच्चों ने कहा था कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन छोटे बच्चों ने अपनी गीत में कहा था कि हम कलेक्टर बनना चाहते हैं, मैंने थोड़ी देर बाद यह भी बोला कि एक बार बोलिए कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, उन्होंने विधायक के लिए मना कर दिया, कुछ नहीं कहा। अब जाने क्या बात है, सिलगेर में सुकमा जिले में वे बच्चे विधायक नहीं बनना चाहते। उन्होंने कहा कि हमको कलेक्टर बनना है। यह उनके दिल की तमन्ना है। वही सिलगेर है, उसी का एक पारा है, शायद इत्तेपारा है और उस पारा में उन्होंने बताया कि लाईट गोल है, मैंने कहा कब से गोल है तो उन्होंने बताया कि एक साल से गोल है। एक साल से उस गांव के एक पारा में लाईट गोल है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि क्या कारण था कि हम उस दिशा में विगत वर्षों में आगे नहीं बढ़े। अभी सरकार तेजी के साथ उसमें आगे बढ़ रही है। इसलिए मुठभेड़ की घटनाएं हो रही हैं, इसलिए आपको यह लग रहा है कि नक्सली घटनाएं बढ़ गयी हैं, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि अभी इन 8 हफ्तों में 10 कैंप खुले हैं, तब जा करके हमारा बहुत सारा क्षेत्र स्पष्ट हुआ है। (मेजों की थपथपाहट) नक्सलवाद से मुक्त हुआ है और मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूँ बस आने वाले कुछ ही दिनों में बस्तर में लाल सलाम नहीं होगा, वहां पर जय श्री राम होगा और वहां पर जय हिंद होगा। वहां पर लाल सलाम खत्म हो जाएगा। (मेजों की थपथपाहट)

(सत्ता पक्ष द्वारा जय जय श्री राम के नारे लगाए गए)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, यह सब चीज सही है, हम लोग आपका समर्थन करते हैं, विकास हो रहा है, सब हो रहा है, परंतु आज नक्सली गतिविधियां क्यों बढ़ रही हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- लूटपाट हो रही है, इसलिए बढ़ रही है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप लोग नक्सलियों के साथ समझौता कर रहे हो क्या ? आपकी इंटेलिजेंस फेल है इसलिए नक्सली बढ़ रही है। आज आपको इसको स्वीकारने की जरूरत है।

सभापति महोदय :- आपको प्रश्न पूछना है तो पूछिए ना।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- इसमें हमारे आदिवासी लोग ही मर रहे हैं, चाहे फोर्स के लोग हों, फोर्स के लोग कौन भर्ती होते हैं, गरीब लोग ही भर्ती होते हैं, वहां सामान्य पिछड़ा आम आदमी ही भर्ती होते हैं। वहां पर फोर्स भी भर रहे हैं।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न पूछिए ना।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सभापति महोदय, मैं प्रश्न ही पूछ रही हूँ।

सभापति महोदय :- जी-जी।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आज नक्सली गतिविधियां क्यों बढ़ रही हैं। इनकी जानकारी नहीं है, आज हम लोग जो मुद्दा उठाये थे, यह सबसे बड़ी बात है। चाहे नक्सली मारे, तब भी हमारे आदिवासी मारे जाते हैं और चाहे आपके पुलिस वाले मारते हैं, तब भी हमारे आदिवासी मारे जाते हैं। इसलिए प्रश्न यह है कि आप बोल रहे हैं कि कैम्प भी बढ़ा रहे हैं तो उसके बाद भी नक्सली गतिविधि क्यों बढ़ रही है ? मंत्री जी, क्या आप यह बताएंगे कि क्या आपको और कैम्प बढ़ाने की आवश्यकता है?

सभापति महोदय :- मंत्री जी।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने शायद मेरी बात गंभीरता से नहीं सुनी, इसलिए उनके मन में यह प्रश्न पुनः आया है। मैंने इस विषय पर स्पष्ट तरीके से आंकड़ों के आधार पर कहा है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इस बात को आंकड़े कह रहे हैं कि किस तरीके से शिथिलता थी, इच्छाशक्ति में कुछ कमी थी, कोई टकराहट की इच्छा ही नहीं थी, आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं थी। अब जब हम इस संकल्प के साथ आगे रहे हैं कि बस्तर के कोने-कोने तक विकास की गंगा बहनी चाहिए तो आपको वह मुठभेड़ दिख रहा है। मैं आपसे स्पष्ट रूप से इस बात को कहना चाहता हूँ कि अभी जो कैम्प बन रहे हैं, वह वहां के पूरे गांवों की उन्नति के लिए बन रहे हैं। वह विकास को गांवों तक पहुंचाने के लिए धाराएं बन रही हैं। विकास को गांवों तक पहुंचाने के लिए वह कैम्प बन रहे हैं। उन कैम्पों का विषय सीधे पुलिस कैम्पों की तरह नहीं है। धन्यवाद।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- एक मिनट, उनको बोलने दीजिए। क्या कोई सदस्य और कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- आप दोबारा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय ने मुझे कुछ लोगों को बोलने का मौका देने की व्यवस्था दी है तो मैं सबको बोलने का मौका दे रहा हूँ। सबका मतलब सब के सब नहीं हैं बल्कि 2-4 लोगों को छोड़कर है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा बताया जा रहा है कि 7 कैम्प खोले गये तो कैम्प खुलने से तो नक्सली वारदात कम होनी चाहिए। लेकिन यहां पर तो उल्टी परिस्थिति निर्मित हो रही है। कैम्प खुलने से नक्सली वारदात बढ़ रहे हैं और जवान शहीद हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी, आप मुझे बताइये कि आपने अभी 7 कैम्प प्रारंभ किये हैं तो उनमें कितने नक्सली मारे गये ? बल्कि हमारे जवान शहीद हुए और नक्सली नहीं मारे गये। कहीं न कहीं आपसे चूक हो रही है और यह चिंता की बात है।

सभापति महोदय :- ठीक है। अब आप भी प्रश्न पूछ लीजिए, फिर मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं उन स्कूलों में गया था और बच्चों से उन्होंने जो सवाल पूछे तो वह कलेक्टर, एस.पी. बनना चाह रहे थे। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि उन स्कूलों को आपकी सरकार ने ही बंद करवाया था, जिन स्कूलों को कांग्रेस की सरकार ने खोला है। (मेजों की थपथपाहट) ऐसे सैकड़ों स्कूल थे, जहां के गांवों में गोलियों की आवाज आती थी। स्कूलों में घण्टी बजना बंद हो गई थी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह ध्यानाकर्षण सिलेगर की घटना से संबंधित है। यदि माननीय सदस्य का उस घटना से संबंधित कोई प्रश्न हो तो उसको पूछें।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय मंत्री जी, मैं उसी प्रश्न पर आ रहा हूं।

सभापति महोदय :- मैं वही बात कह रहा हूं कि अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि नक्सली समस्या पर आपके स्थगन, ध्यानाकर्षण में मैं आपको बोलने के लिए मौका दूंगा। मैं आपको अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर इसलिए बोलने का मौका दे रहा हूं कि यदि आप उससे संबंधित स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ लीजिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मैं कोई तथ्य रखूंगा, तभी तो उस बात को आगे कह पाऊंगा। माननीय मंत्री जी ने जो बात कही, मैं उसी बात पर आ रहा हूं।

सभापति महोदय :- ठीक है। आपने तथ्य तो रख लिया है, अब आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी ने कहा कि उन स्कूलों के बच्चों से सवाल पूछने पर उन्होंने कहा। निश्चित ही उन स्कूलों को कांग्रेस की ने खोला है, जिन सैकड़ों स्कूलों को आपने बंद कर दिया था।

सभापति महोदय :- अब आप प्रश्न में आइये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- यह अच्छी बात है कि आज उन बच्चों के मन और जेहन में कलेक्टर, एस.पी. बनने की बातें आ रही हैं। मैं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने उन स्कूलों को खोलवाया। नहीं तो उन स्कूलों में घण्टी की जगह गोलियों की आवाज आ रही थी। माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि जो निर्दोष लोग जेल भेजे गये हैं और जेल भेजे जा रहे हैं, हमारी सरकार ने सारे आदिवासियों को जेल से रिहा किया था। आपने निर्दोष लोगों को जेल भेजने की जो कार्रवाई की है, क्या आप उनको वापस रिहा करेंगे ?

सभापति महोदय :- मंत्री जी।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मुझे इस गंभीर विषय पर बड़ा दुःख है कि ऐसा विषय जो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ऐसा विषय जो देश की एकता और अखण्डता को बार-बार चुनौती देने वाला है। जिसपर हमको चिंतन करना चाहिए कि देश की एकता और अखण्डता को

चुनौती देने वाले हर विषय को दस फीट नीचे जमीन में गड़ जाना चाहिए। उसके लिए हम भा.जा.पा. और कांग्रेस कर रहे हैं। उसके लिए हम दल की बात कर रहे हैं। इसपर स्पष्ट चिंतन होना चाहिए। इस पर स्पष्ट बात होनी चाहिए कि किस तरीके से पूरे बस्तर में शांति फैलाया जाए। इसमें स्पष्ट सोच होनी चाहिए कि किस तरीके से पूरे बस्तर में विकास की गंगा बहनी चाहिए। मैंने आपसे पहले ही कहा कि वर्ष 2021 में जब इसी टेकलगुडेम में जाकर कैम्प खोलने की कोशिश की गई थी तो 22 जवान शहीद हुए थे और यह वही स्थान है, जहां पर हम नहीं जा सकते थे, लेकिन आज वहां प्रशासन पहुंचा है।

समय :

1:00 बजे

सभापति महोदय, यह वही टेकलगुडेम है, जहां पर आज हमारा विकास का कैम्प खड़ा हुआ है। आप इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर सोचिए। जब हम अंदर घुस रहे हैं। अभी तो हम अपवरती की तरफ जाने वाले हैं। अपवरती की बात आप समझ लीजिए कि वह कैसा स्थान है और क्या हुआ है? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब सारे स्थानों पर कैम्प खोले जा रहे हैं, जब हम अंदर तक जा रहे हैं तो यह क्लैश हो रहा है, तो यह मुठभेड़ हो रहा है तब हम क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त करने की दिशा में बढ़ रहे हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- मेरी बात सुनिए, मेरा आग्रह तो सुनिए। आप 4-5 लोगों ने प्रश्न कर लिया, सारी चर्चा अभी इसी ध्यानाकर्षण में नहीं हो पाएगी। अभी आगे भी बहुत से काम हैं। अभी पूरे बजट सत्र में बहुत सा अवसर आएगा, जिसमें आप चर्चा कर पाएंगे। इसलिए मुझे आगे बढ़ने की अनुमति आप दे दीजिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति जी, आपका संरक्षण चाहिए।

सभापति महोदय :- मैं तो संरक्षण दे ही रहा हूं। मैंने एक ध्यानाकर्षण में 5 सदस्यों से प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी। अब इससे ज्यादा और क्या संरक्षण मिलेगा?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी, आप यह बताएं कि नक्सल प्रभावित व्यक्तियों के परिवार की सहायता हेतु क्या-क्या प्रावधान है?

सभापति महोदय :- इस प्रश्न का मतलब नहीं है। यह आप बाद में कर लीजिएगा। यह प्रावधान है, फिर कितने रूपए का है, जब गृह विभाग के बजट की चर्चा होगी, तब यह कर लीजिएगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, ध्यानाकर्षण में यह सब आना ही चाहिए।

सभापति महोदय :- गृह विभाग के बजट की चर्चा होगी, तब आप यह बात कर लीजिएगा। आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं, आप बैठिए न। मुझे आगे बढ़ने दीजिए।

समय :

1.02 बजे

नियम 267 "क" के अंतर्गत विषय

सभापति महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जाएगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाएगा :-

- (1) श्री अजय चन्द्राकर
- (2) श्री रोहित साहू
- (3) श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी

समय :

1.02 बजे

अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 65, भिलाई नगर के सदस्य श्री देवेन्द्र यादव

सभापति महोदय :- निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-65, भिलाई नगर के सदस्य श्री देवेन्द्र यादव, द्वारा फरवरी-मार्च, 2024 सत्र में दिनांक 5 फरवरी, 2024 से दिनांक 1 मार्च, 2024 तक सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की सूचना दी है ।

उनका आवेदन इस प्रकार है :-

अपरिहार्य कारणों से मैं फरवरी-मार्च, 2024 सत्र में दिनांक 5 फरवरी, 2024 से दिनांक 1 मार्च, 2024 तक सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले पाऊंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मेरा यह कहना है ।

सभापति महोदय :- पूरा आवेदन पढ़ तो दूं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मुझे इसी में पूछना था ।

सभापति महोदय :- उनका आवेदन पढ़ तो दूं ?

उनके आवेदन के परिप्रेक्ष्य में क्या सदन की इच्छा है कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-65, भिलाई नगर के सदस्य श्री देवेन्द्र यादव को फरवरी-मार्च, 2024 सत्र में दिनांक 5 फरवरी, 2024 से दिनांक 1 मार्च, 2024 तक सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाये ?

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- असहमत हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मेरी बात सुन लीजिए । 2-3 स्थितियां हैं । पहली स्थिति यह है कि पूरे सत्र में और शुरुआत का जो तीन दिन का सत्र हुआ, उसमें भी वे नहीं थी । इतनी लंबी छुट्टी का कारण क्या शारीरिक कारण है, अस्वस्थता है, क्या है ? दूसरी स्थिति यह है कि इंफोर्समेंट डायरेक्ट और दूसरी एजेंसियों के द्वारा उनका जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया है तो

वह स्थिति है क्या ? चूंकि छपा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। तीसरी बात यह है कि यदि आप छुट्टी स्वीकृत करते हैं तो अभी 15 तारीख को राज्यसभा का निर्वाचन होना है। यदि मतदान की स्थिति बनती है तो मतदान की स्थिति में अनुमति देंगे तो छुट्टी का क्या होगा, वे आएंगे या नहीं आएंगे ? तो उस दल के नेता या सचेतक कोई भी आदमी जो जिम्मेदार है, उनसे पूछने के बाद, उनसे जानने के बाद इस स्थिति को स्पष्ट करने के बाद आपको उनकी अनुपस्थिति स्वीकृत करनी चाहिए।

सभापति महोदय :- आपके द्वारा जो मामला उठाया गया है, उसकी विधिवत् जानकारी हमारे पास नहीं है। आप उसको दीजिए, फिर हम उसमें देखेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर शहर दक्षिण) :- माननीय सभापति महोदय, आपको हमें जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। यह एक गंभीर मामला है। हमारा कोई एक सदस्य 25 दिनों के विधानसभा सत्र में लगातार अनुपस्थिति की मांग कर रहा है तो इसमें कोई गंभीर बात तो नहीं है, उनके स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, क्या मामला है, यह सदन को जानकारी होना चाहिए। क्योंकि यह सदन की प्रापटी है और सदन की प्रापटी पर हमारी चिंता का विषय है कि माननीय सदस्य 25 दिनों तक बिना किसी कारण के सदन में क्यों नहीं आयेंगे, किसलिए नहीं आयेंगे ? यदि कोई मेडिकल कारण है तो आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है क्या ? आप नियम-प्रक्रिया देख लें। नियम प्रक्रिया के अन्तर्गत सदन में इसके सम्बन्ध में कोई बात उठती है तो उसका विनिर्णय आसंदी करेगी, इस बात का उल्लेख कार्य प्रक्रिया तथा संचालन सम्बन्धी नियमावली में है। हम सब लोग चिंतित हैं। हमारे सदन का एक सदस्य 25 दिनों तक लगातार नहीं आयेगा तो उसका कारण क्या है, उसके पीछे क्या स्थिति है, कम से कम सदन के सदस्य के मामले में सदन को भिन्न होना चाहिए। इसलिए हम चाहेंगे कि इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके सदन को अवगत कराये। सदन की जो चिंता है, सदन के सदस्यों की चिंता दूर हो सके, यह हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं।

श्री रिकेश सेन (वैशालीनगर) :- आदरणीय सभापति महोदय, भिलाई की जनता ने माननीय सदस्य को इस मन्दिर में आने के लिए चुना और यहां से विकास की गति कहीं न कहीं जाती है। देवेन्द्र यादव जी, सदस्य ने आपको पत्र लिखा है। सोशल मीडिया और अलग-अलग चैनल के माध्यम से उनका लगातार वीडियो वायरल हो रहा है कि वह राहुल गांधी की यात्रा पर हैं। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से उनके पत्र पर सहमति बननी चाहिए। क्योंकि वह राहुल गांधी की यात्रा पर निकले हुए हैं, इसलिए इस पर विचार किया जाये। क्या जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदारी नहीं बनती है, इस विधानसभा के प्रति उनकी कोई जवाबदारी नहीं बनती है ? कहीं न कहीं उनका यही आचरण दिखाता है।

सभापति महोदय :- आपकी बात आ गई, आप पूरी बात कह लिए। अजय चन्द्राकर जी, आप कुछ कह रहे थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अमूमन किसी सदस्य को इतनी लंबी छुट्टी दिया गया हो, ऐसा अवसर बहुत कम आया है। कारण मैं उल्लेख रहता रहा है कि अस्वस्थता के चलते या किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन इसमें राजनीतिक सक्रियता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जाने-अनजाने में कहीं प्रोटेक्ट तो नहीं कर रहे हैं ? क्योंकि यदि किसी विधायक के खिलाफ किसी प्रकरण चलाने की अनुमति देनी है तो उसके लिए अधिकृत संस्था है तो अध्यक्ष विधानसभा हैं। हम उनको छुट्टी देकर जाने-अनजाने किसी चीज को प्रोटेक्ट तो नहीं कर रहे हैं ? इसको भी सदन को जानने का अधिकार है। क्या कोई मामला लंबित है या शासन ने कोई पत्राचार किया है, व्यवहार किया है या संबंधित विभाग ने इसमें अनुमति चाही है, यह भी जानने का अधिकार है। तीसरी बात, यदि आप छुट्टी दे रहे हैं तो यह सुनिश्चित करना होगा कि जब राज्यसभा का निर्वाचन होगा तो उसमें भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए।

सभापति महोदय :- मैं आपको व्यवस्था दूंगा। उन्होंने अपने आवेदन में अपरिहार्य कारण लिखकर माननीय अध्यक्ष महोदय के नाम से विधानसभा सचिवालय को पत्र दिया है। आप क्या कहना चाह रहे हैं ?

द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं वही बोलना चाह रहा था कि जो आपने कहा। उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि मैं अपरिहार्य कारण से अनुपस्थित रहूंगा।

श्री रिकेश सेन :- माननीय सदस्य विधानसभा को गुमराह करने का काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- आप बैठिये, यहां पर अभी बहस थोड़ी हो रही है। आप अपनी बात कह लिए।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- इसमें गुमराह करने वाली क्या बात है, जबर्दस्ती कुछ भी बोल रहे हो।

सभापति महोदय :- आप अपनी बात कह लिए। मैं इस पर निर्णय दूंगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- आप भी बोल लिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैं अभी पूरा कहां बोला हूं।

सभापति महोदय :- हां, तो बोलिये न, आपको तो बोलने के लिए बोल रहा हूं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, संबंधित सदस्य ने अपने पत्र में अपरिहार्य कारण लिखा है। उस अपरिहार्य कारण से नहीं आते हैं तो उनका आवेदन स्वीकृत होना चाहिए, उसमें इतनी सारी बातों का कोई औचित्य ही नहीं है। अगर नियम में नहीं है तो उसको बताया जाये कि अपरिहार्य कारण में स्वीकृत नहीं किया किया जाता है।

श्री अनुज शर्मा (धरसीवा) :- माननीय सभापति जी, मुझे लगता है कि इस अपरिहार्य को परिभाषित करने की जरूरत है कि किस कार्य को अपरिहार्य माना जायेगा या किसे अपरिहार्य नहीं माना जायेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने इस बात को कहा है कि सदन चिंतित है कि वह इस सदन में 25 दिन क्यों नहीं रहेंगे ? अपरिहार्य कारण के बारे में आप उनसे जानकारी प्राप्त कर लें और जानकारी प्राप्त करने के बाद में आपको जो निर्णय करना है, वह निर्णय कर लें। सदन चिंतित है, वह हमारे सदन के सदस्य हैं। हम चाहते हैं कि अपरिहार्य कारण क्या है, यह पूरे सदन की जानकारी में आये। अगर उनकी कोई परेशानी है, अगर वह बीमार है, ईलाज की आवश्यकता है तो सदन उसकी व्यवस्था करेगा।

सभापति महोदय :- जी, मैं आप सभी की भावना सुना, समझा, लेकिन इसका विनिश्चय परीक्षण करारकर माननीय अध्यक्ष जी फैसला करेंगे। परीक्षण करा लेंगे। आप सभी की बात सदन में आ गई है। आगे इसको देख लेंगे।

समय

1.11 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित उपस्थित माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर की याचिकायें सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी।

समय

1.12 बजे

लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये नौ-नौ सदस्यों का निर्वाचन

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम 223 के उप नियम (2) नियम 223-ख के उप नियम (1) तथा 223-ग के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार क्रमशः लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये वित्तीय वर्ष 2023-2024 की शेष अवधि तथा वित्तीय वर्ष 2024-2025 की अवधि हेतु अपने में से नौ-नौ सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- “सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम 223 के उप नियम (2), नियम 223-ख के उप नियम (1) तथा नियम 223-ग के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार क्रमशः लोक लेखा

समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 की शेष अवधि तथा वित्तीय वर्ष 2024-2025 की अवधि हेतु अपने में से नौ-नौ सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समय

1.13 बजे

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये नौ

सदस्यों का निर्वाचन

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :- “सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये वित्तीय वर्ष 2023-2024 की शेष अवधि तथा वित्तीय वर्ष 2024-2025 की अवधि हेतु अपने में से नौ सदस्य, जिनमें से क्रमशः तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।”

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये वित्तीय वर्ष 2023-2024 की शेष अवधि तथा वित्तीय वर्ष 2024-2025 की अवधि हेतु अपने में से नौ सदस्य, जिनमें से क्रमशः तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाता है :-

01. नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में **शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी, 2024 को अपराह्न 4.00 बजे तक** दिये जा सकते हैं।
02. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा, **शनिवार, दिनांक 17 फरवरी, 2024 को अपराह्न 1.30 बजे से** विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-दो में होगी।

03. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना **मंगलवार, दिनांक 20 फरवरी, 2024 को अपराह्न 1.30 बजे तक** विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है।
04. निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान **शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2024 को प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक** विधान सभा भवन **स्थित समिति कक्ष क्रमांक-02** में होगा।
- निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा।

उपर्युक्त, निर्वाचनों में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित "सूचना कार्यालय" से प्राप्त किये जा सकते हैं।

समय :

1.18 बजे

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा
'माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में
समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।'

सभापति महोदय :- श्री अजय चन्द्राकर जी, सदस्य, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरुद) :- माननीय सभापति महोदय, आज विधान सभा के इस सत्र का चौथा दिन है। यह मान लीजिये कि यह प्रथम सत्र है क्योंकि पिछले सत्र में तो सिर्फ शपथ ग्रहण हुआ था। विपक्ष वाले संभवतः स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि हम अब सत्तारूढ़ दल में नहीं हैं। यह ऐसा गैरजिम्मेदार विपक्ष है। ये कल छोटे से मामले में दिन भर के लिये बहिर्गमन कर दिये और परसो भी दिन भर के लिये बहिर्गमन कर दिये।

श्री बघेल लखेश्वर :- वह बड़ा मामला है। इतने झाड़ कट गये। यह छोटा मामला है ?

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- यह छोटा मामला कैसे हो गया ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, पूरे पेड़ कट रहे हैं, जंगल कट रहा है। कोई भी मामला छोटा नहीं होता।

सभापति महोदय :- अभी तो वह भाषण शुरू नहीं किये हैं। आप लोग क्यों टोका-टाकी कर रहे हैं ?

श्री बघेल लखेश्वर :- सभापति महोदय, लेकिन यह इसको छोटा मामला बोल रहे हैं।

सभापति महोदय :- आप उसका जवाब दे दीजियेगा। आप बैठिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, आपकी भाषा में बोलू तो आज आधे लोग कुमार गौरव की एक्टिंग देखने गये हैं और आधे लोग यहां छोड़ दिये गये हैं। यह विष्णुदेव जी की सरकार का

लगभग पहला अभिभाषण है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई ? भूपेश बघेल जी 05 साल तक मुख्यमंत्री रहे। वह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में टोका-टाकी कर रहे थे। उनको मालूम ही नहीं है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, पिछले कार्यकाल में भी टोका-टोकी हुई है। यह नई बात नहीं है।

सभापति महोदय :- देखिये, यह अच्छी बात नहीं होगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैं बिल्कुल मामा श्री की बात से सहमत हूँ।

सभापति महोदय :- एक मिनट, मुझे थोड़ा-सा बोलने दीजिये।

आदरणीय सदस्य महोदय, वह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर पहली बार अपना भाषण शुरू कर रहे हैं। यदि एक मिनट के अंदर चार लोग टोका-टाकी करेंगे तो अभी इस भाषण में बहुत बोलने वाले लोग भी हैं और भाषण का कोई अर्थ भी नहीं निकलेगा। इसलिये आपको भी अवसर मिलेगा। इसमें आपका भी नाम है। उनका भी नाम है तो उनको बोलने दिया जाये। यदि आप किसी बात से असहमत है तो जवाब दे दीजियेगा। लेकिन बीच-बीच में टोका-टाकी करेंगे तो यह अच्छी बात नहीं होगी। वह अपने स्टाईल में बोलेंगे, आप अपने स्टाईल में बोल लीजियेगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी न है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैं इस बात से सहमत हूँ कि उस समय बिल्कुल टोका-टाकी हुई। हमने टोका था। जब 01 मार्च 2023 को माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ा गया। हमने उसमें privilege दिया। यह इतिहास में पहली बार हुआ कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में privilege दिया। मुख्य सचिव के खिलाफ privilege दिया। मुख्यमंत्री जी के खिलाफ privilege दिया। हमने यह privilege क्यों दिया ? यह पहली बार छत्तीसगढ़ की विधान सभा में हुआ कि उसमें बोला कुछ जा रहा था, पढ़ा कुछ जा रहा था और कुछ प्रिंट हुआ था और विधायकों को कुछ और बंटा। एक संवैधानिक संस्था, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का ऐसा दुरुपयोग कोई कर सकता है तो वह कांग्रेस पार्टी कर सकती है माननीय भूपेश बघेल जी कर सकते हैं। इसलिए उस समय टोका-टाकी हुई थी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि जो माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है उसका जो इंग्लिश में पहला पैराग्राफ है और हिन्दी में पहला पैराग्राफ है उन दोनों में ही अंतर है। आप सबसे पहले तो उसको सुधारिये।

सभापति महोदय :- आप प्रक्रिया का पालन कर लीजिए। जैसा उन्होंने किया है। आप उनको बोलने दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अब अंग्रेजी में बात हुई। यह लोग अंग्रेजी के कारण तो मरे जा रहे हैं। समीक्षकों ने नीतिश कुमार जी के महागठबंधन से निकलने का एक कारण यह

लिखा है कि उन्हें दक्षिण के राज्यों के द्वारा हिन्दी बोलने के कारण अपमानित किया गया। भूपेश बघेल जी अब यह अंग्रेजी की बात कर रहे हैं। मैंने ग्रेजुएशन तक सामान्य अंग्रेजी ली थी। फिर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हिन्दी में हुआ, लेकिन मैं 3-4 शब्दों की अंग्रेजी समझता हूँ। ई.डी. माने Enforcement Directorate होता है, मैं यह जानता हूँ आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, यह मैं नहीं जानता हूँ। आई.टी. माने Income Tax होता है, मैं यह जानता हूँ। माननीय भूपेश बघेल जी भी दो-तीन शब्दों की अंग्रेजी को अच्छे से जानते होंगे। ई.ओ.डब्ल्यू., ए.सी.बी. क्या होता है, मैं यह जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि सारे कांग्रेसी इस अंग्रेजी को जरूर समझते होंगे। अभी सदन में माननीय कवासी लखमा जी नहीं हैं, उस दिन वह भी अपने उच्चारण में कांव-कांव कर रहे थे। वह चाहे समझे या न समझें। लेकिन वह एक अंग्रेजी को समझ रहे थे उनके जेस्टर पोस्चर से लग रहा था। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में 19 कंडिका में है कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मेरी सरकार ने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है। तो कवासी लखमा भी उस अंग्रेजी को समझ रहे थे कांग्रेसियों को इतना ज्ञान है, यह लोग ऐसी भाषा और ऐसी अंग्रेजी जरूर समझते हैं। बाकी हिन्दी और अंग्रेजी टोकने भर के लिए है। माननीय विष्णु देव जी की सरकार ने जो निर्णय लिया, जो राजनीतिक सुचिता है। हमने यह स्वीकार किया कि हमने दो सालों का बोनस नहीं दिया था। यह हमारी गलती थी। जब अवसर आया तो हमने उस गलती को सुधारा और छत्तीसगढ़ की जनता ने हम पर विश्वास किया। फिर दो सालों बाद 25 दिसम्बर को छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न महामना अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के दिन किसानों के खाते में 3716 करोड़ रुपये चले गए। (मेजों की थपथपाहट) यह सरकार है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक चीज में कहना चाहता हूँ। यह मेरी व्यक्तिगत बातें हैं। मैं इसकी कंडिका दो में बोल रहा हूँ। मैं अपनी व्यक्तिगत राय बोल रहा हूँ। भूपेश बघेल जी ने राजनीति के वश छत्तीसगढ़ को एक ऐसी अंधेरी सुरंग में घुसा दिया है, शायद जिससे हम लोगों को कई पीढ़ियों तक ढूंढने में निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। उस दिन बहस हो रही थी। इस प्रदेश में किसान कम पंजीकृत हुए हैं। यहां पर रकबा घटा है। आप यहां से राजनांदगांव, धमतरी, बलौदा बाजार, आंग तक चल दीजिए। इधर सेजबहार सड़क में पुरानी सड़क भरेगा भाठा तक चल दीजिए। उधर कहीं पर इस सीजन में धान या उपेरा नहीं दिखेगा। यहां छत्तीसगढ़ में इन 24 सालों में कितनी जमीन डायवर्टेड हुई, कितनी जमीन बिक गई, कितनी जमीनों में कॉलोनाइजर लाईसेंस और कितनी जमीनों पर हाउसिंग प्रोजेक्ट आएंगे। उसके बाद भी हम यह कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में किसानों का रकबा बढ़ रहा है, किसानों की संख्या बढ़ रही है, यहां कृषि का रकबा बढ़ रहा है और 1 करोड़ 44 लाख 92 हजार टन धान की खरीदी हुई है। छत्तीसगढ़ के संसाधन की कीमत पर, यह मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं फिर कह रहा हूँ कि हम दूसरे के धान को खरीद रहे हैं। यह अंधी गली में घुसाने वाला कोई व्यक्ति है तो भूपेश बघेल हैं

जिन्होंने धान का राजनीतिकरण किया। किसानों का धान खरीदा जाये लेकिन जो वास्तविक उपज हो रही है और जितनी उपज हो रही है, यदि हम शत-प्रतिशत धान भी अंबिकापुर से लेकर सरगुजा तक खरीदेंगे तो 01 लाख 50 हजार टन नहीं जायेगा। छत्तीसगढ़ के हितों को बचाना हमारा दायित्व है। मैं तो उभयपक्ष से सदन में यह कहूंगा कि धान के मामले में अब छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए पूंजीगत संसाधन जुटाना है तो हमको खुले दिमाग से सोचना पड़ेगा। भूपेश बघेल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया। पर भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा हम धान का दाम देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही। छत्तीसगढ़ सरकार ने 05 सालों में किसानों की आय दोगुनी करने के बारे में प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने के बारे में एक लाइन काम नहीं किया। आपको एक छोटा सा उदाहरण बात देता हूं। आप केबिनेट में थीं। अभी 1 लाख 11 हजार के आसपास temporary connection हैं जिसमें 55 हजार आवेदन लंबित हैं। लोगों को बिजली नहीं मिल रही है।

श्री लखेश्वर बघेल :- अजय भैया सुन लीजिए, हमने किसानों का कर्ज माफ किया, आप तो असत्य बोलकर सरकार में बैठे हैं। आपने 2 लाख रुपये कर्ज माफ करने की बात कही थी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, हमने तो कर्ज माफ किया, आपके यहां तो घोषणा होने के बाद भी कर्ज माफ नहीं किया। आपने घोषणा की हुई है। उप मुख्यमंत्री जी के घोषणा पत्र में है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, यह लोग 2018 का कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र निकाल लें, उसमें कर्ज माफी लिखा हुआ है, उसमें अल्पकालिक कर्ज माफी नहीं लिखा हुआ है। क्या आपमें यह स्वीकार करने का नैतिक दायित्व है कि हमने किसानों का कहा था?

श्री बघेल लखेश्वर :- किसानों का कर्ज माफ हुआ न, हम लोग किसानों का कर्ज माफ किये हैं। .. (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- आपने सभी किसानों का कर्ज माफ नहीं किया।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय सभापति जी, शराबबंदी में क्या हुआ, उसमें बता दें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति जी, पूर्ववर्ती सरकार में किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की थी। आपकी सरकार आने के बाद आप भानुप्रतापुर में जाकर देखिये, वहां किसान ने आत्महत्या की है।

सभापति महोदय :- आप उनकी हर बात का विरोध मत करिये न। आप बोल लीं, वह सुन लिये। लेकिन उनके भाषण को चलने जो दीजिए। अभी उनका लंबा भाषण चलेगा, आप लोगों का भाषण चलेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अल्पकालीन, मध्यमकालीन ऋण भी किसान लेते हैं। शायद आप लोग किसान नहीं हो। ताली बजाने वाले instrument हो। भूपेश बघेल जी जो बोले, मेज थपथपाने वाले, 05 साल तक सिर्फ मेज थपथपाते थे। और कोई स्वविवेक नाम की चीज नहीं थी। मैंने अपने स्वविवेक का उपयोग किया।

श्री बघेल लखेश्वर :- अजय भैया, सुन लीजिए। अभी हम लोग भी आपकी महतारी वंदन योजना को देख रहे हैं। आपने लिखा है कि सभी विवाहित महिलाओं को महतारी वंदन योजना का 1000 रुपये देंगे। इसमें आपने कितने नियम बनाये हैं, उसको भी देख लेंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, महतारी वंदन योजना के फार्म 50 से 100 रुपये में बेचे जा रहे हैं। आपने कालाबाजारी शुरू कर दी है।

श्री सुशांत शुक्ला :- क्या महिलाओं का सम्मान अच्छा नहीं लग रहा है? क्या आप लोगों को महतारी वंदन योजना अच्छा नहीं लग रही है, यह बता दीजिए।

श्रीमती भावना बोहरा :- क्या कांग्रेस के विधायक महतारी वंदन योजना का फार्म नहीं भर रहे हैं ? आप लोग यह बोल दीजिए कि आप लोग महतारी वंदन योजना का फार्म नहीं भरवाने वाले हैं। आप लोग इस बात को कहिये। अगर महतारी वंदन योजना से इतनी तकलीफ है, आप यह बताइये कि कितने फार्म भरा रही हैं?

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- भावना बोहरा जी, आप बैठिये न। माननीय सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक भोजन अवकाश के समय में वृद्धि की जाती है, मैं समझता हूँ कि सभा सहमत है।

सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

मैं आप सबसे एक छोटा सा निवेदन कर रहा हूँ कि हर के भाषण में अगर हर कोई टोकेंगे तो भाषण थोड़ा भी आगे किसी का भी नहीं बढ़ेगा। सुनिये न, आप असहमत हो सकते हैं।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय सभापति महोदय, यह टोकने वाली भाषा ही बोलते हैं। बिना टोके तो बात होगी भी नहीं।

सभापति महोदय :- सुनिये तो वह चाहें जिस भाषा में भी बोलें, आपको जब मौका मिलेगा, आप अपनी भाषा में बोल लीजियेगा। लेकिन अगर आप हर बात को खड़े होकर काटने लगेंगी तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए सभी से आग्रह है कि कोई किसी के भाषण के समय में अनावश्यक जब तक कोई

बहुत जरूरी न हो, मत खड़े होईये। उनके बोलने दीजिए। जब आपका अवसर आयेगा, आप बोल लेना। उनका प्वाइन्ट नोट कर लीजिए क्या गलत बोल रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, हमारे साथियों ने महतारी वंदन योजना का उल्लेख किया। इस योजना को लेकर जो उत्साह है, जो फार्म भरने के लिए स्थिति बन रही है, मुझको लगता है कि लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति मत बन जाये। लोगों में इतना उत्साह है। पुलिस व्यवस्था करवानी पड़ेगी।

श्री लखेश्वर बघेल :- आपने घर-घर जाकर जो फार्म भरवाया है, उस फार्म का क्या होगा?

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, मैं आप से ही निवेदन कर रहा हूँ ..।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन लोग अपना शादी का प्रमाण-पत्र कहां से लायेंगे? उन लोगों की फोटो कापी कहां से आयेंगे। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- अजय जी, मेरा आपसे आग्रह है कि आप इनकी तरफ देखकर इनकी कोई भी बात का जवाब मत दीजिये। आप अपनी भाषण दीजिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, महतारी वंदन योजना में महिलाओं के साथ में छल किया जा रहा है। इन लोगों ने कहा है कि एक परिवार से केवल एक ही महिला को महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जाएगा। इन लोग घर में लड़ाई करवायेंगे। ऐसे में घर में लड़ाई होना शुरू हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति जी, इनके कार्यकर्ताओं ने 65-70 फार्म भरवाया है। उनको विश्वास नहीं है तो फिर वह क्या करेंगे।

सभापति महोदय :- जब आपको मौका मिलेगा तब आप सब बात कह लीजियेगा। मैं आपकी बात का खण्डन नहीं कर रहा हूँ।

श्री राजेश मूणत :- संगीता जी, आपके घर वाले को तो तकलीफ नहीं हो रही है ना?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मुझे नहीं मिलेगा तो मैं तो आपसे लड़ूंगी ही।

श्री राजेश मूणत :- मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि ..।

सभापति महोदय :- बहुत लंबी चर्चा है। प्लीज, आप लोग थोड़ा सहयोग करिये। हर बात में खड़े मत होईये। माईक बंद कर दीजिये न। चन्द्राकर जी, आप बोलिये और आप लोग भी सुनिये न।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी ओर सीधे नजर मिलाकर बोल रहा हूँ।

सभापति महोदय :- सुशांत जी, थोड़ा सा बैठ जाईये। चन्द्राकर जी, आप बोलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती में प्रधानमंत्री जन-मन योजना देश के सामने रखी। प्रधानमंत्री जन-मन योजना बैगा,

कमार, पहाड़ी, कोरवा, बिरहोर, अबूझमाड़िया, primitive tribes, मतलब यह समझ लीजिये कि वर्ष 1977 में मोरारजी देसाई जी ने इनके लिए अलग से प्राधिकरण बनाया। जब पहले आदिवासी प्राधिकरण बना था तो जनता शासन में यह महसूस हुआ कि इन नीचे के वर्गों तक पैसा और नहीं मिल रहा है। फिर विशेष जनजातियों के लिए प्राधिकरण बनाया गया। वर्ष 1977 के बाद से अभी 6 महीने पहले जब यह योजना लांच हुई, उसके बार कुछ सोचा नहीं गया था। आज छत्तीसगढ़ में इनकी बस्तियों के लिए 7-8 करोड़ रुपये तक स्वीकृत हुआ है। मोबाईल टॉवर, सड़क, अप्रोच रोड, पक्के मकान, उज्ज्वला, इन सारी चीजों से। अब यदि मैं बोलूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। 5 सालों में क्या होता था? एक कोरवा परिवार ने सामूहिक आत्महत्या की। उस समय क्या होता था? एक मंत्री ने कोरवाओं की जमीन खरीद ली और उसको वापस कर दिया। उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं बना, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे ऊपर कार्रवाई मत हो जाए करके एक आदमी कोरवाओं की जमीन लेकर फरार है। साढ़े चार दशक तक वह इनके लिए मनोरंजन और राजनीतिक नारे के साधन हैं। पिछले 5 साल में एक जिम्मेदार मंत्री ने इस सदन में कहा कि मैंने जो जमीन खरीदी थी, वह जमीन मैंने वापस कर दी। यह स्वीकारोक्ति हुई, पर जो विपक्ष में बैठे हैं, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि उस पर कार्रवाई करें। आम आदमी होता तो जेल के सीखचों में होता।

माननीय सभापति महोदय, तेंदूपत्ता, इमली, महुआ का मानक बोरा 5500 रुपये हो गया। मैं आपको बता दूँ कि पिछले 5 साल में एक भी साल लक्ष्य के मुताबिक खरीदी नहीं हुई। तेंदूपत्ता संग्राहकों को कम से कम 1 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। भ्रष्टाचार कैसे हुआ था कि पुराने मानक बोरे को 16-17 रुपये तक में नीलाम किया गया था और उन्होंने वहीं पर बोरा खाली कर दी और उसमें नया पत्ता भरकर पुराने के नाम से निकाल कर करोड़ों रुपये की जी.एस.टी. की चोरी कर ली। यह नहीं मालूम कि पार्टी पैसा कमाने का, भ्रष्टाचार करने का कहां-कहां से रास्ता खोज लेती है। यह समझ में ही नहीं आता है। इतना बुद्धिवाला सलाहकार आप कहां से लाये थे? यह भी एक अन्वेषण एवं जांच का विषय है। आपको इसकी जांच विधायकों की कमेटी से करवानी चाहिए। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय पर बहस हो रही थी। अब इन लोग कहते हैं कि हमने मुख्यमंत्री आवास योजना बनाया है। पूरा आर्थिक सर्वेक्षण करवाया गया। उप मुख्यमंत्री साहब विजय शर्मा जी उत्तर दे रहे थे। उसने छत्तीसगढ़ के चेहरे पर तो बीमारू से बीमारू राज्य बना दिया। एक महीने में सर्वे कर दिया। टाईम बम जैसे। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सर्वे करना है, 14 करोड़ रुपये का घोटाला हो गया। उनको यह बताना था कि कितना कम से कम आवास बना सकते हो और उसका दोबारा पुनरीक्षण करवाया गया। दो लाख, ढाई लाख बता रहे हो, वह ज्यादा हो गया है। उसको और कम करेंगे तो उसको 47,000 में लाया गया। वह 47,000 में आधा सिर्फ चार जिलों में गया। बिलासपुर, सक्ती, बलौदाबाजार और दुर्ग में और दुर्ग का और निकालेंगे तो वह पैसा पाटन पहुंचेगा। 5 साल में वह मुख्यमंत्री राज्य लेबल की मानसिकता नहीं बना

पाया। घुम-फिरकर, वह मेरे आजू-बाजू बैठते हैं, मेरे सक्ती में दे देना, मेरे पाटन में दे देना। यह ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास था और वह ग्रामीण आवास न्याय योजना है न कि मुख्यमंत्री आवास योजना है।

माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज व्यवस्था। आपने पंचायती राज व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बनायी। आपने एक कानून नहीं बनाया, उनको एक रुपये नहीं दिये। आपने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को मनरेगा के अतिरिक्त एक रुपये भी नहीं दिया। जो मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना थी। हम विपक्ष वालों को एक साल दिया गया। इन्होंने 4 साल तक लिया। यह कभी नहीं समझ पाये कि प्रदेश में और भी लोग हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। मैं बता रहा हूँ कि मैं विधायक हूँ। मुझे 5 साल में जिला पंचायत से पंद्रहवें वित्त आयोग का एक रुपये भी मेरी अनुशंसा में स्वीकृत नहीं हुआ। मुझे डी.एम.एफ. से एक रुपये स्वीकृत नहीं हुआ। यह था कि हमारा बहुमत है, इनको एक रुपये नहीं मिलेगा। आप धमतरी जिला पंचायत की प्रोसिडिंग मंगवाकर देख लीजिये। पंचायती राज संस्था जिसमें हम सदस्य हैं और भी माननीय सदस्य जो विपक्ष के हैं, वे सदस्य हैं लेकिन इनकी दृष्टि से बहुमत का मतलब, 71 का मतलब या किसी संस्था में बहुमत है उसका मतलब दादागिरी होता है। यह पंचायती राज संस्थाओं का क्या सम्मान जानेंगे? 5 साल में उसके लिये एक संशोधन नहीं लाये और क्या चीज हटाये कि पंचायती राज संस्थाओं में हमने शिक्षा को अनिवार्य रखा था उसकी अर्हता में, इन्होंने उसको हटा दिया, बोले कि हमको अशिक्षित ही रहना है। छत्तीसगढ़ जितना अशिक्षित रहे वह चलेगा। वन नेशन वन कार्ड का नाम सुनते ही इनको पसीना आता था कि यह मोदी जी की प्राईम घोषणा है, यह पूरी हो जायेगी तो इनको तो वन नेशन वन कार्ड दुकान से मतलब नहीं था। अभी तो कुछ दुकानों के सेम्पल में 216 करोड़ निकला। वह तो हाथ डालेंगे तो पाताल तक जायेगा और किसी का हाथ भी अंदर नहीं जा सकता इतना निकलेगा। माननीय मंत्री जी ने जांच कराने की घोषणा की है। माननीय मंत्री जी ने एक सेकेण्ड में खड़े होकर कहा कि मैं जांच करवाऊंगा। दूसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं ऑफलाईन को खत्म करके ऑनलाईन करूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई इसको बोलते हैं।

माननीय सभापति महोदय, महिलाओं के जीवन में उज्जवला। उज्जवला में इन्होंने जो सर्वे करवाया है। एक दिन में एक महिला के अंदर चूल्हे से 30 सिगरेट के बराबर धुआं जाता था, इस दृष्टि से आपने सोचा नहीं था। यही छत्तीसगढ़ है, जो एस.जी.एस.वाय. के 22 परसेंट से गृह लक्ष्मी के नाम से योजना चलाकर चूँकि शुरुआत में हम 5 किलो का सिलेण्डर देते थे। जो कि आगे चलकर उज्जवला हुई। यही छत्तीसगढ़ है कि महिलाओं के बारे में चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया और माननीय विष्णुदेव साय जी ने यह कमिटमेंट दिखाया कि मैं शत-प्रतिशत को दूंगा। मैं आपके सर्वे को आज ही दिखा देता हूँ जो मेरा प्रश्न था कि आपने कितने लोगों को उज्जवला दिया है करके।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, यदि उज्जवला योजना का लाभ सभी को मिल रहा है। यदि एक परिवार में 3 भाई बंट जाते हैं, जब भाई-भाई का बंटवारा हो जाता है तो उसमें तीनों को दिया जाये। जब हर महिला के अंदर सिगरेट का धुंआ जा रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि एक परिवार में एक को ही उज्जवला का लाभ दिया जाये। आप उसको करवा दीजिये। मंत्री जी से घोषणा करवाईये कि एक परिवार नहीं, जितने परिवार हैं जो कि अलग-अलग घर में रहते हैं। यदि 3 भाई हैं या 4 भाई हैं। यदि 4 बंटवारा हुआ तो चारों भाईयों को उज्जवला गैस का कनेक्शन मिलना चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती भावना बोहरा :- आप उसमें जानकारी दुरुस्त कीजिये। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिए न। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपका शासन है। आप इसको करवाईये। (व्यवधान)

श्रीमती भावना बोहरा :- अनुमोदन के हिसाब से जितने घर हैं उतने सिलेण्डर दिय जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- नहीं मिल रहा है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोग क्यों खड़े हो गये? उनको बोलने दीजिये। (व्यवधान)

श्रीमती भावना बोहरा :- ग्रामपंचायत के हिसाब से है। मेडम, आप उसमें अपनी जानकारी दुरुस्त करिये। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- संगीता जी हो गया न। आपने अपनी कह ली न।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- उसकी आप घोषणा करवायेंगे। उसको लागू करवायेंगे कि यदि एक व्यक्ति बीमार होता है तो वैसे ही सभी महिलाओं को एक समझें न।

सभापति महोदय :- आपकी बात आ गयी न। कृपया अब उनको बोलने दीजिये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अभी नहीं हैं। 5 साल तक तो हमारे मूँछ वाले डी.जी.पी. साहब बैठते थे। पुलिस आधुनिकीकरण के 200 करोड़ रुपये देंगे। साप्ताहिक छुट्टी देंगे, 3 महीने में 8 दिन की छुट्टी देंगे। पुलिस को तो एक इक्यूपमेंट बनाकर रखा था कि आपको कोरबा जिला में इतना वसूल करके देना है, कोरिया में इतना वसूल के देना है। रायगढ़ में इतना वसूल के देना है। अब उनकी मूँछें फड़कने लगीं और फड़कने लगीं तो गोलियां चलने लगीं। अभी मैं सुकमा गया था। लखेश्वर जी, मैं बता देता हूँ, आप सुन लीजिये कि कांग्रेस पक्ष की क्या हालत है। सुकमा में वहाँ के लोगों ने बताया कि सुकमा से झीरम सड़क का निर्माण शुरू हो रहा है तो कांग्रेस के ये वरिष्ठ सदस्य धरना में बैठने वाले हैं कि उसका निर्माण नहीं होना चाहिए और मैं तो यह कहता हूँ कि ऐसे-ऐसे लोगों के कारण ही पुलिस को अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है और अब मिलेगी। जो भी ऐसे लोग होंगे, वे छांटकर अलग कर दिये जायेंगे। जनता माफ नहीं करेगी। माननीय सभापति महोदय, पुलिस का

मनोबल बढ़ाना, पुलिस को स्वतंत्रता देना, पुलिस की कार्रवाई को समर्थन देना, अब पुलिस की मूँछें फड़केंगी, झूकेंगी नहीं। क्यों, माननीय डिप्टी सी.एम. साहब। पुलिस की मूँछें अब फड़केंगी न?

श्री विजय शर्मा :- बिल्कुल फड़केंगी और भुजाएं भी फड़केंगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, देश में नहीं पूरी दुनिया में मेरा एक संकल्प है, उस दिन बोलूंगा कि सनातन है क्या चीज? जितने भी लोगों ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव देखा और जो जिस चीज से देश में एकात्मकता आयी वो अपने आप में एक विलक्षण है कि 500 साल बाद भी यह देश जागृत हो सकता है। हमारे ऐसे वरिष्ठ नेता जो यहां पर बैठे हैं, बृजमोहन जी, दयालदास जी, पुन्नूलाल जी, जागिए पुन्नूलाल जी (हंसी) ऐसे लोग जो बैठे हैं, उन्होंने घोषणा पत्र में परिकल्पना की कि हम अपने तीर्थ स्थल को भी विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ विकसित करेंगे। भारत में भी जो नहीं जाने जाते चार धाम की तर्ज पर, उनकी यात्राएं होंगी, यह संकल्प व्यक्त करना, उन आस्थाओं को मजबूत करना, सनातन को मजबूत करना, जो अब दुनिया के लिए जिज्ञासा का विषय है, उसमें लोगों को जनवाने का काम करना, ये करेगी विष्णु देव की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार। राजिम कुंभ, एक ही उपलब्धि थी क्या कि हम बाहर के कलाकारों को नहीं बुलायेंगे और ये पुन्नी मेला है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान कैसे होता है, अध्ययन, सत्संग, देशाटन, जिसको बोलते हैं न आदान-प्रदान इंदिरा जी जो इनकी नेता थी, भारत महोत्सव करवाती थी। भारत के कार्यक्रम के लोग जाते थे। छत्तीसगढ़ से लोग जाते थे। भारत महोत्सव में देवदास बंजारे जैसे लोग उसमें गये हैं। तीजन बाई गई हैं। तो इनका योगदान संस्कृति के लिए इतना था कि हम बाहर के कलाकारों को नहीं बुलायेंगे। किसी दिन चर्चा आयेगी तो बताउंगा। मोहसिना जी की लड़की की कंपनी को कितना पैसा भुगतान किया गया, नहीं बुलाने की तर्ज पर और किन-किन कलाकारों को कितना भुगतान दिया है। हमने तो एक करीना को बुलाया। हमने भी उसे नहीं बुलाया था। वीडियोकॉन ने बुलाया था तो इन्होंने सिर उठा लिया था। मैं किसी दिन नाम दूंगा, जब चर्चा में आउंगा तो। आज तो समय की कमी है। इतना पैसा भुगतान किया माने इन्होंने सांस्कृतिक भ्रष्टाचार ही कर दिया।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, इस बार कौन आ रही है। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- आयेगी तो आप चलेंगी न?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बताइए, किसे बुलाना है? उसे बुलायेंगे। (हंसी)

सभापति महोदय :- आप बता दीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- नहीं, इस बार अगर पता चल जाता कि कौन आ रही है या कौन आ रहा है? (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, बताइए, किसे-किसे बुलाना है, सबको बुलाएंगी। (हंसी)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- किसी हीरो का नाम लेना। (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर कोई हीरो हो तो वह भी बता दीजिए। आप पसंदीदा हीरो का नाम बता दीजिए। (हंसी)

सभापति महोदय :- आप सलाह दे दीजिए। वे मान जायेंगे। आप भाषण दे दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- देश भर में 5 हजार पुन्नी मेला होता है। माननीय सभापति महोदय, यह बताइए कि देश भर में त्रिवेणी कितनी है? छत्तीसगढ़ ही एकमात्र जगह है, जहां दो त्रिवेणी हैं। (मेजों की थपथपाहट) शिवरीनारायण, जहां जोंक नदी मिलती है शिवनाथ और महानदी से और यह राजिम है। राजिम की महिमा कभी और बतायेंगे जब अवसर आयेगा तो। कुंभ लुप्त हो गया था। फिर पुनर्जागरण का दौर आया। अगर कुंभ का इतिहास पढ़ेंगे तो राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया। पहले दौर में उस भूमिका में कुंभ का नाम देकर, रमन सिंह जी और बृजमोहन जी आये, इस बार विष्णु देव जी और बृजमोहन जी आये कि कुंभ के माध्यम से छत्तीसगढ़ को भारत और दुनिया के धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक नक्शे पर प्रतिष्ठित करने का भव्य और दिव्य संकल्प ये कर सकती है तो विष्णु देव सरकार या भा.ज.पा. नित सरकार ही कर सकती है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, जो राजिम कुंभ है, वह तो आदिकाल से राजिम कुंभ है, उसमें आप और क्या डेवलपमेंट करेंगे?

श्री अजय चन्द्राकर :- ते कुंभ जाबे तब करबे।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, अजय भाई..।

सभापति महोदय :- संगीता जी, आप बहुत ही ज्यादा टोक रही हैं। थोड़ा सा बोलने दीजिए।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति जी, सभा के बाद मैं कुर्सी को चेक करा लें, वहां कुछ तो है। मेरे खयाल से आप 17 से 18 बार तो वे खड़ी हो चुकी हैं।

सभापति महोदय :- नहीं, चलिए, आप ऐसा मत बोलिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा है, अब मैं कुछ बोलूंगा तो गड़बड़ हो जायेगा।

सभापति महोदय :- नहीं, आप भी कुछ मत बोलिए न। (हंसी) आप सीधे भाषण दे दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, मैं उनको बीच-बीच में छेड़ते रहता हूं। साहब, उत्तेजित नहीं करता।

श्री राजेश मूणत :- यह गलत बात है।

श्रीमती चातुरी नंद :- अजय भैया, पानी पी लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, यह तो चाहते ही नहीं कि छत्तीसगढ़ किसी तरह से अपने सांस्कृतिक वैभव के साथ दुनिया के सामने प्रकट हो, किसी दिन कांग्रेस विधायक दल में मुझे बुलाइए। मैं छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक इतिहास, समकालीन इतिहास के हर दौर में छत्तीसगढ़ के योगदान के बारे में आपको बताऊंगा, आप गर्व करेंगी। कुंभ, यानी हमारा उत्सव। भाव रखिए कि

उसको सत्य के धरातल पर उतारेंगे । ये पुन्नी मेला करेंगे और किसी को नहीं बुलाएंगे, यही हमारी धारणा है।

सभापति महोदय, रामलला दर्शन के लिए ।

श्री लखेश्वर बघेल :- अब हो गया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बंद कर दूं ।

सभापति महोदय :- नहीं, नहीं, आप बोलिए ना । कितना समय लेंगे यह बता दीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जल्दी बंद कर देता हूं ।

सभापति महोदय :- नहीं, नहीं, बंद मत करिये, आप बोलिए । मैं तो आपको कुछ बोल ही नहीं रहा हूं सर ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, रामलला दर्शन । हमारा तो एक आत्मिक संबंध है । भूपेश बघेल जी का स्टाइल दूसरा है । वह नहीं हैं, मैं आज का भाषण उन्हीं को समर्पित करता ।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- इसीलिए आज ज्यादा बोल रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जो भूपेश बघेल जी बोलें, वही यहां का इतिहास है । मैं आपको बता दूं कि हमारे भांजा हैं और भांजा आपके बिलासपुर के कोसला जनपद से हैं । भूपेश बघेल जी तो राम भगवान की प्रतिमा, तथाकथित प्रतिमा बोलता हूं । उन्होंने चम्पारण में भी लगवा दिया, क्योंकि 127/128 करोड़ में ठेका दिया गया था, उसका प्रश्न कल आएगा, यानी उसमें भी घोटाला । और हम छत्तीसगढ़ की उन माताओं, बहनों को छत्तीसगढ़ का कोई भी धार्मिक कार्य । कैसे ममा, बिना भांजा के हो जाथे ? जीते जी अपन भांचा ला दान पुन करके आही, जिंदगी सफल बनाही । यह योजना कौन बनाही, विष्णुदेव साय सरकार (मेजा की थपथपाहट) । मैं उड़ अउ कुछ धरा भांचा ला ।

श्री द्वेरिकाधीश यादव :- भांचा जी, आप छत्तीसगढ़ के हित के लिए अच्छा सोचते हैं, बोलते हैं । पूंजीगत व्यय बढ़ना चाहिए, इस बात का मैं भी समर्थन करता हूं लेकिन आपके साथ ऐसा क्या है कि आपकी पार्टी ही आपके हित के लिए नहीं सोचती और मैं आज इस सदन में बोलना चाहता हूं कि हमारे भांचा के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया है, आप खल्लारी विधान सभा क्षेत्र के भांचा हैं, आपका भांचा दान यही होगा कि लोक सभा का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के विपरीत रहेगा । वहां की जनता इस बात से नाराज है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे भांचा के साथ अन्याय किया है ।

सभापति महोदय :- ठीक है, आपका प्रस्ताव उन तक पहुंच गया है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- भांचा ला गोद लिही ।

सभापति महोदय :- ये मामा जी, भांचा की बहुत चिंता कर रहे हैं, आप बोलिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, अगर ये ऐसा सोचते हैं तो शकुनी मामा या कंस मामा हैं (हंसी) । वे भांचा का हित नहीं चाहते ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैं भांचा का हित चाह रहा हूँ । मैं ही नहीं, खल्लारी विधान सभा के पूरे मतदाताओं के आप भांचा हैं । आप पूरे क्षेत्र को कंस मत बोलिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, प्रोजेक्ट बघवा । आप 17 वें नम्बर पर देखेंगे । पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता को बचाना, पारिस्थिकीय संतुलन को बराबर बनाए रखना पूरी दुनिया की चिंता है । यह क्यों लाना पड़ा ? 58 से ज्यादा हाथी पिछले पांच सालों में करंट से मरे । ये वन संरक्षण का काम नहीं कर रहे थे, ये बाघ संरक्षण का काम नहीं कर रहे थे, ये वन्य जीवों की रक्षा का काम नहीं कर रहे थे, ये करंट लगाकर उस सम्पदा को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे जो सदियों बाद फिर से छत्तीसगढ़ की ओर आ रहे थे और हाथियों में यह विशेषता होती है । अभी कुछ दिन पहले बघवा करंट से मारा गया, मेरा ध्यानाकर्षण है, आएगा तो उसमें चर्चा होगी । लेकिन आप लोगों ने पिछले पांच सालों में उन निरीह वन्य प्रणियों को करंट लगाकर मारने का काम किया, दूसरा काम नहीं किया ।

सभापति महोदय, युवाओं के लिए खेल सुविधा से लेकर सारी सुविधाएं और रोजगार की परिकल्पना की गई । क्या था रोजगार ? दो करोड़ का विज्ञापन सीएमआईआर की रिपोर्ट पर दे दिया । जिसकी रिपोर्ट को वे आज भी स्वीकार ही नहीं करते, आज भी आपका वह प्रश्न है । गैर सरकारी संस्था, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी कितनी है, दशमलव एक प्रतिशत । एक बार विधान सभा में आ रहा है । वहीं भूपेश बघेल ने सर्वे करवाया, सरकार ने सर्वे करवाया, आज के सर्वे में 20 लाख बेरोजगार हैं, जिस सर्वे की मैं बात कर रहा था। 5 साल में यह सरकार बेरोजगारों की संख्या को गिन नहीं पाई और जब चुनाव आया तो आखिरी दो महीने में कहा कि एक लाख कुछ लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपके सर्वे में 20 लाख आता है, मेरे तीन नंबर के प्रश्न का परिशिष्ट देख लीजिए, कितने बेरोजगार हैं। सी.एम.आई.आर. की रिपोर्ट में आज की तारीख में 19 लाख बेरोजगार हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के उत्तर में आया है। आपने पांच साल तक उनकी भावनाओं का खिलवाड़ किया।

सभापति महोदय, खेलकूद के लिए कोई जगह नहीं है। 46 करोड़ रुपये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के लिए है। आपने उत्तर दिया है, मैं उसको फिर पूछूंगा, मैं किसी विषय को हमेशा पूछता हूँ। कितनी की सामग्री खरीदी गयी ? 46 करोड़ रुपये में कितने मैदान बनाये गये ? कितने स्तर पर प्रतियोगिता हुई ? फुगड़ी का कौन निर्णायक था ? 46 करोड़ रुपया बुक करके पैसे खा गये, यह मेरा आरोप है। मैंने पहले भी अविश्वास प्रस्ताव में आरोप लगाया है। (शेम-शेम की आवाज) किसमें लिप्त कर दिया गया, सट्टा खेलों में। राजेश मूणत जी आज बड़े मुखर थे, मैं ज्यादा नहीं बोलता। आपका स्टार्टअप किसमें लिप्त था ? 2100 करोड़ का दोहरा काउंटर लगेगा, ई.डी. ने एक ही साल का पकड़ा है। यह पहली

सरकार थी जो अपने राजस्व में डाका डालती थी। गांव के लोगों को कहा, नौजवानों अवैध शराब बेचो और पियो, सट्टा, जुआ, नशा, सूखा नशा, बराबर भूपेश बघेल सरकार। यह युवाओं का मान है और 5 साल में एक प्रतियोगिता नहीं हुई। जब डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, हमने प्रस्ताव दिया है कि हम छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय खेल कराएंगे और उसकी अधोसंरचना उसके लायक विकसित की गयी। बृजमोहन जी खेल मंत्री थे, चाहे वह बिलासपुर का खेल परिसर हो, रायपुर पश्चिम को जाकर घूमिए, नया रायपुर के स्टेडियम को देखिए, एकाध संरचना 5 साल में खड़ी की हो तो बताईए, यह नाटक और गम्मत करने की बजाय 46 करोड़ रूपया चुनावी साल में भ्रष्टाचार करने की बजाय यह आपका युवक कल्याण था। यह परिकल्पना प्रस्तुत की गयी है, देखते रहिएगा, कितने कमिटमेंट आए, माननीय मंत्रीगणों ने 3 दिनों में कितने जांच की घोषणा की, किसलिए की, एक-एक उदाहरण आपका भ्रष्टाचार का स्मारक है। विवाहित महिलाओं के लिए महतारी वंदन में मैंने बात कर ली, सड़कों के लिए बात कर ली, अभी बजट आएगा देखिएगा, बजट में चर्चा करेंगे। मैं 5 साल में एक सड़क बता देता हूं। राजेश मूणत जी उसके विशेषज्ञ हैं, मेरी विधानसभा क्षेत्र में एक सड़क की एजेंसी परसों तय हुई। चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, उनकी अध्यक्षता में होती है, 50 करोड़ से उपर लागत है। अभी दो चार दिन पहले एजेंसी तय हुई। उसका शिलान्यास चुनाव के पहले हो चुका है, एक भी बड़ा प्रोजेक्ट बता दीजिए, रायपुर एक्सप्रेस हाईवे पांच साल में पूरा नहीं हो सका। स्काईवॉक खड़ा है, जिस दिन पहला सत्र था, यहीं से मुख्यमंत्री उठकर बहस छोड़कर गये, आज स्काईवॉक में फैसला होने वाला है, रायपुर के लोग आए हैं, 5 साल में क्या फैसला हुआ ? स्काईवॉक को मत पूरा करिए, हम पूरा कर लेंगे। आपने क्या निर्णय किया ? आपने एक चीज पांच साल में करवाई हो तो बता दीजिए कि हमने इस सड़क में यह काम किया है। आप एक उदाहरण बता दीजिए। मैं इन बातों को और बोल चुका हूं। चूंकि नये सदस्य हैं इसलिए बोल रहा हूं।

सभापति महोदय, निवेश का वातावरण। मैं निवेश का एक उदाहरण दे देता हूं। हम छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों से निवेश करेंगे, बाहर के लोगों को नहीं लाएंगे। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट से 40 हजार करोड़ का एम.ओ.यू. किया। आप एम.ओ.यू. का प्रति टन कितना पैसा दोगे, आपको 10 साल का छूट मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, आज की तारीख तक एक नारियल नहीं फूटा, एक शिलान्यास नहीं हुआ, एक रूपया नहीं आया, एडवांस खा लिया गया। मैंने अविश्वास प्रस्ताव में एम.ओ.यू. घोटाळा कहा था। मैं फिर उसमें कायम हूं। क्या निवेश आएगा ? निवेश आएगा, मोदी जी ने लिखकर दिया है, मोदी जी की गारंटी। इनोवेशन हब बनाऊंगा, सरकार की जितनी योजनाएं हैं, उसकी अटल पोर्टल से निगरानी होगी। उस इनोवेशन हब में 6 लाख से ज्यादा नौजवान काम पाएंगे। कहां है, पुराना मंत्री एकाध झन बइठे है, इनोवेशन हब लिखवा देबे तो बाजू वाला करा, काला कथे, ओखर स्पेलिंग लिख लिही, लिखवा के ले आही। उद्योग मंत्री जी ऐसे थे कि वह सिरिगट्टी में एक सीढ़ी में चढ़कर कूदकर गये और बताये कि मैं उद्योग मंत्री हूं। आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं ? प्रदेश के नौजवानों के सामने यह परिकल्पना

रखना छोटा-मोटा विषय नहीं है। निवेशकों के लिए हम ऐसा वातावरण बनाएंगे कि महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक से ज्यादा वातावरण बनेगा कि यहां प्रतिटन के हिसाब से पैसे वसूली नहीं होगी, छूट के नाम पर आपसे पैसे नहीं खाए जाएंगे। आप छत्तीसगढ़ में आइये और निवेश कीजिए। आपका स्वागत है।

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी, समाप्त कीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- जी सभापति महोदय, दो मिनट में समाप्त कर देता हूं। चलिये, मैंने समाप्त कर दिया।

सभापति महोदय :- नहीं, आप समापन कर लीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यह 3 महीने की सरकार है। यह अपने भाषण में लाख प्रश्न उठा ले। 3 महीने में एक परिकल्पना प्रस्तुत होगी और उसमें चलने की दिशा यह बजट तय करेगा। उसका रास्ता आज इस अभिभाषण पर चर्चा के माध्यम शुरू हुआ है। किसानों को बोनस दे दिया गया। महतारी वंदन योजना में काम शुरू हो गया। धान की एकमुश्त 3,100 रुपये भाव देने के लिए बजट की व्यवस्था हो गयी। आज इसकी एक शुरुआत हुई और संकल्प पत्र के माध्यम से युवाओं से लेकर, वनवासियों से लेकर, महिलाओं से लेकर नौजवानों तक एक दृष्टिकोण और दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। यह जिस विषय पर भी बात करे, लेकिन इनके कलंक के दाग इतने गहरे हैं कि अभी 5 साल नहीं, 25 साल तक नहीं मिट सकते हैं। यह तो बिरबल की संतान है। यह तो 5 साल तक लहर गिनकर पैसे कमाते रहे। छत्तीसगढ़ की जनता को इन्होंने अपराध, नशा, लूट, सट्टा, जुआ, corruption, extortion बराबर कांग्रेस पार्टी का 5 साल का शासन। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में 13 माननीय सदस्यों के संशोधनों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। संशोधन बहुत ही विस्तृत हैं, मैं पूरे संशोधनों को नहीं पढ़ूंगा, केवल संशोधन प्रस्तुतकर्ता सदस्यों के नाम को तथा संशोधनों की संख्या को ही पढ़ूंगा। जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित होंगे उनके ही संशोधन प्रस्तुत हुए माने जाएंगे।

क्र.	सदस्य का नाम	संशोधनों की संख्या
1.	श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य	10
2.	श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य	44
3.	श्री भोलाराम साहू, सदस्य	110
4.	श्री दलेश्वर साहू, सदस्य	11
5.	श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य	16
6.	श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य	14

- | | | |
|-----|-------------------------------------|----|
| 7. | श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य | 16 |
| 8. | श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य | 15 |
| 9. | श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य | 7 |
| 10. | श्री इन्द्र शाह मण्डावी, सदस्य | 50 |

सभापति महोदय :- अतः अब माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री अजय चंद्राकर, सदस्य द्वारा प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ चर्चा होगी। श्रीमती अनिला भेंडिया जी।

श्रीमती अनिला भेंडिया (डौंडीलोहारा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ।

सभापति महोदय :- अब आप एक मिनट रुक जाइये। आपका भाषण आगे होगा। सभा की कार्यवाही भोजन अवकाश के लिए अपराह्न 03.00 बजे तक के लिए स्थगित।

(2.00 से 3.00 बजे तक अंतराल)

समय :

3:00 बजे

(सभापति महोदय (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुईं)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में चर्चा हो रही है और यहां पर एक भी मंत्री उपस्थित नहीं हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अधिकारी दीर्घा भी खाली है।

सभापति महोदय :- मंत्री जी आ गई हैं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, 25 दिसम्बर को सुशासन दिवस में 12 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में दो साल के धान का बकाया बोनस 3716 करोड़ रूपए वितरित कर दी गई, यह बोलकर छत्तीसगढ़ सरकार वाहवाही लूट रही है और यह कब का बोनस दे रहे हैं ? इनको 2016-17 और 2017-18 का बोनस देना चाहिए था, परन्तु इन्होंने 2013-14 और 2014-15 का बोनस दिया। जिस साल अकाल पड़ा था, किसानों ने धान नहीं बेचा था, उस साल का बोनस दिया।

श्री राजेश मूणत :- सभापति जी, आपने अपने घोषणा-पत्र में पहले कहा था कि हमारी सरकार बनेगा तो भाजपा सरकार के कार्यकाल का दो साल का बोनस देगी, लेकिन पांच साल निकल गए, आपने बोनस देने की कोई बात नहीं की। यह तो भारतीय जनता पार्टी की विष्णु देव सरकार आई, जिसने कमिटमेंट किया था, वह बोनस दिया। आपने 5 साल में क्या दिया, वह बताईए।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, जिस वर्ष अकाल पड़ा था, आपने उस साल का बोनस दिया, जबकि उसे तो पहले दे चुके थे। आपको बाद वाले साल के धान का बोनस देना था।

श्री राजेश मूणत :- सभापति जी, आप तो वापस आईं न। आप लोगों ने क्या दिया ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- जहां पर आपको फायदा दिखा, एक-एक किसानों को देना है, वैसे ही जगह में आपने बोनस दिया है।

श्री राजेश मूणत :- अभी भी हम ही देंगे, आप चिन्ता मत करिए। आपकी चिन्ता भी हम करेंगे। चिन्ता मत करिए, इस सरकार में आपका मकान भी खाली नहीं होगा।

(वन मंत्री का सदन में आगमन)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- मंत्री जी आ गए हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- महिला मंत्री जी बैठी हैं। आप जहां पर बैठती थीं, वहां पर पहले से ही महिला मंत्री बैठी हैं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के किसानों ने धान बेचा, लेकिन उनको अपने ही पैसा प्राप्त करने के लिए बैंकों में लाईन लगाना पड़ रहा है, रात को सोना पड़ रहा है। यह बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आप बोलते हैं कि आपकी डबल इंजन की सरकार किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आप आय कैसे दोगुनी करेंगे ? इसी तरह से किसानों को परेशान करके आप किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं। किसानों की धान खरीदी में भी पारदर्शी और सुगमता की बात करके माननीय राज्यपाल से आप लोगों ने असत्य कहलवाने का काम किया है। अजय भैया बोल रहे थे कि रकबा घटा है। रकबा इसलिए घटा है कि आपकी जमीन का डायवर्सन हो गया, आपकी जमीन पर प्लाट कट गया तो आप जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। साल भर में किसानों का रकबा कम हो जाएगा क्या ? ऐसी कोई बात नहीं है। यह आपकी कमजोरी है, आपके सरकार की नाकामयाबी है। आप किसानों को बोल रहे हैं कि वे झूठे धान बेच रहे हैं। किसान झूठे हैं क्या ? वे बाहर के धान बेच रहे हैं क्या ? आप किसानों को चोर बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी सरकार में यह बहुत बड़ी कमी है।

माननीय सभापति जी, आप जनजातियों के उत्थान की बात करते हैं। आप कौन सी जनजाति के उत्थान की बात करते हैं। 15 जनवरी की घटना याद है, आपने कौन सी घटना का उल्लेख किया था, पर मैं भी कवर्धा जिले की 15 जनवरी की घटना का उल्लेख करती हूं, जब बैगा जनजाति के 3 परिवार वहां जलकर खतम हो गए थे। उसमें क्या कार्यवाही हुई ? उन लोगों को थोड़ा सा मामूली रकम देकर मामले को दबाने की कोशिश की गई।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, उसमें कार्यवाही हुई है, मैं उसकी गवाही हूं। मैं उस दिन एक घंटे के अंदर वहां पहुंची थी और वहां पर जांच के आदेश दिए गए हैं। जब कांग्रेस सरकार

जागी, 10 दिन के बाद जब दशगात्र का समय आया, तब कांग्रेस के जो पूर्व विधायक थे, उन लोगों ने बाद में संज्ञान लिया। लाश पर राजनीति करना कांग्रेस की आदत है, खासकर कबीरधाम जिले में। जांच के आदेश पहले ही हो चुके हैं। चूंकि आपको धरना देना है, इसलिए आप लोग धरना दिए, उस विषय को उस तरीके से लाईये। विषय में जो गंभीरता है, उसको स्पष्ट बताईये। कलेक्टर, एस.पी. के द्वारा जो जांच हो रही है, उस जांच के आदेश की कॉपी मेरे मोबाइल में है। तो सदन को गुमराह ना करें, हकीकत मेरे पास है, यदि आप कहेंगे तो मैं प्रस्तुत कर सकती हूं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- हम सदन को गुमराह नहीं करेंगे। आपकी सरकार सदन को गुमराह कर रही है।

श्रीमती भावना बोहरा :- जो जांच हुई है, उसकी आदेश दिखा देते हैं। सभापति महोदय, जो जांच का आदेश निकला है, वह सदन के सामने प्रस्तुत कर सकती हूं।

द्वारिकाधीश यादव :- जांच सही नहीं हुई है, यह बात सही है। तब धरना हुआ है।

श्रीमती भावना बोहरा :- जांच पूरी नहीं हुई है। अभी जांच चल रही है। आप लोगों के कारण, धरने के कारण पूरी नहीं हुई है। अभी भी जांच चल रही है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- इसकी दिशा सही नहीं जा रही है।

श्रीमती भावना बोहरा :- जिस दिन घटना हुई, उस दिन से लेकर 9 दिन तक पूरे आदिवासी बैगा भाईयों की चिंता नहीं की।

सभापति महोदय :- भावना जी, बैठिये।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सभापति महोदय, डाक्टर भी यह दावा कर रहे हैं कि उसकी मौत जलने से हुई या नहीं हुई, परन्तु पुलिस का फारेसिक रिपोर्ट तो बता सकती है कि किससे बैगा आदिवासियों की मृत्यु हुई। आग से जलने के कारण हुई या अन्य कारण से हुई है।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय सभापति महोदय, एस.पी. के माध्यम से ..।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप बैठिये न, आपको भी बोलने का समय मिलेगा।

श्रीमती भावना बोहरा :- जानकारी तो देनी पड़ेगी।

सभापति महोदय :- भावना जी, बैठ जाईये। बाद में बोल लीजियेगा।

श्रीमती भावना बोहरा :- जब विषय आ रहा है तो जानकारी तो देनी पड़ेगी।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- जब आपको बोलने का समय मिलेगा तो आप बोलियेगा।

श्रीमती भावना बोहरा :- आप लोग भी बीच में बहुत बोले थे, हमको भी थोड़ा सा मौका दीजियेगा।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, यह जनजाति राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र लोग हैं। अगर ऐसे लोगों के साथ हादसे हो रहे हैं तो बाकी लोगों के साथ क्या होगा ? आप लोग हमारे राज्यपाल महोदय से गलत बोलवाने का काम कर रहे हैं।

श्रीमती भावना बोहरा :- हमारे रेंगाखार में एक बार आदिवासियों के साथ कमरे में क्या हुआ था, एक बार वह याद कर लें।

सभापति महोदय :- भावना जी, बैठ जाइये। माननीय सदस्या को बोलने दीजिये।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने 65 प्रकार के वन उपज को समर्थन मूल्य में खरीदने की घोषणा की थी और उसको खरीद रही थी। आप लोगों ने इसको फिर से खरीदने का कहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, सभापति आप, बोलने वाली भी महिला और टोकने वाली भी महिला। बढ़िया तीनों का चलने दो। (हंसी)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आपकी सरकार के समय तेन्दू पत्ता तोड़ाई का मानक मूल्य 2 हजार से बढ़ाकर 4 हजार किया गया था, इसको हमारी सरकार ने किया था और हमारी सरकार ने समर्थन मूल्य में खरीदने की कोशिश की थी। तो वनवासियों का वन उपज, जंगल में रहने वाले हमारे जनजातियों के जीवन यापन हेतु जो सुविधाएं हैं, उनकी दिनचर्या है, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया था। आप लोग जंगल में रहने वाले हमारे जनजाति, आम जनता और वहां रहने वालों की दिनचर्या को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग जंगल के हजारों पेड़ काट रहे हैं।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, जंगल के पेड़ इस दो महीने में ही कटे हैं, पिछले 5 सालों में जंगल नहीं कटा है ? आप जरा आकर रेंगाखार में देखिये, जहां हम निवास करते हैं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सभापति महोदय, लगभग 18 लाख हितग्राहियों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का निर्णय कैबिनेट ने लिया, वास्तव में हम इसका स्वागत करते हैं। जो निर्णय स्वागत के लायक है, हम उसका स्वागत भी करेंगे। क्योंकि आज प्रदेश में बहुत से ऐसे परिवार हैं, जिनको आवास की आवश्यकता है। परन्तु आज आज लोग जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं, वह तो मुझे फेल होते नजर आ रही है। क्योंकि आपकी सरकार कह रही है कि घर-घर नल पहुंचा रहे हैं, घर-घर पानी की व्यवस्था हो रही है। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों का प्रश्न आपके विभागों में लगा था, उसमें कहीं तो टंकी बनी है तो वहां पाईप लाईन नहीं बिछा है। यदि पाईप लाईन बिछ गई है, टंकी बन गई है तो आपके द्वारा नल ...।

श्री राजेश मूणत :- भाभी जी, ये जितना भी है, वह सब दो महीने में हो गया। आप तो मंत्री रही हैं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- पहले भी हुआ है भईया, हम..।

श्रीमती भावना बोहरा :- पहले भी हुआ है, स्वीकार कर रही हैं।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यगणों से आग्रह है कि वे आपस में एक दूसरे के साथ चर्चा ना करें।

श्री राजेश मूणत :- यह जितना भी सब दो महीने में हो गया क्या ? आप तो मंत्री रही हो ?

श्रीमती भावना बोहरा :- पहले भी हुआ है, यह स्वीकार कर रहे हैं ।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यगणों से आग्रह है कि आपस में बात न करें ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सभापति महोदय, विभाग के द्वारा कहीं पर पानी की व्यवस्था कराना है, कहीं पर बोर खनन करना है, यह व्यवस्था विभाग के द्वारा करेंगे तभी घर-घर में नल और जल की व्यवस्था हो पायेगी । यह भी आपने महामहिम राज्यपाल महोदय से झूठ बोलवाने की कोशिश की है और इसमें ठेकेदार परेशान है । बहुत से ठेकेदार काम कर लिये हैं तो उनकी सेटिंग नहीं हुई है ।

श्री सुशांत शुक्ला :- आपके तरफ ठेकेदारों की बड़ी अच्छी चिन्ता हो रही है ।

श्री राजेश मूणत :- आपने जो बात कहीं है, मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन आपने बोला कि सेटिंग नहीं हुई है ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप लोगों से सेटिंग नहीं हुई है । उनका पेमेंट नहीं हो रहा है । जिसका सेटिंग है, उसका पेमेंट हो रहा है ।

श्री राजेश मूणत :- मोहले जी, वह बात आपके लायक नहीं है । (हंसी) माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से इतना ही पूछना चाहता हूँ कि टेंडर आपने किया, वर्क आर्डर आपने दिया, आपके कार्यकाल में काम आरंभ हुआ, नारियल आपने फोड़ा, विज्ञापन आपने छपाया, आपने पूरा का पूरा हजम कर दिया ? पत्तल उठाने का काम हमारे जिम्मे छोड़कर क्यों जा रही हैं ? वह भी लेकर चले जाते ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- इसमें 50-50 दोनों सरकार की योजना है । यह राज्य सरकार की है क्या ? दो महीने हो गये, चार महीने हो गये, जो अधूरे कार्य हैं उसको शुरू कर सकते हैं ? उसी तरह वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना की बात है, इसमें तकनीकी खामिया पाई जा रही है । बायोमैट्रिक में जो थम लगाने का होता है, उससे दिक्कतें आ रही है । वैसे ही महिलाओं के जनजीवन को आसान बनाने के लिये प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की बड़ी भूमिका रही है, आप लोगों ने बहुत अधिक इसके बारे में प्रचार किया है और अभी प्रश्न में ही आपने आंकड़ा गलत दिया है । हमारे यहां 52 हजार ऐसी महिलायें हैं, जिनको उज्जवला योजना चाहिये और आप लोगों ने कितनों को दिया ? आपने 30 हजार महिलाओं को उज्जवला योजना का लाभ दिया है, बाकी को कब और कैसे देंगे ? यह बड़ी दिक्कत वाली बात है । केन्द्र में आपकी सरकार है और अब राज्य में भी आपकी सरकार है, हमारे छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का लाभ मिलना चाहिये । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि आपके पास डबल इंजिन की सरकार है, नक्सली क्षेत्रों में हमारे

जवानों को सुविधायें नहीं मिलने के कारण हताश भी रहते हैं और परेशान भी रहते हैं । मैं यह कहना चाहूंगी कि आपके सरकार के आते ही हमारे नक्सली क्षेत्र में नक्सली गतिविधियां बढ़ गई हैं । मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ को पूर्णतः नक्सल मुक्त न बनाकर आप लोग नक्सलयुक्त राज्य बनाने के लिये कटिबद्ध हैं । हमको यह महसूस हो रहा है । सभापति महोदय, इसी तरह से राजिम कुंभ मेला की बात की जा रही है, आप लोगों ने प्रस्ताव लाया नहीं है । यहां राजिम कुंभ कल्प मेला का नाम दिया गया है । यह उचित नहीं है, जब तक हम विधान सभा में प्रस्ताव नहीं लायेंगे, तब तक राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में चर्चा करना उचित नहीं है । अयोध्या धाम में प्रभु श्री रामलाल की भी बहुत बड़ी-बड़ी चर्चाएँ पूरे देश में हो रही हैं । हम लोग भी स्वागत करते हैं, हम सब सनातन धर्म को मानने वाले हैं, आपने इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की है। आप लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, यह गलत है । हम सब के दिल में प्रभु श्री राम बसते हैं ।

श्री राजेश मूणत :- भाभी जी ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- राजेश भईया बैठो ना । बोलने तो दीजिए ।

श्री राजेश मूणत :- आप राम वन गमन मार्ग पर गई हैं कि नहीं गई हैं ? किस जगह पर राम वन गमन मार्ग बना ? एडीबी के रोड का नाम कर दिया गया राम वन गमन मार्ग ? भगवान राम की जो मूर्ति बनाई है, जरा एक बार देखकर जरूर आना ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप गये हैं कि नहीं ?

श्री राजेश मूणत :- मैं तो रोज घूमने जाता हूँ ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 44 प्रतिशत वन क्षेत्र होना प्रदेशवासियों के लिये सौभाग्य है और हम सब के लिये सौभाग्य की बात है । इसमें हम विफल होते नजर आ रहे हैं । आप हसदेव अभ्यारण्य की बात करते हैं, जैव विविधता को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे आदिवासी भाई बहनों का जल-जंगल-जमीन के प्रति प्यार, समर्पण, विश्वास को भी आपने आहत पहुंचाने का काम किया है । जैसा कि सतत समावेशी विकास की बात आप लोग करते हैं तो उसका लाभ आने वाली पीढ़ी को भी मिलना चाहिये, न कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिये जल-जंगल-जमीन को उजाड़ने की कोशिश की जाये । आज देश में हसदेव अभ्यारण्य जैसे हमारे जो हाथी प्रभावित क्षेत्र है। वहां पर अगर इस तरह से जंगल उजाड़ा जायेगा तो मानव और हाथी द्वंद्व भी बढ़ जायेगा और हमारे इस क्षेत्र में बहुत से ऐसे आदिवासी भाई-बहन हैं, जिनके जीविकोपार्जन का साधन ही जंगल है, वह भी नष्ट हो जायेगा। यह आप लोग माननीय राज्यपाल महोदय से असत्य बोलवाने का काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारे हसदेव अभ्यारण्य में जितनी भी जनजातियां हैं, वहां पर 10 हजार लोगों के घर हैं, वह घर भी टूटने की कगार पर है। वहां 82 प्रजातियों के पशु-पक्षी निवास करते हैं। वह पशु-पक्षी कहां जायेंगे ? उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है। यह आप लोगों के सोचने का विषय है।

इसी तरह हमारी केंद्र सरकार के माध्यम से खेलो इंडिया के तहत हर प्रदेश में स्टेडियम की सुविधा, समुचित विकास का एक खेल का स्टेडियम होना चाहिए, ऐसा आपके प्रधानमंत्री जी की घोषणा है परंतु आज हमारे छत्तीसगढ़ में तीरंदाजी के लिये ही इसकी सुविधा दी गयी है और उसमें भी अब आप लोगों की सरकार आ गई है तो उन्हें अच्छे से आगे बढ़ाईये, यह हमारी शुभकामनाएं हैं, हम आपके साथ हैं।

इसी तरह राज्य लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आप लोगों ने सी.बी.आई. जांच, ई.डी. जांच और जो भी जांच होती है, मैं वह तो नहीं जानती। वह सब जांच कराईये परंतु..।

श्री अजय चन्द्राकर :- तुमन अनियमितता ला जानथन।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप सुनिये। परंतु अभी से नहीं बल्कि जब से छत्तीसगढ़ बना है, आप वर्ष 2003 से जांच कराईये। क्या अभी के ही अधिकारियों के बच्चे और नेताओं के बच्चों का चयन हो रहा है ? पहले भी हुआ है। यह मामला पहले भी आया था। आप लोग पहले की बात क्यों नहीं उठा रहे हैं ? आप लोग अभी की बात क्यों उठा रहे हैं ? पहले जो शिकायतें हुई हैं, आप लोग उसकी भी जांच करवाईये, तब तो समझ आयेगा कि आप बदले की भावना से कार्य न करके जनता के हित में कार्य कर रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आदरणीय सभापति महोदया, अभी तो सी.बी.आई. को ले देकर अनुमति मिली है क्योंकि आप लोगों ने तो रोक दिया था क्योंकि उधर बड़ी सी.बी.आई. चल रही थी। वह जो अक्षम लोगों को डिप्टी कलेक्टर बना दिया गया था, उसके विषय में अभी तो सी.बी.आई. ने पहली बार कल एफ.आई.आर. दर्ज करवायी है। अभी तो आने दीजिये, जो-जो गड़बड़ किये होंगे वह सब सी.बी.आई. के चक्कर में आयेंगे। आपको लगता है कि कोई गड़बड़ी है तो आप वह भी दे दीजिये, वे उसकी भी जांच करेंगे।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- महोदय, मैं उसके लिये मना नहीं कर रही हूं। मैं यह कह रही हूं कि जबसे सन् 2000 से छत्तीसगढ़ बना है। उस समय से सरकार में जो गड़बड़ी चल रही है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। मैं यहां आप लोगों से यह मांग कर रही हूं। अगर आपकी सरकार सचची है तो आपको यह बात भी उठानी चाहिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- गड़बड़ी नहीं हुई है। यदि गड़बड़ी हुई होगी तो देखेंगे।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- इसमें देखने की क्या बात है।

सभापति महोदय :- आप आपस में एक दूसरे से बात न करें। आप अपना वक्तव्य जारी रखिये।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- जब इसमें सी.बी.आई. जांच करवा रहे हैं तो उसके लिये भी घोषणा कर दीजिये।

माननीय सभापति महोदया, वैसे ही महिलाओं और शिशुओं की समुचित देख-रेख की व्यवस्थाएं हैं। जो पहले से ही सरकार में चल रही थी।

श्री मोतीलाल साहू :- दीदी, आपको 5 साल तक मौका मिला था, उसमें आपको जांच करवा लेनी थी।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आपने उसमें क्या नया किया है, वह इसमें आना चाहिए था। विवाहित महिलाओं के लिये मुख्यमंत्री कन्या विवाह की राशि आपके कार्यकाल में 15 हजार रुपये थी और हमारे कार्यकाल में हमारी सरकार ने उसकी राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये की। यह अच्छी बात है। आपसे हो सके तो आप उसे बढ़ाकर 01 लाख रुपये कर दीजिये, वह और अच्छी बात हो जायेगी कि हमारे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत गरीब बेटियों को अच्छा सहयोग मिल जायेगा।

वैसे ही 12 हजार रुपये वार्षिक आय की सहायता प्रदान करने का वायदा निभाने वाले आपके बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा है कि हर घर में, हर महिलाओं को फॉर्म भरवायेंगे और हर महिला को 12 हजार रुपये देने का कार्य करेंगे। मैं बता रही हूं कि आपकी सरकार के बहुत जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा है। उसमें उन्होंने बोला कि कलेक्टर की पत्नी को भी वह राशि मिलेगी और मेरी पत्नी को भी वह राशि मिलेगी।

श्री दयाल दास बघेल :- आपकी पत्नी कहां से आ गई ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- उन्होंने ऐसा बोला है, मैं इस बात को कह रही हूं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आपकी पत्नी कौन हैं ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- उन्होंने जो बोला है, मैं उस बात को कह रही हूं। वह बात अलग है कि आप लोगों के समझने का नजरिया अलग है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभू ले देबो अऊ तन्ख्वाह वाले मन ला घलोक देबो ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- हां, हमू ला देओ ना। आप मन पहली ऐसा कहे रेहव का। वइसन तो नइ कहे हव। कोई आधार नहीं था। आप जब चुनाव प्रचार में गये तो उस वक्त कोई नियम नहीं था। आज चुनाव जीतने के बाद आप ऐसे नियम बना रहे हैं, जिससे गांव में मुश्किल से 2 से 5 महिलाओं को राशि मिलेगी तो वह बहुत है और आप लोगों ने बाकी महिलाओं को जो 12 हजार रुपये प्रतिवर्ष देने की घोषणा किए हैं, वह फेल हो जायेगा और सारी महिलाएं मैदान में आपके खिलाफ उतर जाएंगी। यह बहुत अच्छी बात है कि कम से कम महिलाएं अपने अधिकार के लिए लड़ें। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 12000 रुपये देने में यह बात आने वाली है जिसके लिए आप लोगों को तैयार हो जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदया, वैसे अन्त्योदय की परिकल्पना को साकार करने के लिए आपकी सरकार संकल्पित है। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह बात कही गई है, परन्तु इसमें यह कहा गया है कि 'अटल पोर्टल' जैसे अत्याधुनिक साधन का उपयोग किया जाएगा। अभी तक

कई गांव ऐसे हैं जिनमें आप लोग राशन कार्ड बदलने के लिए ऑनलाईन काम कर रहे हैं, पर आज तक वहां कई पंचायतों में चालू नहीं हुआ है, वहां जनता राशन कार्ड सुधारने के लिए भटक रही है। प्रदेश को सिकलसेल एनीमिया मुक्त बनाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु समस्त सिकलसेल मरीजों को निःशुल्क दवाइयां तथा परामर्श उपलब्ध कराने की बात कही गई है। यह तो पहले ही हमारी सरकार ने मलेरिया और एनीमिया मुक्त करने का काम किया है। इसमें यह भी उल्लेख है कि प्रदेश में निवेश का आदर्श वातावरण बनाएंगे। आपकी सरकार आदर्श वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, परन्तु आज अभी भी प्रदेश में बहुत से मुआवजा और पुनर्वास पैकेज जैसे प्रावधान जनता के बचे हुए हैं। अगर आपकी सरकार जनता को सुविधाएं देना चाहेगी तो जल्द ही इस प्रकरण को संज्ञान में लेकर, जनता को मुआवजा और पुनर्वास दिलाने का प्रयास करें।

माननीय सभापति महोदया, सरकार ने चुनाव के पहले जितने भी वायदे किये हैं आज भले वह आपकी घोषणाओं में है, लोगों को बता रहे हैं, यह चर्चा का विषय है, परन्तु आज तीन महीने और 4 महीने का समय हो गया, कोई भी घोषणा अमल में नहीं आयी है। चाहे किसानों को धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये देने की बात हो, चाहे महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 12000 रुपये देने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की प्रक्रिया की बात हो। अभी तक कोई घोषणा पूर्ण नहीं हुई है, जो हम कह सकते हैं कि आपकी सरकार द्वारा यह घोषणा संचालित हो गई है। आप लोगों के द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय से जो असत्य बोलवाने का काम किया है, हम लोग इस अभिभाषण का विरोध करते हैं।

माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पक्ष में सहमति सहित बात करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदया, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नयी बनी थी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गारण्टी की बात कही थी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले कुछ घोषणाएं की गईं। पहले मैं आवास योजना के संबंध में कहना चाहूंगा। इनकी सरकार में इन्होंने आवास नहीं दिया तो लोग हो गये थे उदास और नहीं दे पाये लोगों को आवास। इन्होंने अपने भी हिस्से की राशि नहीं दी। तो इनके किस्से बन गये और यह लोग दूरी में चले गये। इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही घोषणाओं पर अमल किया गया और यह लोग थे उदास। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 18 लाख लोगों को पास कर दिया आवास। अब सब लोग नहीं हैं उदास। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम है। मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रदेश में लोग उदास कैसे नहीं हैं। आज ही माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 3-4 महीने हो गये। हमारी बहन भैंडिया

जी ने कहा। अब इनको खुद पता नहीं है कि इस सरकार को बने 3 महीने हुआ है या 4 महीने हुआ है। यह सरकार कितने महीने पहले बनी है। अगर हम 3 महीने पहले की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद 18 लाख आवास पास किये गये और ऐसे लोगों को आवास मिल रहा है, जो वर्ष 2011, 2016 की सर्वे लिस्ट में हैं और आवास प्लस में है। इनके मुख्यमंत्री जी ने आवास का सर्वे करवाया था, हमने उसको भी किया है। इस तरह से इस प्रदेश में 18 लाख लोगों को आवास मिलना तय हो गया और उन्हें राशि भी मिलेगी।

माननीय सभापति महोदया, अगर हम महतारी वंदन योजना की बात करें। महतारी वंदन योजना ने लगा दिया भारतीय जनता पार्टी को चंदन। योजना लागू हो गई महतारी योजना वंदन। इस महतारी वंदन योजना में कहना चाहूंगा...

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदया, मैं महतारी वंदन योजना में यह बात बोलना चाहूंगी कि उसमें क्राईटरिया कर दिया है। जिस समय आप लोगों ने चुनाव लड़ा। जब आप लोग लोगों के घरों में जाते थे आप लोगों के द्वारा उनको यह बोला गया है कि एला संदूक में रखबे तहान जइसने हमन चुनाव जीतबो, तहान हमन तुमन ला पइसा देबो। उसी संदूक में रखा हुआ आएगा, आप उसी को पैसा दे दीजिए।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आप पहले समझ लीजिए कि महतारी वंदन योजना क्या है? महतारी किसको कहते हैं, जिसका बच्चा होता है उसको महतारी कहते हैं। जो कुंवारी रहती हैं, उसको महतारी वंदन योजना का फायदा नहीं मिलेगा। आपको मेरी बात कैसी लग रही है?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदया, महतारी वंदन योजना में काका जी इसलिए बोल रहे हैं कि पूरे प्रदेश में किसी घर में सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, यह राशि आपके यहां जायेगी, इसलिए आप इसमें ज्यादा बोल रहे हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- हम लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। विधायक और भूतपूर्व विधायक के परिवार के सदस्यों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कलेक्टर की पत्नी को भी और हमारी पत्नी को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। आप वक्तव्य में देख लीजिए।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मंत्री जी का बयान नहीं है, यह आप लोग कह रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- यह माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बयान है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय संगीता जी, आप यह सुन लीजिए सरकार ज्यादा सुविधा दे देगी तो पुन्नूलाल मोहले जी के परिवार की जो संख्या 14 है, उसको 16-17 अभी भी कर सकते हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अब महतारी वंदन योजना में क्या फायदा होगा ? भाजपा का क्या फायदा, महतारी वंदन योजना का क्या मिलेगा फायदा ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप संख्या को कहां तक ले जा सकते हैं।

सभापति महोदया :- सदस्यगण आपस में चर्चा न करें, उनको बोलने दीजिए।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदया, परिवार में पति-पत्नी हैं, उनको एक महीने में 1000 रुपये, 12 महीने में 12 हजार रुपये मिलेगा। बाजार समान खरीदने जायेंगे और उनको 12 महीने में 12 हजार रुपये मिलेंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदया जी।

सभापति महोदया :- संगीता जी, आगे आप बजट चर्चा में भी इस विषय में बोल दीजियेगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदया जी, मैं पूछना चाह रही हूं। अभी जो सर्वे आया है, आप लोग जो सर्वे में क्राइटेरिया दे रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने आपको इतना शानदार हिंट दिया, आपने कुछ नहीं कहा। सरकार ज्यादा सब्सिडी तो अभी भी पुन्नूलाल जी 14 से 18, 20 तक जा सकते हैं।

सभापति महोदया :- सदस्यगणों से मेरा आग्रह है कि आपस में संवाद न करें।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदया, मेरा सौभाग्य है कि जब पिछले समय यह लोग सरकार में थे और मैं भाषण दिया करता था तो इधर से शकुंतला साहू जी खड़ी होती थीं और इधर यह खड़ी हो रही हैं। यह मेरा डबल सौभाग्य है। कुछ बात तो है। (हंसी)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदया, वास्तव में जिसकी 3-4 पत्नियां हैं और पति के कॉलम में एक पति का नाम लिखाया गया है तो उसको इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं ? जैसे 12 जन के आगे आपका नाम लिखायेगा तो उनको वास्तव में महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आप यह बता दीजिए कि आपकी कितनी हैं ?

श्री धर्मजीत सिंह :- आप एक पैसे का तनाव मत लीजिए। जिसको मोहले जी बोल दिये, उनको सबको सुविधा मिलेगी।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदया, एक परिवार में पति-पत्नी हैं तो एक को मिल गया। उसकी बहू है तो 12 हजार रुपये तो उनको मिला और उसकी बहू को भी 12 हजार रुपये मिलेंगे। दो बहू हैं तो 24 हजार रुपये, तीन बहू हैं 36 हजार रुपये मिलेंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदया जी, मैं इसमें प्रश्न करना चाहती हूं।

सभापति महोदया :- आपका जब बोलने का समय आयेगा तो अपनी बात कह दीजियेगा। आप लोग माननीय मोहले जी को बोलने दीजिए। उनको टोकिये मत। आप बैठिये।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदया, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह मेरे को देखती क्यों हैं, टोकती क्यों हैं?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मुड़-मुड़ के ना देख, मुड़-मुड़ के ना देख गाना गा दिहो, कहत हे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- दीवाना है, आप गाना गायेंगे। माननीय सभापति महोदया, मेरे कहने का मतलब यह है कि एक परिवार में पति-पत्नी, बुजुर्ग हैं, उनकी तीन बहू हैं तो 36 हजार रुपये, 4 बहू हैं तो 48 हजार रुपये और 5 बहू हैं तो 60 हजार रुपये मिलेंगे। सामान खरीदने जायेंगे बाजार, ऐसी योजना महतारी योजना है, आपको सोचना है। यह गरीबों के लिए योजना है।

श्रीमती चातुरी चंद :- माननीय सभापति महोदया।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदया, क्या बात है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इधर मोहले और महिला, इसमें अंतर क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय सभापति महोदया, परम आदरणीय सदस्य महोदय कहत हे कि जे घर में जैठे महिला रहिही, ओला महतारी वंदन योजना के लाभ मिलही। पर मैं सुने हों कि जेन घर में अगर कोनो ला 500 रुपया पेंशन मिलत हे तो महतारी वंदन के ओला 500 रुपया मिलही। तो ये तो गलत हे। जब चुनावी घोषणा चलत रहिस हे, ओ समय में आप मन बोले हौ कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रत्येक महिला ला एक हजार रुपये दिया जाना चाहिए। ता एमा 500 रुपये के कटौती नहीं होना चाहिए। यह Criteria आप मन तय करे हौ। ये बिल्कुल गलत बात हे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं तो ऐसा सुना नहीं हूं। आपने सुना होगा तो अलग बात है। अभी तो गाईडलाईन नहीं आई है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- गाईडलाईन आ गे हे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- गरीब लोगों को 1000 रुपये मिलेगा। जो गरीब रहेगा करीब, उसको 1000 रुपये मिलेगा। आप तो गरीब नहीं हैं। अभिभाषण में तो दिया गया है न।

श्री धर्मजीत सिंह :- संगीता जी तो है ही नहीं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- वैसे हम संगीता जी को सिफारिश कर सकते हैं। (हंसी) अब अगर कहे कि चार बहुओं को लाभ मिलेगा तो कुल मिलाकर उनको 60,000 हजार रुपये मिलेंगे। अब एक वर्ष में 60,000 रुपये मिलेंगे तो पांच साल में 3,00,000 रुपये मिलेंगे। उनके पास पैसा ही पैसा हो जाएगा। उनकी आर्थिक स्थिति सुधन जाएगी।

श्रीमती चातुरी नंद :- हाथी के दांव खाय के अलग अउ दिखाय के अलग।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- इसमें हाथी नहीं है, सबको साथी बनना है।

श्रीमती चातुरी नंद :- हाथी के दांव खाय के अलग हे, अउ दिखाय के अलग हे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- जब योजना लागू होगी तो आपको है सोचना और लागू होगा तो बताना है कैसा है योजना।

श्रीमती चातुरी नंद :- मोहले जी, योजना ला ही बतात हन।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, अधिकतर लोगों को फायदा मिलेगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने दिया है। यह पहली बार है कि हमारे माताओं, बहनों एवं बेटियों को फायदा मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। सुधरेगी ही नहीं। पहले वे पति के भरोसे में पहले रहती थी कि मेरा पैसा कब देगा। संगीता जी, याद रखिए कि अब वे पति के भरोसे में नहीं रहेंगी। अब वह स्वतः स्वावलंबी है, वह साहसी हो जायेगी और वह अपने मन से अपनी परिवार के पालन-पोषण में ध्यान देगी, व्यवस्था देगी। मैं कई परिवार से क्षमा चाहूंगा कि कई परिवार के महिलाएं ऐसी हैं जो अपने पति के सहारे में होती हैं। कोई नशाबाज होते हैं, कोई अन्य काम करता है, उससे उनको छुटकारा मिलेगी। वे महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी। यह महतारी वंदन, उसके माथे में लगेगी बंदन। महवारी वंदन योजना में श्रृंगार करने वाले माताएं सिंदूर लगाती हैं। कैसे जी भेंडिया, योजना है बढ़िया?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- महिलाओं को लगाये हो चंदा।

श्री अजय चन्द्राकर :- भेंडिया जी, योजना है बढ़िया।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- भेंडिया जी, योजना कैसे है बढ़िया?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- योजना है खड़बड़िया।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आपको लग रहा है खड़बड़िया तो हमारे से हो गये दूरिहा। इस कारण योजना है खड़बड़िया। दो योजनाएं हैं। किसानों के लिए योजना है। किसान भाईयों को पिछले समय बोनस की राशि नहीं दी गई थी। हमारी सरकार ने जो बोनस की राशि देने की वादा किया था, उसको निभाया। 3,716 करोड़ रुपये और सब पैसा उनके खाते में जमा है। अगर विपक्ष वाले के किसी व्यक्ति का नाम छूट गया है तो कृपया करके वह नाम दे दें, उनको भी बोनस की राशि मिलेगी। सरकार की योजना है, आप सबको हमको सोचना है। बोनस, पैसा घूस जाएगा सबके नस। किस का नहीं है बस, योजना है बोनस। हम आपको को बता रहे हैं। आप सुनते जाईये, आपको मिलते जायेगा। देखते जाईये।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सुनने में योजना का लाभ मिल जाएगा?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- देखते जाईये। बजट आपका हो जाएगा बजट, खुल जाएगा गजट।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- लोग हो जायेंगे भटक।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आपका दिमाग हो गया है भटक। आप किसान भाईयों का 15 क्विंटल धान लेते थे। हमारी सरकार ने 21 क्विंटल धान लिया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, जब पहले आपकी सरकार थी तो आप लोग 15 क्विंटल लेते थे और हम लोगों 20 क्विंटल धान लिया है। हमने आपको 21 क्विंटल धान लेने के लिए मजबूर किया है।

श्री राजूश मूणत :- आपने 15 क्विंटल ही धान ही खरीदा है, 20 क्विंटल नहीं खरीदा है। माननीय सभापति जी, सब मोहले जी को ही क्यों मजबूर कर रहे हैं?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आप बोलती हैं तो मुझे इधर देखना पड़ना पड़ता है नहीं तो मैं उधर ही देखकर बोलता हूँ।

सभापति महोदय :- आप सीधे देखिए, उधर मत देखिए।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं उधर ही देखता हूँ तो वह मेरे तरफ देखकर क्यों बात करती हैं। आप उधर बात कीजिए।

सभापति महोदय :- आप लोग भी मोहले जी की तरफ मत देखिये, इधर देखिए।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय जी, मैं यह नहीं समझता हूँ कि यह लोग मुझे बार-बार क्यों देखते हैं, यह बता दें। (हंसी) और संगीता जी मेरे को बार-बार देखकर क्यों उठती हैं? यह बता दीजिए, संगीता जी। फिर मुझे पढ़ना पड़ेगा भागवत गीता, सुन रही हो जी संगीता। (हंसी)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- तैं ए डहर ला ज्यादा झन देखे कर ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अच्छा, छोड़िए । अब मैं इधर ही देखकर बात करूंगा । (हंसी)

सभापति महोदय :- आप लोग भी उधर मत देखिये और माननीय मोहले जी भी इधर देखकर अपनी बात कहें ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, ये इधर मुझे ईशारा करती हैं तो मैं क्या करूँ ? मुझे उधर देखना पड़ता है ।

श्री राजेश मूणत :- मोहले जी, उन सबको मालूम है कि आपसे कोई खतरा नहीं है । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- मुझे इसमें घोर आपत्ति है । यदि सब्सिडी बढ़ेगी तो मोहले जी अभी 14 से 20 की ओर बढ़ेंगे । (हंसी)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- मोहले जी, सिर खुजलात हस ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- वह क्या बोल दीं इसी कारण मुझे सिर खुजलाना पड़ रहा है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप इधर ही इधर देखते हैं ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मेरे से क्यों नजर मिलाती हैं ? मैं तो उनको कुछ नहीं बोल रहा हूँ । (हंसी)

सभापति महोदय :- आपस में संवाद न करें ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, अब बोनस मिल गया । बोनस के बाद अब मैं बता दूँ कि हम 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं । खरीदे हैं और कितना धान खरीदें ? 100-150 क्विंटल से ज्यादा ही धान खरीदी कर लिये हैं । दूसरा, इनकी चिंता है कि पैसा कब मिलेगा करके तो पैसा भी मिलेगा । पैसा कब मिलेगा जब बजट पास होगा । अभी तो बजट पास नहीं हुआ है । इन योजनाओं का लाभ किसानों को मिलेगा । किसान न हों परेशान, यह योजना है सरकार की आसान, नहीं होना है आपको परेशान । आपको तीन योजनाओं का लाभ मिलने वाला है । खरीदा है सरकार ने धान, नहीं होने

देंगे परेशान । सब काम उनका होगा आसान । यह सरकार की योजना है । इन योजनाओं का एक बोनस का पैसा सरकार ने पास कर दिया । अभी और पैसा देने वाले हैं । कल देख लीजिये बजट, खुल जायेगा गजट, कल ही है बजट ।

श्रीमती चातुरी नंद :- मोहले जी, सबको नहीं मिलेगा तो जनता क्यों परेशान नहीं होगी ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आप परेशान हैं । जनता परेशान नहीं है, सबको मिल रहा है । जब मुझको देखकर आप परेशान हो जाते हैं तो फिर बाकी की बात छोड़ो ।

श्रीमती चातुरी नंद :- बड़े-बुजुर्ग हैं ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं भी तो बहन मान रहा हूँ । मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ । अब इस योजना का लाभ लोगों को मिलेगा । 21 क्विंटल धान का पैसा और उनका जितना पैसा है वह उनके खाते में जमा हो जायेगा । बजट पास होगा, पैसा मिलेगा । धान खरीदी का पैसा तो लोगों को मिल ही रहा है और जो पैसा है वह मिलेगा । हमारे विपक्ष को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है । सरकार बने अभी 3 महीने भी नहीं हो रहे हैं तो 3 महीने में सरकार ने इतना काम कर दिया । एक गैस की योजना है । हमारी बहू-बेटियाँ इधर-उधर घूमती रहती हैं और भटकती हैं । उनको कहीं ओर नहीं जाना पड़ेगा । उनको 1000 रुपये महीने में मिलेगा । गैस ले सकते हैं, गैस भरवा सकते हैं, उनके परिवार का गुजर-बसर होगा । उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो घोषणा की थी वह अमल में ला रही है । एक और योजना के बारे में बता दूँ । अगर मैं इस योजना के बारे में कहूँ तो यह है आवास योजना । किसी को नहीं होना है उदास, योजना हो गई है आवास और बन गया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का खास, विपक्ष वालों को नहीं होना है उदास । इस योजना का लाभ लोगों को मिलने की स्थिति में आ गया है । बजट में आपका पैसा भी पास हो गया है और आप अगले महीने देखते रहिये कि क्या होगा । मैं आपको चार बातें और बता रहा हूँ । आपकी एक और योजना है पीने के पानी की समस्या । आपकी सरकार में आपने देखा होगा कि पी.एच.क्यू. विभाग की क्या स्थिति थी ? गड़ढ़े हो गये थे, लोग चल नहीं पा रहे थे । स्थिति विस्फोटक थी । पेमेंट भी नहीं हुआ था । बनी थी आपकी गवर्नमेंट और नहीं कर पाये पेमेंट और केवल लगाकर घूमती रही आपकी सरकार सेंट, समझ गये और कई लोग लेते थे परसेंट ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- 3 महीने में क्या काम हुआ ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आपको शायद नहीं मालूम कि 3 महीने में कितने काम हो गये । आप बता दीजिये कि आपका कौन सा काम नहीं हुआ ? किस गांव का नहीं हुआ ? सरकार ने पास किया । कई काम बिना टेंडर के हुए तो टेंडर को इधर से उधर किये । क्या नहीं हुआ, इन्हीं सबकी तो बात चल रही है । हमारी सरकार क्यों बनी, आपकी गलतियों के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी । 500 रुपये में गैस और फोकट में कौन गैस दे रहा है प्रधानमंत्री का केश । प्रधानमंत्री की रोजगार गारंटी

योजना है। आप लोग दे रहे थे वारंटी और प्रधानमंत्री की है गारंटी। भारतीय जनता पार्टी की है गारंटी। इस कारण सभी को योजना का लाभ मिलेगा। मोदी सरकार करेगी, डबल इंजन सरकार है। आपकी दोनों इंजन फेल हो गयी थी। हमारा दोनों इंजन चल रही है। ऊपर से भी और यहां से भी। मोदी सरकार है मोदी, सब लोगों को अच्छे अच्छे लोगों को खोदवा रहे हैं गोदी। आप लोगों को भी खुदवाना पड़ेगा गोदी। यह सरकार है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। समझ लीजिए। नई योजना का लाभ सबको मिलेगा। चाहे प्रधानमंत्री आवास का हो। आप लोग तो शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता भी नहीं देते थे। शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता देने की बात थी। कहा गया आपका भत्ता? चली गई आपकी सत्ता और नहीं दे पाये आप भत्ता। आपने कितने लोगों को दिया? आपकी क्या घोषणा हुई थी? कितनी परेशानी थी? आपकी सरकार में बहुत परेशानी थी। हमारी सरकार में सिर्फ आसानी है। बेरोजगारों का भी काम हो रहा है। महिलाओं का भी काम हो रहा है। आवास भी दे रहे हैं और धान की भी खरीदी हो गई। सरकार की इतनी योजनाओं के बारे में कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत-बहुत, धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री भोलाराम साहू जी।

श्री भोलाराम साहू (खुज्जी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, धान के बोनस में लोगों ने कितनी परेशानी उठायी, उन्हें वर्ष 2017-18 का बोनस देना था और दे दिये वर्ष 2013-14 का। किसानों ने कुछ अलग सोचा था, लेकिन सरकार में आते ही आप लोगों ने उनके लिए परेशानी पैदा कर दी। किसानों को बड़ी उम्मीद थी कि हमें वर्ष 2017-18 का बोनस मिलेगा, लेकिन आपने वर्ष 2013-14 का दे दिया। उसमें किसानों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। ये किसानों के लिए बड़ी दिक्कत है।

श्री राजेश मूणत :- अच्छा, आपके खाते में कितना आया है, यह ईमानदारी से बता दीजिए।

श्री भोलाराम साहू :- मेरे खाते में तो बहुत कम आया है।

श्री राजेश मूणत :- नहीं, जितना भी आया है, वह ईमानदारी से बता दीजिए।

श्री भोलाराम साहू :- बहुत कम आया है।

श्री राजेश मूणत :- जितना भी आया है, वह बता दीजिए।

श्री भोलाराम साहू :- साढ़े 3 हजार आया है।

श्री राजेश मूणत :- आपको बधाई हो। कम से कम इस सरकार ने इतना तो ध्यान रखा।

श्री भोलाराम साहू :- जी, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन जितना मिलना था वह नहीं मिला। हमें उससे ज्यादा 6 हजार मिलता था या 7 हजार मिलता, लेकिन हम 3 में ही अटक गये। माननीय सभापति महोदय जी, यह दिक्कत है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान मिलना है और इसमें आप लोग वर्ष 2011 की सर्वे सूची को मान्य करते हैं और अभी हमारे माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि 4 सर्वे कराये हैं और उसमें 4 प्रकार के सर्वे हैं। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसमें आर्थिक सर्वेक्षण के

हिसाब से छत्तीसगढ़ प्रदेश के हमारे क्षेत्र में जितने भी गरीब आदमी हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से उन्हें आवास योजना आवंटित किया जाये ताकि गांव में जितने भी आवासहीन व्यक्ति हैं, उन्हें आवास का लाभ मिल सके। माननीय सभापति महोदय जी, अभी जल जीवन मिशन की बात हो रही थी। जल जीवन में गांव में इतनी परेशानी उठा रहे हैं कि पानी मिलना तो दूर है, उन गलियों में चलना मुसीबत हो गई है। टंकी बनी नहीं है और लोग इंतजार कर रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- भोलाराम जी, ये 2 महीने में ही समस्या आ गई क्या?

श्री भोलाराम साहू :- चाहे जितने भी महीने में आया आदरणीय बड़े भैया।

श्री धर्मजीत सिंह :- 5 साल आपकी सरकार थी। ये लोग तो जब बोलते थे तो इन्हें सब बोलते थे कि रामराज्य है। दो ही महीने में गिट्टी भी उड़ने लगा, बोल्डर भी उड़ने लगा, कीचड़ भी आ गया, पानी भी आ गया। दुनियाभर का सब इसी 2 महीने में आ गया, ऐसा लगता है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- याद दिलाना पड़ेगा।

श्री भोलाराम साहू :- याद दिला रहे हैं आपको। अब 3-4 महीने होने जा रहा है और टंकी पूरा अधूरा है। वहां गली को खोद दिये हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- 5 साल के बाद, अब आ रही है इन्हें याद। (हंसी)

श्री भोलाराम साहू :- पूरा टंकी बना नहीं है। ठेकेदार छोड़कर भाग गये हैं। गली को खोद दिये हैं। पाइपलाइन का विस्तार हो नहीं पाया है। तो इन सब चीजों को सरकार को पूरा करना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसमें गैस सिलेण्डर है। मिट्टी का तेल तो मिलना बंद हो गया है। बहुत कम लोगों को मिलता है और आप लोगों ने जिसे गैस सिलेण्डर वितरित किये हैं, वे तो भरा नहीं पा रहे हैं। कहीं अलग किनारे में पड़े हैं। ऐसा पूरा ग्रामीण क्षेत्र में है। तो कम से कम गैस सिलेण्डर निःशुल्क दिया जाये ताकि वे लोग उपयोग कर सकें। गरीब लोगों से क्या वसूल करना कि 500 रुपये, 200 रुपये जैसा लेते हैं। उन्हें निःशुल्क दिया जाये ताकि वे गरीब गैस सिलेण्डर का उपयोग कर सकें। अभी राशन कार्ड बनाने में भी बड़ी कठिनाई हो रही है, राशन कार्ड बन ही नहीं रहा है। ऐसे कई लोग हैं जो उम्रदराज़ हैं, उनका फिंगर प्रिंट नहीं मिलता, उनको तो राशन मिलता ही नहीं। पर्यटन धाम के तर्ज पर कुरगुडा, चंद्रपुर, रतनपुर, दंतेवाड़ा, डोंगरगढ़ को विकसित करने की बात कही है। हमारे यहां सांकरदहरा है, वहां राजिम कुंभ की तरह ही मेला लगता है, वह अस्थि विसर्जन के लिए छत्तीसगढ़ में दूसरा स्थान है, जिस तरह राजिम को विकसित किया गया है, उसी तरह उसको भी विकसित किया जाए। जब आपकी सरकार थी उस समय मैंने इस बात को बोला भी है, इस बात का उल्लेख कई बार आया है। महाशिवरात्रि में वहां 15 दिनों का मेला लगता है और वहां हमेशा भागवत, प्रवचन का आयोजन किया जाता है, ऐसे तीर्थ स्थानों को चिह्नांकित करके उसको भी विकसित करने का काम किया जाए।

वन्य प्राणियों के क्षेत्र हसदेव अरण्य में कितने जंगल कट रहे हैं और आप लोग बाघों की सुरक्षा की बात करते हैं। वहां कई प्रकार के जीव जंतु हैं, इसके अलावा वहां वनवासियों को भी कई प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं। आदिवासी परेशान हो रहे हैं। वहां जो खनन के लिए दिया गया है उस पर रोक लगाकर उन्हें सहूलियत प्रदान की जानी चाहिए। महतारी वंदन की बात कर रहे थे, इसमें कितनी दिक्कत है, उसे वे लोग ही जानेंगे जो गांव में रहते हैं। उसका फार्म नहीं मिल रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। उसकी समय सीमा भी निर्धारित है, समय सीमा खत्म हो जाएगी तो किसको मिलेगा? महतारी वंदन योजना में परिवार की सभी महिलाओं को देने की बात कही गई थी। मुझे नहीं लगता कि सबको मिलेगा। प्रदेश की सड़कों की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं कि क्या है? पेयजल की व्यवस्था देख लीजिए। सिंचाई की व्यवस्था देख लीजिए। उद्योगों से कितना प्रदूषण फैल रहा है, प्रदूषण रोकने की कोई कार्रवाई आपकी सरकार नहीं कर रही है। ये सब बड़ी दिक्कतें हैं। वहां रहने वाले ग्रामीण बीमार पड़ रहे हैं। बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है।

श्री प्रबोध मिंज :- सब दिक्कत तो आप ही मन पैदा करे हों पांच साल में।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- तै बदल दे चोला तो दिक्कत नइ होही भोला।

श्री भोलाराम साहू :- मैं माननीय सभापति महोदय से निवेदन करता हूं कि जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए ज्यादा उपयुक्त है, ऐसे कानून बनें। अभिभाषण का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इस प्रजातंत्र के पवित्र मंदिर में जनमत के आधार पर सरकारें बनती हैं और विपक्ष भी सामने बैठता है और एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में कोई वहां रहता है तो सरकार पर भी नियंत्रण रहता है और सरकार अच्छी तरह से चलती है। लेकिन मैं दो-तीन दिनों से देख रहा हूं, विपक्ष बिखरा हुआ है, हताश है, निराश है और सत्ता पक्ष की इन बातों को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं जो अभी चुनाव के बाद पहली बार राज्यपाल जी ने कहा है। आदर्श स्थिति यह होती कि आप यह कहते कि आपके राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आपने जो बातें कहीं हैं उसे अक्षरशः पालन करिये। जनहित की बातों में हम समर्थन देंगे। लेकिन अभी दो महीने में ही इनको तमाम प्रकार की खामियां, परेशानियां, दुनिया भर का भूकंप सब कुछ दो महीने में आ चुका है, इनकी बातों से लगता है। पूरे देश में एक गाना बज रहा है, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, मेरे राम आएंगे और चुनाव में मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, विष्णुदेव साय आएंगे। (मेजों की थपथपाहट) आपको राम वाम से तो लेना देना है नहीं। सभापति महोदय, मुझे एक अखबार के टी.वी. एंकर ने पूछा, कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे थे कि हमारे तो रोम रोम में राम है, मैंने कहा राम बस नहीं है, वह पूरा रोम रोम है। आप लोग राम से टकराने की जरूरत कर रहे हैं, राम के अस्तित्व को नकारने

की हिम्मत करते हैं, राम के मंदिर जाने से परहेज करते हैं, आप राम के मंदिर में जाने का विरोध कर रहे हैं। यह आपके दिमाग का स्तर उतर चुका है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात का घोर विरोध करती हूँ कि आज तक हमने राम मंदिर जाने से विरोध नहीं किया है। हमारे किसी सदस्य ने इंकार नहीं किया है कि राम मंदिर न जाए।

श्री धर्मजीत सिंह :- तो फिर गये क्यों नहीं ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम गये हैं। आप हमारा रिकॉर्ड निकालकर देखिए, हमारे विधान सभा में जाकर देखिए, हमने तीन-तीन, चार-चार कार्यक्रम अटेंड किए हैं। हम लोग राम मंदिर में राम लला का स्वयं अभिषेक किए हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आपकी बात थोड़ी कह रहा हूँ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम सभी सदस्यों की बात कर रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपके नेता राम मंदिर जाने का विरोध किए, राम के अस्तित्व को काल्पनिक बताए, राम के (व्यवधान) नकली बताया।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- शंकराचार्य जी भी नहीं गये। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- सारे सदस्यों से मेरा आग्रह है कि कृपया बैठ जाएं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- शंकराचार्य जी लोग भी नहीं गये, उन्होंने भी विरोध किया। आप गलत बोल रहे हैं।

श्री जनक ध्रुव :- यह गलत बातें हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप गलत बोल रहे हैं कि हमने राम मंदिर जाने से इंकार किया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अब सुनिए ना।

श्री जनक ध्रुव :- आदरणीय सभापति महोदय, राम के नाम पर नहीं जाने वाली बात, यह बेबुनियाद बातें हैं, हम तो बचपन से रामलीला भी खेले हैं और आज भी राम लला के मंदिर में जाते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- लेकिन आपके नेता तो बोलते हैं कि राम नाम का कोई चीज ही नहीं है, जिसके नेतृत्व के लिए अभी सब स्वागत करने, इस्तकबाल करने गये हैं, कहां हैं ?

श्री जनक ध्रुव :- राम मंदिर जाते हैं, रामलीला खेले हैं और राम को मानते भी हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आयोध्या चलेंगे ना।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हां जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- हां हो गया, बस हमारे साथ चलना है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- चलेंगे-चलेंगे। सभापति महोदय, वहां शंकराचार्य लोग भी नहीं आए। उसको क्यों उल्लेख नहीं कर रहे हैं, हमारे ही नेता के पीछे पड़े हैं। राष्ट्रपति दौपदी मुर्मू भी नहीं गयी हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- संगीता जी, आप कितनी बातें करेंगे। जब मुर्मू जी चुनाव लड़ रही थीं तो हम लोग वोट दिए थे, आप लोग तो विरोध में वोट डाले थे, अभी बहुत हितैषी हो गयीं, राष्ट्रपति मुर्मू, राष्ट्रपति मुर्मू। आपने किसको वोट दिया था, यशवंत सिन्हा को दिए थे या नहीं दिए थे। (हंसी) आप क्या बात करती हैं। सभापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं, हमारे राज्यपाल जी की जो इस अभिभाषण की कॉपी है, उसमें राम लला के दर्शन कराने ले जाएंगे, अगर आपकी मानसिकता राम के पक्ष में हो, अगर आपके नेता, बड़े नेता, दिल्ली वाले भी जाना चाहें तो इस योजना में हम उनको राम लला का दर्शन कराने ले जाएंगे, यहां से यात्रा निकलेगी। यह विष्णुदेव साय की सरकार है। (मेजों की थपथपाहट) आपको नाम से समझ में नहीं आ रहा है क्या, विष्णु देव माने विष्णु जी देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं, लेने वाली सरकार चली गयी। उस हकीकत को स्वीकारिए। सभापति महोदय, इनको पिछले पांच साल पहले वक्त ने दिया साथ तो मशहूर हो गए, पावर क्या मिला तो मगरूर हो गए। ऐसी वैसी चालों से ही आप जनता की नजरों से दूर हो गए। आदरणीया बहन जी, आपको ही कह रहा हूं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- धरम भैया, प्रशासन में बैठे हैं करके, अब भी आप मगरूर मत हो जाईए, कभी आप इधर थे।

श्री धर्मजीत सिंह :- इसीलिए हम कहते हैं, आप जो बोल रही हैं ना, खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दें कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। हम ऐसी खुदाई बिल्कुल नहीं चाहेंगे। यह जो राज्यपाल जी का अभिभाषण है, यह केवल कागज की किताब नहीं है। इसमें 46 प्रतिशत छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद है। इसमें 54 सीटों की शक्ति है। इसमें जनता की ताकत है। आप इस ताकत से टकराने की जरूरत मत कीजिए। आप इसे स्वीकारिये क्योंकि इस सदन में विष्णुदेव साय जी जनता की आवाज को पेश कर रहे हैं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप ताकत का इतना गुरुर भी मत कीजिए, वरना उधर से इधर पटकने में देर नहीं लगती है।

श्री धर्मजीत सिंह :- इसलिए आप इसमें उनको सुनने, पढ़ने, समझने और काम करने का वक्त दीजिए। आते ही विरोध कर रहे हैं। यह शुभ लक्षण नहीं है, इसलिए आप लोग इस पर मनन कीजिए। इस विधान सभा में मैंने वहीं पर बैठकर कहा था कि यह सरकार अहंकार में चल रही है और अहंकार के वृक्ष में विनाश का ही फल लगता है। आपने देखा कि 3 दिसंबर को जो जनादेश आया, उसमें आप उधर पहुंच गये और हम इधर आ गये। विष्णु देव साय, देने वाले विष्णु देव साय जी।

माननीय सभापति महोदय, कल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि इस प्रदेश में अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं। हृदय शक्तियों से हसदेव कट गया। हृदय शक्तियों से और क्या-क्या हो गया बोल रहे थे। कुछ-कुछ हो गया बोल रहे थे। यहां अदृश्य शक्तियां नहीं हैं, यहां तो संवैधानिक सरकार है। अनिला भेंडिया जी, जब आप मंत्री थीं तो वहां पर अदृश्य शक्तियां थीं और आपके विभाग का रेडी टू

ईट बड़े-बड़े धन्ना सेठों को दे दिया गया और हमारी महिलाओं के साथ अन्याय हुआ। (शेम-शेम की आवाज) यहां अदृश्य शक्तियां उस समय थीं।

श्री अजय चंद्राकर :- उस समय कितनी लेन-देन हुई?

श्री धर्मजीत सिंह :- जब सरकार की शराब दुकान की बाटलें किसी एक करोड़पति के घर में गुमनाम जगह से चलती थी और सारे पैसे वहां आते थे। समानांतर सत्ता का केन्द्र चलता था। गुमनाम ताकत वह थी। गुमनाम शक्तियां वह थीं कि जब यहां के रेत घाट का टेण्डर हुआ तो उस टेण्डर के लिए इनके जिले में रायबरेली के एक आदमी की यहां की सरकार ने सिफारिश किया कि उस ठेकेदार को इसको 50 प्रतिशत में पार्टनर रखना पड़ेगा और वहां जाकर तानाशाही से रेत की उगाही हुई। (शेम-शेम की आवाज) गुमनामी की सरकार वह थी, जब यहां रेत माफियाओं के गुन्नों और पन्नों को इजाजत थी कि किसी भी अधिकारी को जाकर मार दो, किसी को ट्रैक्टर में कुचल दो और किसी सरीफ आदमी के घर में मारपीट कर दो। यह गुण्डागर्दी सत्ता के बाहर बैठे हुए लोग कर रहे थे। मैं आपको और बता देता हूं।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदया, मोहले जी के भाषण में तो पूरा महिला मण्डल खड़ा होता था, लेकिन इनके भाषण में एक भी महिला खड़ी नहीं हो रही हैं। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- मोहले जी लोकप्रिय हैं। आप ही वरिष्ठ हैं और बोलेंगी तो।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्या है कि मोहले जी वरिष्ठ भी हैं और बिना हथियार के भी हैं। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- यह आरोप है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- इस आरोप की जांच भी हो जाए। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदया, इस प्रदेश में कोयले का भी खेल हुआ है। वह परीक्षा का समय आने वाला है। अदृश्य शक्तियों के द्वारा कोयले में क्या हुआ? कोयले के चक्कर में बड़े-बड़े I.A.S. ऑफिसर अभी जेल में हैं। कोयले के चक्कर में बड़े-बड़े धन्ना सेठ जेल में हैं। यही अदृश्य शक्तियां थीं। आप मंत्री थीं और आप कुछ नहीं कर रही थीं। इस प्रदेश में अदृश्य शक्तियां हावी थीं कि Collector, S.P., I.G., D.I.G., Mining ऑफिसर इन सब सरकार के लोगों का बाहर के फालतू किस्म के लोगों के इशारे पर क्रियान्वयन किया जा रहा था। अभी यहां से किसी ने चावल के बारे में पूछा। कितना बड़ा चावल घोटाला है! C.B.I. उसकी भी जांच करेगी।

समय :

4:00 बजे

आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। मैडम, आपसे तो कोई मतलब नहीं था। आपका तो सिर्फ रेडी टू इट वाला ठेका हो गया था, वही बस है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आपकी सरकार आ गई है, आप ठीक करवा दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- करवा रहे हैं। सब काम दो ही महीने में थोड़ी ठीक होगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- रेडी टू ईट, योजना थी फिट ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, महादेव सट्टा एप के बारे में इस प्रदेश में चर्चा हो गई । सभापति महोदया, मैंने देखा कि कोई दुर्ग भिलाई का लड़का है, उसकी शादी दुबई में है, करके टेलीविजन में दिखाया । उसमें बड़ी-बड़ी हीराइनें डांस कर रही थीं । मैंने कहा कि अरे बाप रे, कौन दुर्ग का महापुरुष कहां से पैदा हो गया । इतनी बड़ी-बड़ी हीरोइनों को डांस करवा रहा है ।

श्री गजेन्द्र यादव :- पान दुकान चलाने वाला लड़का था ।

श्री धर्मजीत सिंह :- उसमें कोई आपत्ति नहीं है । यहां के बड़े-बड़े उद्योगपति पेट्रोल पम्प में पेट्रोल बेचा करते थे, वह कोई बात नहीं है । धंधा करके आगे बढ़ेगा । पर मैंने उस लड़के को देखा कि अचानक-भयानक कैसे वह दुर्ग का आदमी प्रकट हो गया और सारी हीरोइनें डांस कर रही हैं । कौन से गाने में तो कर रही थीं । कोई बड़ा अच्छा सा गाना था । तो पता चला कि वे महादेव सट्टा एप के अमिताभ बच्चन हैं और उस अमिताभ बच्चन को प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब यहीं से संरक्षण मिल रहा है तो ये हाल है । इतना अति करने के बाद भी आप क्या उम्मीद करती हैं कि यहीं बैठते (सत्ता पक्ष की ओर इशारा करते हुए) । आपको यहीं बैठने की उम्मीद थी क्या ? दिल में हाथ रखकर बोलिए ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अब बैठे हैं तो अच्छी बात है । हम जनादेश स्वीकार कर रहे हैं, हम मना थोड़ी कर रहे हैं कि इधर बैठें या उधर बैठें । ऐसे ही अहंकार और घमंड रहेगा तो बहुत जल्दी इधर आ जाएंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप लोग बहुत खुशकिस्मत वाले हो । इसमें कई ऐसे लोग हैं, मेरे पास कार्यवाही का विवरण है । जब मैं हंसदेव के बारे में भाषण दे रहा था तो मैंने कहा था । सभापति महोदया, आप उस वक्त यहां नहीं थीं । इस प्रदेश में दो लोग खतरे में हैं-हंसदेव और सिंहदेव । (हंसी) सिंहदेव जी हार गए । कहां हैं राजेश बाबू ? और हंसदेव में कटाई भी हो रही है । मेरी दोनों बात सही निकली, लेकिन जब हंसदेव की बात यहां हो रही थी, पूर्व मुख्यमंत्री जी एवं सरकार के ऊपर आरोप लग रहा था । मैंने एक घंटे के भाषण में एक-एक इंच, एक-एक क्यूबिक घन मीटर का पानी, सब कुछ के बारे में बताया है और मैंने यह कहा था कि इस प्रदेश की जो तत्कालीन सरकार थी, आपने जो-जो अनुमति दी है, उस अनुमति को रद्द कर दीजिए, नहीं तो झाड़ काटने से कोई नहीं रोक सकता । मैंने उस दिन चार लाइन की कविता पढ़ी थी, वह मैं आपको सुनाना चाहता हूँ :-

अधिकार खो कर बैठ रहना, यह महा दुष्कर्म है ।

न्यायार्थ अपने बन्धु को भी दण्ड देना धर्म है॥

इस तत्व पर ही कौरवों से पाण्डवों का रण हुआ ।

जो भव्य भारतवर्ष के कल्पान्त का कारण हुआ॥

सब लोग हिलमिल कर चलो, चलो पारस्परिक ईर्ष्या तजो,

भारत न दुर्दिन देखता, मचता महाभारत न जो।।
 संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा ।
 हैं निशि दिवा सी घूमती सर्वत्र विपदा-सम्पदा।
 जो आज एक अनाथ है, नरनाथ कल होता वही ।
 जो आज उत्सव मग्न है, कल शोक से रोता वही ॥

जो उत्सव में मग्न थे, वे आज शोक में रो रहे हैं ।

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- माननीय धर्मजीत सिंह जी, एक मिनट । माननीय अध्यक्ष महोदय की ओर से माननीय सदस्यों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था लाबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है । कृपया सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करें ।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, मैं डर गया था कि आप मुझे बैठने के लिए बोल रही हैं । मारवाही वन मण्डल के बारे में किसने प्रश्न पूछा था ? डॉ. चरण दास महंत जी ने इस सरकार से प्रश्न पूछा था । 5 साल में क्या हुआ ? इस सरकार का तो कोई रोल नहीं है । वहां क्या हुआ, मैं बताता हूं । वहां 5 साल आपके यहां के वन मंत्री रेंजर को डी.एफ.ओ. के चार्ज में रखते थे और जब रेंजर डी.एफ.ओ.चार्ज में बैठेगा तो क्या होगा, आप कल्पना कर सकते हैं । हाथी मर रहे हैं, घोड़ा मर रहे हैं, ऊंट मर रहे हैं, मगर मर रहे हैं, सांप मर रहा है, बिच्छू मर रहा है, शेर मर रहा है । इसकी चिन्ता इस सरकार को नहीं थी, लेकिन जब मैं अचानकमार के गरीब लोगों के लिए सड़क की बात करता था, जब मैं अचानकमार के लिए प्रवेश द्वार की मांग करता था, तब आपकी सरकार दुर्भावना से मेरे क्षेत्र की गरीबों के लिए एक मिट्टी की सड़क की भी मंजूरी नहीं देती थी । क्योंकि फारेस्ट कंजरवेशन एक्ट लागू हो जाता था। वहां के गरीबों को रोजगार से वंचित करने के लिए काम नहीं दिया जाता था। तो यह दोहरावाद है।

माननीय सभापति महोदय, ट्राइफेड, आप तो उस समाज को बिलांग करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, आप तो उनकी नेता हैं। आप बहुत अच्छे परिवार, आप बड़े परिवार की हैं। ट्राइफेड संस्था क्या है ? दिल्ली की संस्था है। उस संस्था से पैसा आता है। छत्तीसगढ़ लघु वन उपज संघ के तहत गांव की गरीब आदिवासियों बच्चियों, माताओं-बहनों की तकरक्की कराओ। उस फंड का कैसे दुरुपयोग हुआ। उस

फण्ड से पाटन में, जहां एक फुट का जंगल नहीं है, 10 झाड़ नहीं है, आपने वहां प्रोसेसिंग यूनिट लगा दिया और जहां जरूरतमंद लोग रहते हैं, वहां नहीं लगाया। आपके एम.डी. लोग मनमर्जी तरीके से काम किये, जहां चाहते थे, वहां काम किये। वन मंत्री जी, आप उसकी जांच कराईयेगा। कौन-कौन कहां-कहां पैसा भेजा, कहां क्या हुआ, उसकी जांच करा लीजिये। तेन्दूपत्ता का बोनस, तेन्दूपत्ता का बहुत सारे भुगतान कई साल से बंद है। उनको पैसा नहीं दिया गया है। अखबारों की सुर्खियां बटोरने के लिए- 4,000 रूपया कर दिए, 4,500 रूपया कर दिए, इतना खरीद लिए, खाली शेखचिल्ली वाली घोषणा थी। पी.एस.सी. में क्या हुआ ? अधिकारियों के [xx] लड़के डिप्टी कलेक्टर बन गये और गांव के किसान का होशियार बच्चा सड़क में घूम रहा है। उनसे प्रश्न पूछा गया कि भारत की राजधानी कहां है - सही जवाब लखनऊ, गलत जवाब दिल्ली। जो होशियार बच्चा है वह दिल्ली लिखा और सिफारिश वाला बच्चा है, वह लखनऊ लिखा। लखनऊ लिखने वाला बच्चा पास, डिप्टी कलेक्टर बन गया और जो दिल्ली लिखा, वह फेल। तो उसकी जांच के लिए सी.बी.आई. नहीं आयेगा तो कौन आयेगा, मुझे यह बताइये ? आना चाहिए न? हां तो बोलो।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- राज्य बना, तब से लेकर अब तक जांच के लिए बोलिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, अब मैं प्रधानमंत्री आवास योजना पर आता हूं। इसको ज्यादा नहीं खींचूंगा क्योंकि मुझे और विषयों पर बोलना है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बता रहा हूं, माफ करेंगे। अजय चन्द्राकर जी, वहां से प्रश्न पूछे कि प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं बनाया जा रहा है, उनको आवास क्यों नहीं दिया जा रहा है, आप क्यों राज्यांश नहीं दे रहे हैं ? तो यहां जो पंचायत मंत्री थे तो वह बोले कि उसमें दाढ़ी वाले का फोटो रहता है, इसलिए हम नहीं देंगे। मतलब प्रधानमंत्री जी का फोटो रहता है, इसलिए हम नहीं देंगे। ये है सोच का लेवल, ये है सोच का स्तर। तो फिर चन्द्राकर जी ने कह दिया था कि अगर आपको उनके फोटो से एलर्जी है तो आप उसमें अपने बड़ी महिला नेत्री का फोटो छाप दो, परन्तु गरीबों का मकान दो। गरीबों के मकान में फोटो का चक्कर क्यों ? परन्तु इस सरकार ने मकान नहीं बनाया। जब चुनाव आया, दांव उल्टा पड़ता देखा तो मुख्यमंत्री योजना करके योजना बनाये। उस योजना में ना कुछ दम है, ना आपके पास उसके लिए पैसा था, ना कोई सोच है, ना आपके पास कोई इच्छाशक्ति है। काहे का नाम, इसलिए विष्णुदेव सरकार की पहली कैबिनेट में यह तय हुआ कि 18 लाख गरीबों को मकान दिया जायेगा। (मेजों की थपथपाहट) गरीबों का छत छीनने वाले लोगों का हश्न यही होगा, जो आप लोग यहां बैठे हुए हैं। आप लोग इसको याद रखिये।

माननीय सभापति महोदय, आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना इस प्रदेश में लागू है। प्रधानमंत्री अन्न दे रहे हैं, आपकी सरकार ने नहीं दिया था। 67 लाख 94 हजार परिवारों को राशन दे रही है, जो पेट भरने का काम कर रहा है। ऐसे रामभक्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से टकराने की

जुर्रत कर रहे हैं, बताईये। आप लोग उसको हराने की बात सोचते हैं। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ बिल्कुल चुनाव मत लड़ना, मैं आप लोगों का दोस्त हूँ। अभी आप लोगों को टिकट देकर फंसाने वाले हैं। इस चक्कर में पड़ोगे तो धन और धर्म दोनों जाने वाला है, इसलिये जो बहादुर नेता हैं, उन्हीं को बोलो कि वह चुनाव लड़ें। आप लोग संसदीय कार्य में भी भेदभाव करते थे। मैं वहां पर 5 विधायकों के दल के नेता के रूप में यहां बैठता था। दो बहुजन समाज के थे, 7 विधायक हम लोग बैठते थे, इधर बैठे हुये लोग किसी भी एक कमेटी में, उन 7 विधायकों में से किसी एक को मेंबर नहीं बनाया। जैसा कि मैं अभी वहां पर सभापति की तालिका में बैठकर बोल रहा था कि प्राक्कलन समिति और अन्य समितियों के निर्वाचन पर बोल रहा था, लेकिन हम लोगों को कोई अवसर नहीं दिया। हम लोग बेबस और लाचार होकर वहां पर बैठे रहते थे। यह है आपका संसदीय सम्मान? संसद में बैठने वाले हर व्यक्ति का सम्मान है, चाहे वह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का हो, चाहे आप हो या हम हो, विधायक जो है विधायक होता है, जनता का प्रतिनिधि होता है, वह निर्वाचित होकर आता है, उसके ऊपर जनता का आर्शीवाद रहता है, उसका सम्मान करना सरकार का भी काम है, अधिकारियों का भी काम है, जनता का भी काम है, हमारा भी धर्म है कि हम सब का सम्मान करें।

समय

4.12 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुये)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन दो-तीन बातें और कहना चाहता हूँ। मैं जब वहां जोगी कांग्रेस से चुनाव जीतकर आया था, यहां से बैठकर लोग देखकर हंसते थे, यह कहते थे कि आप भाजपा की बी टीम है, चलिये मैं ए टीम में आ गया। आप बी टीम क्यों बनाओगे? मैं यहां से भी चुनाव जीतकर सदन में आ गया। मुझे हराने के बहुत षड़यंत्र किये गये। जनता ने मुझे आर्शीवाद दिया। आप देखिये- रंग बदलती दुनिया में इंसान की कीमत कुछ भी नहीं। तीन महीने पहले जब हम किसी अधिकारी को फोन करते थे, हमारे फोन कॉल रिसीव नहीं किये जाते थे। फोन में रिप्लाइ भी देना कोई पसंद नहीं करता था। उनको डर रहता था कि कहीं कॉल डिटेल्स निकल गया, हमसे बातचीत का सिलसिला मिल गया तो कहीं कुर्सी खतरे में न पड़ जाये। जब फोन करो तो बात करने के लिये ...।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप लोगों का होता है, हम लोगों का नहीं होता है, वैसे ही होता है अदला-बदली। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं अभी बोला।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप पहली सरकार की बात कर रहे हैं तो हम आपकी बात कर रहे हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- जिसको फोन करो, हम बता देंगे फोन किया है करके।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- तोर व्हाया कैसे जाबो । हमको सीधा बात करना है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इंहा व्हाया जाबे तो कोई रिस्क नहीं है । (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- यह जो राज्यपाल जी का अभिभाषण है, यह छत्तीसगढ़ की भावना का प्रतीक है । राज्यपाल जी का अभिभाषण इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, जो कि एक गरीब आदिवासी परिवार के हैं, जिन्होंने दुख देखा है, झेला है, भोगा है, शांत प्रवृत्ति के आदमी हैं । प्रजातंत्र का सुदीर्घ अनुभव है, उनके नेतृत्व में बनी सरकार का वह विजन है, जो जनता के कल्याण के लिये, समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुये लोगों के आंख से आंसू पोंछने के प्रयास का एक कदम है । अभी बहुत लंबा सफर करना है । एक चीज याद रखिये कि आपसे हम अपील करते हैं थोड़ा धैर्य रखिये । सरकार को काम करने का अवसर दीजिए, फिर भी आप लोग विरोध करते हैं । आपकी आदत अभी तक नहीं सुधरी है । अगले मीटिंग में सुधारिये ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- कोई भी सरकार तब तक सफल नहीं होती है, जब तक विपक्ष सही रास्ता नहीं बतायेगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि हमारी सरकार थोड़ी अलग है। मैं आखिरी में फिर कह रहा हूँ कि कवि संतोषानंद ने गाना लिखा था- तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है । (मेजों की थपथपाहट) मुझे आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने कभी साथ नहीं दिया, मैं व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ, मेरा बहुत अपमान किया । लेकिन मैं आग में जलने से वाकिफ हूँ, मैं जलते-जलते यहां तक पहुंचा हूँ। यह कल तक मुझे बी-टीम कहते थे लेकिन मैं आज ए-टीम में हूँ और हम नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश की सभी 11 लोक सभा सीटें जीतेंगे और अनिला जी, आपसे मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध है इसलिये मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि यदि बाकी और किसी को शौक हो तो कोई बात नहीं लेकिन आप गलती से भी लोक सभा चुनाव मत लड़ियेगा (हंसी)। क्योंकि आप बहुत बुरी तरह से हार जायेंगी। आपका धन और धर्म दोनों जायेगा। इसलिये जहां अभी भगवान ने दिया है, वहां बैठकर अपने कर्तव्य का पालन करिये और अंदर से तो आप भी विष्णुदेव साय जी की सरकार की प्रशंसक हैं, ऐसा मुझे लगता है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में राज्यपाल जी से झूठ बोलवाकर अभिभाषण पढ़वाया गया, मैं उसके विरोध में खड़ा हुआ हूँ। हमारे माननीय विद्वान सदस्यों ने सरकार की योजनाओं को लेकर, सरकार के विजन को लेकर बहुत-सी बातें कही। माननीय धर्मजीत भैया ने राम लला जी के दर्शन को लेकर, राम लला जी के प्राण-प्रतिष्ठा को लेकर बहुत बढ़िया बात बोली। अध्यक्ष महोदय, मैं उस निषाद समाज से, केवट समाज से हूँ, जिसका

उल्लेख भी रामायण में मिलता है और उनके राज्याभिषेक के विशेष अतिथि का दर्जा का सौभाग्य भी किसी को मिला था तो उस निषादवंश को मिला था। मैं श्रृंगवेरपुर के राजा, गुह निषादराज जी को प्रणाम करता हूँ, जो उस राज्याभिषेक के विशेष अतिथि रहे। लेकिन दुःख इस बात का है कि जिस उत्तर प्रदेश में रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहाँ निषाद समुदाय की जनसंख्या 3.5 करोड़ हैं, उनमें से किसी को भी पूछा नहीं गया, यह मेरे मन की एक पीड़ा है। हमने कभी उनका विरोध नहीं किया। वह तो हमारे रोम-रोम में बसते हैं और वह हमारे आराध्य राम हैं। आप चाहकर भी उसे हमारे दिल से नहीं निकाल पायेंगे। लेकिन आप लोगों ने राम का उपयोग किया है तो केवल सत्ता के लिये किया है :-

“कि सत्ता की खातिर मजहब को ढाल बनाने वालो

भूखी बेबस जनता को टेढ़ी चाल चलाने वालो

अरे एक हाथ में खंजर लेकर एक हाथ में गीता

बोलो कितने राम बनाये और कितनी बन पायी सीता” (मेजों की थपथपाहट)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- कभी राम बन गये और कभी बन गये सीता, पढ़ते रहो भगवत् गीता।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मोहले साहब, हम लोग राम के असल भक्त हैं। राम जी को पूजते हमारा खानदान, हमारा वंश और हमारी पूरी पीढ़ी निकल गयी लेकिन हमने कभी दिखावा नहीं किया और न करेंगे। क्योंकि वह राम हमारे आराध्य हैं और हम उन्हें पूजते हैं। दिखाने से आदमी के मन के भाव या मन के उद्गार को नहीं जान पायेंगे। दिखावट, दिखावट ही होती है और जो दिल में होता है, वह अलग होता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संबंध में बोलना चाहूंगा। किसानों के संबंध में जो बातें हुई और घोषणा पत्र में जो बातें आई कि वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 के बोनस देने की बात कही गयी। लेकिन बोनस दिया गया दो साल का, वर्ष 2014-15 और 2015-16 का। आपको पता होगा कि वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 के समय अकाल की स्थिति थी, फसल अच्छी नहीं हुई थी, किसान अपना धान नहीं बेच पाये थे। आपने अपने घोषणा पत्र में जो बोला था, उसको हटाकर जिस वर्ष कम फसल हुई थी उसके आधार पर आपने बोनस की राशि दी। किसी को सालभर का बोनस मिला है, किसी को 6 महीने का बोनस मिला है और किसी को तो मिला भी नहीं क्योंकि उसमें विसंगती आई। ऐसे बहुत से किसान हैं जो खत्म हो चुके हैं, फौत हो चुके हैं, नामांतरण हुआ, बंटवारा हुआ, उसके संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महतारी वंदन योजना के नाम से घोषणा पत्र में प्रत्येक महिला को 12000 रुपये देने की बात आयी। इस सदन में बैठे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का वक्तव्य आया और मैंने उनका भी वीडियो सुना है कि इस योजना का लाभ कलेक्टर की पत्नी को भी मिलेगा, मेरी भी पत्नी को मिलेगा और आप सब की पत्नी को मिलेगा, लेकिन अभी तक इसमें कोई स्पष्ट गाईड लाईन

नहीं आयी। इसके लिए जो फार्म आया है उसमें बहुत सी विसंगतियां हैं। इसमें एक बार स्पष्ट बातें आ जानी चाहिए कि इस योजना का लाभ किनको मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। इस प्रदेश में बहुत से युवा साथी हैं, जो बेरोजगार हैं। हमारी सरकार ने उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया था। उनके खाते में महीने में ढाई हजार रुपये आ रहे थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है तब से न उनका कोई सुध ले रहा है, न उनके बारे में सोचा जा रहा है। इस प्रदेश के युवा बेरोजगार अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इस सरकार को बने यह चौथा महीना है, लेकिन अभी तक इसके बारे में इस सरकार की कोई सोच नहीं है। युवाओं के प्रति यह सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विद्वान साथियों ने इस प्रदेश की सड़कों पर अपनी बातें कहीं। मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ। जो आजादी के बाद पहली बार जो घिना से गड़ईडीह मार्ग बना। आजादी के बाद मनकी से हड़गहन मार्ग बना। आजादी के बाद तेलीटोला से कैवटनवागांव मार्ग भी बना है तो फिर विकास कहाँ हुआ ? पूर्व में 15 साल भी आपकी सरकार रही। अविभाजित मध्यप्रदेश के समय भी सरकारें आती जाती रहीं, लेकिन इस सदन के माध्यम से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने जनता की उस मांग को प्रमुखता से स्वीकार करके हुए, गांव तक लोगों के पहुंचने के लिए सड़क और पुल पुलिया निर्माण कराने के लिए राशि स्वीकृत की और आज वहां की सड़कें बन पायीं हैं और लोगों को आने जाने का साधन मिल गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके तथा इसी सदन के माध्यम से राजीव गांधी न्याय योजना के चौथी किश्त देने की भी बात हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा इस संदर्भ में स्पष्ट तौर पर कोई अधिकृत जानकारी नहीं आयी है इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस पर जरूर विचार करें। क्योंकि इस प्रदेश के किसानों को आस है अपने यह वादा किया है कि उनको चौथी किश्त की राशि भी देंगे। उसमें आप लोग जरूर प्रावधान करें और किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के चौथी किश्त की बचत राशि, उन्हें उसे दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि पंचायतों के माध्यम से धान खरीदी की राशि 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दी जाएगी, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से न ही पंचायतों को निर्देश है, न समिति को कोई निर्देश है और न ही आपके द्वारा कोई पत्र जारी हुआ है। इस प्रदेश का किसान इस पशोपेश में है कि उनको धान खरीदी की यह राशि मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। अतः इस बारे में भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है जिसके कारण किसान चिन्तित हैं और परेशान हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं किसानों के कर्जमाफी का भी उल्लेख करना चाहूंगा। आज सदन में बहुत से विद्वान साथी जो विधायक चुनकर आए हैं, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था कि किसानों को दो-दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ होगा। ऑडियो, वीडियो भी वायरल हुए

और घोषणा-पत्र में भी था, लेकिन अभी तक इस संबंध में सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आया है। किसान तो किसान हैं, उन्होंने क्या अपराध किया था ? उनको किसकी सजा मिल रही है। वह हमारे अन्नदाता हैं। यदि आज वह पसीना बहाकर, मेहनत करके फसल उगाते हैं तब हम अपने घर-परिवार, बाल-बच्चों का पेट भर पाते हैं। यदि आज किसानों के साथ ऐसा अन्याय हुआ तो वह दिन दूर नहीं है, अभी तो आपने विधान सभा का चुनाव देखा है, लोक सभा चुनाव में एक इतिहास भी लिखा जायेगा। यह इतिहास यदि कोई लिखेंगे तो वह मजलूम किसान होंगे जिनके आपने छलने का प्रयास किया है, छला है।

अध्यक्ष महोदय :- कृपया समाप्त करिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए, अभी तो शुरुआत किया हूं, दो-तीन मिनट ही हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अभी बजट का विषय आयेगा, उसमें आप डिटेल्स और बात करेंगे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अजय भैया, आपके दुःख के बात ला का कहों। आपके मन के उद्गार आपके मन के पीड़ा है। आप संस्कृति की बहुत बढ़िया बात कहे। छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत कलाकार होईन जेन मन छत्तीसगढ़ के संस्कृति, परंपरा, साहित्य ला बढ़ाये के काम करिस और आप ला पता हे। ओखर से जुड़े हो। माननीय हबीब साहब जेन नाचा के विधा ला छत्तीसगढ़ से लेकर विदेश तक मा पहुंचाये के काम करिन। आज ऐसे कुछ कलाकार हमर बीच नई हे, मैं ये सदन से ओला श्रद्धांजलि देहूं। झुमुक दास जी, नायक दास जी, दाऊ मदन मंदरा जी, मिथिलेश साहू जी, मदन निषाद जी, जेन मन नाचा के सिद्धस्त कलाकार हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अपन गांव के नाम नई लेस।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- श्रद्धेय दीपक चन्द्राकर जी, जेन मन कला बर अपन पूरा जीवन ला समर्पित कर दिस। तुलसी सम्मान से अलंकृत मदन निषाद जी पढ़े-लिखे नई रहिन। आपके विधान सभा क्षेत्र से आथे। भुलवाराम जी, ओला सफेद शेर कहन। लेकिन चोर चरणदास स्मिता पाटिल के साथ कोई पिकचर देख होईही तो बेबाक डॉयलाग बोलने वाले मदन निषाद जी थे। वह पढ़े नई रहिस लेकिन विजय भैया ओकर डॉयलाग सुन के अच्छा-अच्छा आदमी मन थर्पा जाये। भुलवाराम जी, मदन निषाद जी मन ला माईक के जरूरत नई पडय। तार सप्तक के आवाज रहिस, यहां कर ले बोलतिस तो पीछू वाले मन समझ जाये कि का बोलत हे। वैसन मन ला पद्म श्री या राज्य अलंकरण के सम्मान मिलना चाहिए। वैसे कलाकार मन के प्रति एक संवेदना के भाव होना चाहिए। अजय भैया बर तो ये कहहूं बैठना तो ओ डहर रहिन, लेकिन गड़बड़ हो गये। अब कते डहर हे होये हे तोर भांजा के बारे में तैं जान। लेकिन हम तोर भांजा ला मिला लेबो अतका बात कहत हन। काबर अजय भैया के मन के जेन पीड़ा हे ओला में समझत हों। रोज जब रात को 12 का गजर होता है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य हमारे भांजा जी का उल्लेख किये हैं तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा। वह क्षेत्र में बेबाक बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में शायद पहले आदमी हैं जो हर विषय में बेबाक बोलते हैं। अगर उनसे गलती होगी तो मेरा विश्वास है कि अपनी गलती पर भी बेबाक बोल सकते हैं। लेकिन पहला ऐसा अवसर आया है कि उनके साथ अन्याय किसने किया, इस पर कभी बेबाक नहीं बोल रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि कोई न कोई अवसर में आज जरूर बेबाक बोलिये कि आपके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप समाप्त करिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वह लाईन बोल देता हूँ। कम से कम मेरा एक भाव व्यक्त हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय :- लाईन पूरा करिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :-

जब रोज रात को बारह का गजर होता है,
यातनाओं के अंधरे में सफ़र होता है,
कभी सिर से सीने में कभी पेट से पाँव में,

कभी एक जगह हो तो कहीं दर्द दधर होता है।।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा बात करके अपन बात रखना चाहूँ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपको बहुत जल्दी दोबारा अवसर मिलेगा। धन्यवाद।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हर अंतिम बात करिहूँ। एक तरफ छत्तीसगढ़ की परंपरा, संस्कृति की बात अउ राजिम पुन्नी मेला ला आप भी जानत हों अउ हमन भी जानत हन। जब हमन नान-नान रहेन ता राजिम मेला मा गए रहे हन। उहां पुन्नी मेला के नाम से भराय, आप नाम ओखर नाम ला राजिम कुंभ करेओ। ओखर बाद राजिम पुन्नी के नाम से भी चलत रिहीसे, लेकिन अचानक राजिम कुंभ कल्प कोन डहर ले आ गइस। माननीय राज्यपाल महोदय से आप मन असत्य बोलवाया। अभिभाषण में थोड़ा ऐखर भी उल्लेख कर देओ। साथ ही एक तरफ वन के कटाई के संबंध में जेन बात हे अउ वन के संरक्षण में आप मन बोलेओ, यदि निश्चित ही जंगल रिही, पहाड़ रिही, पेड़ रिही ता हवा अउ पानी बराबर मिलही। यदि जंगल कट जाही ता जानवर के जान तो जाही, इन्सान भी खतम होही, जलचर भी खतम होही, पशु-पक्षी भी खतम होही ता एला संरक्षण करे के हमर जिम्मेदारी होना चाहिए ताकि जहां आदिवासी मन के संस्कृति बसथे, परम्परा बसथे, ओ हर बचे रहय अउ जेखर नाम से छत्तीसगढ़ राज्य ला जाने जाथे, ओ छत्तीसगढ़ के अस्मिता बने रहय। अध्यक्ष महोदय, बस इही बात के साथ मैं हर अपन बात समाप्त करत हों अउ मैं ये चर्चा के विरोध करत हों।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। सुश्री लता उसेण्डी जी।

सुश्री लता उसेण्डी (कोन्डागांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा की समर्थन में खड़ी हुई हूँ। अध्यक्ष महोदय, हम सबको छत्तीसगढ़ के चहुंमुखी विकास की कल्पना के साथ जिस छत्तीसगढ़ राज्य को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया और उसके सपने को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ में सरकारें बनीं। वर्ष 2001 की सरकार, वर्ष 2003 की सरकार और वर्ष 2018 की सरकार और छत्तीसगढ़ महतारी की जनता ने हमें वापस वर्ष 2023 में पुनः सेवा करने का अवसर दिया है। अध्यक्ष महोदय, 'धान का कटोरा' कहे जाने वाला छत्तीसगढ़ प्रदेश जिस तरीके से वर्ष 2018 से 2023 में और वर्ष 2003 के पहले छत्तीसगढ़ के किसान परेशान थे। छत्तीसगढ़ के किसान को घर में न सो कर उन्हें खेतों में सोना पड़ता था। वह भी स्थिति हम लोगों ने देखा है। लेकिन उस समय हमारे विपक्ष के बंधुओं, हमारे विपक्ष के भाईयों, कई वरिष्ठ सदस्य हैं, वह सारी परिस्थितियों को आपने पहले भी देखा है और आज भी देख रहे हैं और इस सदन में भी मौजूद हैं। समय-समय पर परिभाषाएं बदलती हैं। तकलीफें वही हैं, तकलीफों को दूर करने का चिंतन कम होता है। जब आपको अवसर मिला, आपने सत्ता ही असत्य से हासिल किया। आपने छत्तीसगढ़ की जनता को सबसे पहले यही कहा कि वर्तमान सरकार आपको बोनस नहीं दे पाई, आप हमें समर्थन दीजिये, हमें आशीर्वाद दीजिये, हम आपको बोनस देंगे, लेकिन 5 साल बीत गया, सरकार ने बोनस का नाम नहीं लिया। आज जिन किसानों को बोनस मिला है। छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में पैसा डलते साथ ही, माननीय विष्णु देव साय की सरकार ने जब उनके खाते में बोनस का पैसा दिया तो जो खुशी उनके चेहरे पर थी, मुझे लगता है कि विपक्ष के बंधुओं को वह भी हजम नहीं हुआ, क्योंकि उनके समय में उन्होंने असत्य के साथ यह पूरी सत्ता हासिल की थी। छत्तीसगढ़ में पहला निर्णय सुशासन दिवस के अवसर पर किया गया और वह सुशासन छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। धान की खरीदी की बात आती है तो हमारी सरकार ने 21 क्विंटल धान खरीदने का वादा किया, विष्णु देव जी की सरकार ने वादा किया और उस वायदे को पूरा करते हुए आज छत्तीसगढ़ के हर किसान का एक-एक दाना धान खरीदा गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जो पिछड़े जनजाति समाज के बैगा, कमार, पहाड़ी, कोरवा, अबुझमाड़िया लोग हैं। वे लोग वर्षों से अनेक मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे। उन्हें राशन की व्यवस्था के लिये, चावल के लिये भी तरसना पड़ता था। चाहे वह शहर के लोग हों, चाहे ग्रामीण लोग हों। हमने यह भी देखा है कि लोग जब रिकशा चलाकर घर वापस लौटते थे तो एक किलो-आधा किलो चावल खरीदकर वापस लौटते थे। मैंने उस अबुझमाड़ के लोगों को भी देखा है, मैं उस अबुझमाड़ से भी आती हूँ जिनके पास दूसरे दिन खाने के लिये चावल नहीं रहता था। यदि पी.डी.एस. की बेहतर व्यवस्था किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। आज अगर छत्तीसगढ़ में लोग राशन-अन्न को लेकर सुखी हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी और वर्तमान सरकार की देन है। आपने तो उस चावल में भी डाका डालने का काम किया। कोरोना का काल

आया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लोगों को राशन का संकट न हो, हमारी बहनों की खातों में 500 रुपये अन्य सामान के लिये और 5 किलो प्रति व्यक्ति जब राशन देने का निर्णय किया तो कुछ दिनों तक तो बराबर मिलता रहा लेकिन बाद में, आप अभी जांच करवा लें। हांलाकि जब विषय आयेगा तो मैं इस बात को कहूंगी कि जब सोसायटी में चावल लेने जाते हैं तो दो बार अंगूठा लगाना पड़ता है एक-बार लिखा होता है केंद्र सरकार, एक-बार लिखा होता है प्रदेश सरकार। सोसायटी में जो चावल विक्रेता है उसको भी समझ में नहीं आता है कि चावल कितना देना है या यहीं से इतनी सेटिंग कर दी गयी है कि चावल का घोटाला पकड़ में नहीं आया। जो 5000 क्विंटल चावल घोटाले की बात करते हैं उस गरीब के अन्न को किसी ने हजम किया है तो कांग्रेस के बंधुओं ने किया है। वह आज तक समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं इस बात को चावल के साथ इसलिये जोड़ रही हूँ कि चाहे वह रायपुर के नगर-निगम में काम करने वाला मजदूर हो, चाहे अबूझमाड़ में रहने वाला हमारा आदिवासी भाई-बंधु हो, बहनें हों। जिन संकटों से रायपुर नगर-निगम के हमारे रिकशा बंधुओं के परिवारों को, बहनों को गुजरना पड़ा उसी संकट से अबूझमाड़ के परिवार के सदस्यों को भी गुजरना पड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण कोई रहा है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तेंदूपत्ता वनोपज की बात आती है। मैं कई सारी बातों को रिपीट नहीं करूंगी लेकिन दिल्ली और रायपुर में बड़े-बड़े विज्ञापन छपते थे लेकिन तेंदूपत्ता का बोनस और तेंदूपत्ता का अधिकार हमारे गांववालों को नहीं मिलता था। जब तेंदूपत्ता तोड़ने वाली हमारी बहनें और हमारे बंधुगण पात्रता पूरा नहीं करते थे तो उनके बच्चों को स्कॉलरशिप से वंचित होना पड़ा। उनको कई सारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ा। उनका बीमा नहीं हो पाया। यह सारा श्रेय किसी को जाता है तो हमारे विपक्ष के बंधुओं को जाता है। आज मैं माननीय विष्णुदेव साय जी को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने 5500 रुपये प्रति मानक बोरा तथा संग्राहकों को 4500 रुपये तक का बोनस देने का निर्णय हमारी सरकार में किया गया है ताकि उन्हें वह लाभ मिल सके और आर्थिक रूप से हमारे तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार मजबूत हो सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास की बात आती है। हमारे सदस्य बहुत चिंतित हैं कि मुख्यमंत्री आवास योजना का क्या होगा? आपको इस योजना की क्या जरूरत थी? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आपको दे रहे थे कि आप प्रधानमंत्री आवास बनाईये तो आपको मुख्यमंत्री योजना बनाकर डबल वजन लेने की क्या आवश्यकता थी? छत्तीसगढ़ राज्य के बजट को बिगाड़ने की क्या आवश्यकता थी? केंद्र सरकार जो 75 परसेंट पैसा देती है उसमें भी आप और अतिरिक्त राशि मिलाकर हमारा जो पड़ोसी राज्य है वह बोनस देता है। अगर समय से पहले घर पूरा कर लिया जाये तो वह बोनस देता है लेकिन यहां की सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि केंद्र सरकार का नाम होगा। आप करते, आपका नाम होता। आप जीतकर आये हो। इतने सारे सदस्य जीतकर आये हैं। आपने

कुछ किया है, तब जीतकर आये हैं। तो मुझे लगता है कि आगे आकर अगर आप प्रधानमंत्री आवास का समर्थन करते और उस पर काम करते तो शायद वे लोग जिनके लिए आप प्रधानमंत्री आवास बनवाते, वे लोग आपके साथ खड़े होते। आज वे लोग आपके साथ खड़े नहीं हैं। इसका परिणाम आपके सामने रखा हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनते साथ ही हमारे 18 लाख परिवारों को जो आवास से वंचित थे, उन सारे लोगों को उन्होंने पैसा जारी किया। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, जब-जब और जितनी बार भी हमारी बहनों की बात आती है, विपक्ष के बंधुगण, महिला सशक्तिकरण की बात कहते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, जब सदन में बात आयी होगी तो निश्चित तौर पर ये सारी चर्चाएं जब हुई होंगी तो हम जब विपक्ष में थे तो हमारे साथियों ने भी कहा होगा कि छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए समाज के लोगों से, बच्चों से, महिलाओं से जोड़ने के लिए रेडी-टू-ईट का काम छत्तीसगढ़ की बहनों को दिया गया है तो आप यह यथावत रहने दें, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उन बहनों को जो छत्तीसगढ़ की 30 हजार बहनें जो डायरेक्ट रेडी-टू-ईट काम के साथ आंगनबाड़ी के बच्चों के साथ जिनके संबंध थे, आंगनबाड़ी के हमारे कार्यकर्ता सहायिकाओं के साथ जिनके संबंध थे और यहां पर माता मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को दूर करने में अगर किसी की बड़ी भूमिका रही तो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन के साथ-साथ रेडी-टू-ईट में स्व-सहायता समूह की बहनों का भी हाथ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके अधिकारों को छिनने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है, जिसका परिणाम कांग्रेस की सरकार को पिछली बार भोगना पड़ा, जिसके कारण से आज विपक्ष में हैं और महिलाओं की बात आती है तो मुझे लगता है कि आपको उस समय भी इन बातों का विरोध करना था। आपको अपने मुख्यमंत्री जी से अपने मंत्रियों से कहना था कि महिलाओं की चिंता की जा रही है तो महिलाओं के लिए जो व्यवस्थाएं इस सरकार ने पूर्व में बनाई हैं, उसमें और अधिक व्यवस्था बनाए और उन कामों को करें।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। आप भी संक्षिप्त करिए।

सुश्री लता उर्सेडी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सामाजिक समरसता की बात आती है। छत्तीसगढ़ महतारी की गोद में 5 शक्ति पीठ हैं। कुदरगढ़, चंद्रपुर, रतनपुर, दंतेवाड़ा तथा डोंगरगढ़, ये चारों धाम की तर्ज पर इसे विकसित किया जा रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में पूरी तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ के लोग और इस चारों-पांचों हमारी शक्ति पीठ हैं, वह राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक अलग मुकाम हासिल करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजिम कुंभ, जिसकी कल्पना जिस तरीके से की गई थी और जो स्वरूप दिया गया था, आपने नाम तो बदल दिया, उसका काम भी बदल दिया, उसके स्वरूप को इतना छोटा कर दिया कि छत्तीसगढ़ के लोग ही कहने लगे कि पहले राजिम कुंभ था, कांग्रेस के बंधु अगर नाम नहीं बदलते तो कम से कम

उसके स्वरूप को तो बड़ा कर देते। उसके आयोजनों को तो अच्छा कर देते, उसमें भी आपने खेल खेल दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रभु राम की बात आती है। प्रभु राम की बात को लेकर सदन में सभी ने अपनी-अपनी बातें की हैं, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के हमारे 5 हजार पंजीकृत रामायण मंडलियों को प्रोत्साहन राशि देकर उन्हें इस कार्यक्रम से जोड़कर एक अलग वातावरण, हमारे इस प्रदेश में बनाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी भत्ता और महतारी वंदन योजना के संबंध में कहना चाहूंगी। बेरोजगारी भत्ता के लिए 5 साल बेरोजगार भटकते रहे। पोस्टर में अलग आंकड़ा आता था, विधान सभा में अलग आंकड़ा आता था, जवाब अलग होता था कि कितने बेरोजगार हैं। जब बेरोजगार फार्म भरने गये, वह भी अंतिम समय में जब मुश्किल से आपकी सरकार का 5 महीने बचा रहा होगा, तब आपने लागू किया कि अब बेरोजगारों को भत्ता देना है, क्योंकि राजीव मितान योजना में जिस तरह से बेरोजगारों को आपने ठगने का काम किया, छलने का काम किया, उसमें राजीव मितान योजना क्लब के जो सदस्य थे, उन्हें समझ में आ गया था कि कांग्रेस की सरकार ने पूरी तरह से हमें छलने का काम किया और एक बड़ा सपना दिखाया कि आप युवाओं का एक क्लब बनायेंगे और क्लब बनाकर यहां से खेल के माध्यम से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाएंगे, पर वह ब्लॉक स्तर पर भी नहीं पहुंच पाया। वह जिले तक भी नहीं पहुंच पाया और वहीं के वहीं रह गये और आपस में लड़ाइयां हो गईं। मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक किस्सा वाट्सअप में आया कि बकरे का सर कौन ले गया और बकरे का धड़ कौन ले गया, इस तरह का वार्तालाप पूरे छत्तीसगढ़ में होने लगा था। राजीव मितान योजना के छलावे को आपने बेरोजगारी भत्ते को आपने अंतिम पांच महीने में लागू किया। किसी पंचायत में यदि कोई एकाध व्यक्ति पात्रता रख रहा होगा तो वह भी बड़ी बात है। महतारी वंदन योजना की हम बात कर रहे हैं, हमारी बहनों को इसका लाभ मिलेगा और मैं तो चाहूंगी कि आप भी उनके बीच जाएं और बहनों को लाभ दिलाने में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें तो निश्चित तौर पर हमारी बहनें आपको आशीर्वाद देंगी। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर आपने अपनी बात रखने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव के विरोध में खड़ी हुई हूं। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण बहुत ही निराशाजनक है। क्योंकि न तो इसमें आदिवासी भाईयों के लिए कुछ है और न ही महिलाओं के लिए, न ही हमारे युवा साथियों के लिए। हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ भी छल किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, घोषणा पत्र की बात करूं तो घोषणा पत्र में आपने जो बातें की हैं, उनमें और धरातल पर अंतर है। 2014-15 और 2015-16 में खरीदे गए धान पर बोनस दिया गया। जबकि वायदा कुछ और किया गया था। मैं यह बात इसलिए रखना चाहती हूं क्योंकि राज्यपाल जी के अभिभाषण में जिस बोनस का उल्लेख है वह किस वर्ष का है? अपने कार्यकाल

मैं आपने धोखा देने का प्रयास किया था। भाजपा ने अपने पहले के कार्यकाल में बोनस नहीं दिया था, यानी किसानों के साथ छल किया था, तभी उस बोनस को आपने अभी दिया है। यानी कि आप प्रयश्चित्त कर रहे हैं, इसलिए उस बोनस को अभी दिया गया। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि आपको किसान भाइयों से माफी मांगना चाहिए कि आप लोगों ने जो बोनस का वायदा किया था उसे आप लोगों ने उस समय नहीं दिया था। 2014-15 और 2015-16 में क्यों नहीं दिया था, वह भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। उस समय हमारे विधान सभा अध्यक्ष जी मंत्री थे और उन्होंने मोदी जी से बहुत निवेदन किया था कि बोनस दिया जाए लेकिन बोनस देने से मोदी जी ने इन्कार किया था, इसलिए वह बोनस नहीं दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, किसानों के साथ छल इसलिए हुआ है। आपके 2013 के घोषणा पत्र में था कि 2100 रूपए देंगे लेकिन आपने इन्कार कर दिया। लोगों ने आंदोलन किया, किसानों ने आंदोलन किया। (श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य की ओर संकेत करते हुए) मैं महोदय जी को जगाना चाहूंगी क्योंकि हम लोगों ने उनका भाषण सुना था। मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि उनको उठाया जाए, जगाया जाए क्योंकि हमने उनका भाषण सुना है तो वे भी हमारा भाषण सुनें।

अध्यक्ष महोदय :- वे ध्यान मग्न होकर सुन रहे हैं। आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, आप बोलती रहिए। वे एक प्रकार के योगी हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे पांच साल के कार्यकाल से पहले की बात बताना चाहूंगी। 21 क्विंटल खरीदने की मांग को आपने पूरा नहीं किया था इसीलिए उन्होंने आंदोलन किया था और धमतरी में लाठी चार्ज हुआ था, उसके बाद भी आप लोगों ने नहीं किया। आज आप 21 क्विंटल खरीदने पर मजबूर हुए। 21 क्विंटल खरीदने पर हमने मजबूर किया, आपने 21 क्विंटल धान खरीदा। इसके बाद महतारी वंदन योजना की बात करूंगी जिसकी चर्चा सभी जगह रही। महतारी वंदन योजना में बहुत सारी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप लोग अभी विधान सभा में हैं, आप सभी अपने क्षेत्र में जाते होंगे तो देखे होंगे, वहां पर कितनी कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। वहां अगर गांव में 500 छानी है तो फार्म सिर्फ 200 लोगों तक पहुंचाया गया है। अब 200 लोगों के पास फार्म पहुंचा है तो लोग फोटोकॉपी कर रहे हैं, फोटोकॉपी में दो रुपये लग रहा है, जब वे फोटोकॉपी को जमा कर रहे हैं तो यह कहा जा रहा है कि यह फोटोकॉपी रंगीन नहीं है। बेचारी गरीब महिलाएं रंगीन फोटोकॉपी करवा रही हैं और अपने शहर से बाहर जाकर करवा रहीं हैं, उसमें भी पैसा खर्च हो रहा है, पांच रुपये का फोटोकॉपी हो रहा है, जब वे फोटोकॉपी करवा रहे हैं, उसके बाद भी उनके फार्म को लिया नहीं जा रहा है। हमारे मंत्री जी बैठे हैं, घोषणा में यह बात है कि सभी लोगों को लाभ मिलेगा। कलेक्टर की पत्नी को भी महतारी वंदन योजना के तहत एक हजार रुपये मिलेगा और यह योजना सभी के लिए है। अगर मैं एक घर की बात करूं तो उस घर में सास को भी मिलेगा, बहू को भी मिलेगा, सभी को मिलेगा लेकिन अब यह बोल दिया जा रहा है कि एक घर में सिर्फ एक महिला को प्राप्त होगा। अब एक

को प्राप्त होता है तो सास को ही प्राप्त होगा। अगर हम मान रहे हैं कि एक महिला को प्राप्त हो रहा है तो वह एक महिला उसकी सास होगी। अगर आप एक घर में दो महिलाओं को मिलेगा बोल रहे हैं तो अगर किसी घर में तीन महिला है तो तीनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका है। यह बात मैंने शुरू में कही थी कि घर में लड़वाने का काम कर रहे हैं। आप पहले क्लीयर कीजिए कि महतारी वंदन योजना घर की जो सभी विवाहित महिलाएं हैं, उनको दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, वोट डालने का अधिकार 18 साल से अधिक का है। आपकी योजना में 21 साल से ज्यादा और 21 साल के बाद विवाहित महिला हैं, उनको योजना का लाभ मिलेगा। उसमें आप संशोधन कीजिए, उसको 21 साल कीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी परसों जंगल क्षेत्र गयी थी, मैं कई महिलाओं से मिली, वहीं एक सियान से मिली तो बोली दाई ते फार्म ला भर देबे केहेंव, अब फार्म भरे के बात बोलेव फिर मैं केहेंव तोर बिहाव के सर्टिफिकेट हे, उनके पास नहीं है। लोग शादी की सर्टिफिकेट के लिए भटक रहे हैं।

अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

श्री गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा

अध्यक्ष महोदय :- अध्यक्षीय दीर्घा में श्री गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष, विधान सभा उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ संशोधन किया जाना चाहिए। मैं सरकार को याद दिला देना चाहती हूं, जब चुनाव चल रहा था, जब आप लोग वोट मांगने गये तो आप लोगों ने महतारी वंदन योजना का फार्म भरवाया। फार्म भरवाने के साथ कई लोगों ने उसके साथ एक हजार रुपये पैसा दिया कि यह पहला किस्त लीजिए। अगला किस्त सरकार बनने के बाद हम आपके खाते में डाल देंगे। गरीब महिलाओं को यह भी बोला गया कि एला ना संदूक में भर के रखबे, जब हमर सरकार आही ना ताहन ऐला लाबे ताहन हमन पईसा दे देबो। अब मैं आपसे निवेदन करती हूं कि जितने लोग संदूक में रखे हैं, जितने लोगों से फार्म भरवाएं हैं, उन सबको महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जाए। यह उनका अधिकार है। आपने वोट मांगा है, सभी महिलाओं को बोलकर वोट मांगा है कि इसका लाभ सबको मिलेगा। आपको सबको देना चाहिए। यह महिलाओं के साथ हनन है, उनका जो विश्वास है, उनके साथ आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, मैं निवेदन करती हूं कि आप उसमें कार्रवाई करें और आप जितने नियम निकाले हैं, उसमें संशोधन करके हर महिलाओं को जिनको आपने फार्म भरवाया है, आज वे तरसती हैं, वे नंबर लगा रही हैं, उन सबको पता है कि हमको नहीं मिलेगा, यह हम बता रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है

कि महतारी वंदन योजना के फार्म में आप कुछ संशोधन करके हर महिलाओं को अगर एक परिवार में तीन बहू हैं तो उन सबको दिया जाए। क्या आप उनके अधिकारी नहीं हैं। मैं निवेदन करती हूँ कि हर महिला को महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं उज्जवला योजना की बात करूंगी। उज्जवला योजना में 36 लाख कनेक्शन की बात कही गयी है लेकिन मैं बताना चाहूंगी, हमारे बी.पी.एल. परिवार लगभग 70 लाख के करीब हैं, जितने 36 लाख को मिले हैं वह ठीक है लेकिन बाकियों का क्या होगा ? यह बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ। जो 36 लाख की बात किए हैं, उनको 70 लाख कीजिए। मैं उज्जवला योजना के बारे में एक और बात कहना चाहती हूँ कि जब आप उज्जवला योजना लाये तो आपने महंगाई इतनी बढ़ा दी, सिलेण्डर के रेट इतने बढ़ा दिये। जो गरीब लोग सिलेण्डर जला रहे थे, वह चूल्हा में आ गये। इस बार आप पुनः सिलेण्डर बांटेंगे और हो सकता है कि महंगाई आसमान को छुएगी। आपने 500 रुपये में सिलेण्डर देने की बात कही है, लेकिन आज तक उसमें कुछ भी संज्ञान नहीं आया है। लोग गैस एजेंसी में जाकर चक्कर लगा रहे हैं और गैर एजेंसी को परेशान कर रहे हैं कि हमको 500 रुपये में सिलेण्डर दो तो आप उनके लिए बहुत जल्द न्याय कीजिए। लोग भटक रहे हैं, महिलाएं भटक रही हैं और किसान भाई भटक रहे हैं। इस सरकार से कोई खुश नहीं है। सब रोना रो रहे हैं कि हमारे लिए क्या योजना है ?

अध्यक्ष महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी सरकार को बने हुए 3 महीने हो गये, लेकिन अभी तक एक भी योजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। मैं तैदूपत्ता की बात करूंगी। 15 साल पहले आपकी सरकार तैदूपत्ता के लिए 2,500 रुपये देती थी, जिसे हमने 4,000 रुपये मानक दर किया। आपने 4,500 रुपये बोनस देने की बात कही है तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 4,500 रुपये बोनस को आप तैदूपत्ता के हितग्राही के पैसे से देंगे, जो खरीदते हैं उससे देंगे या आपके शासन से पैसे जाएंगे ? आपने जितनी भी योजनाएं लायी हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आपने उनसे असत्य बोलवाने का प्रयास किया है। आप अपने क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। यह सरकार सिर्फ लूटने का काम कर रही है। धोखा देने की बात कर रही है। अपनी बातों से लोगों को बहकाने का काम कर रही है। महिलाओं को धोखा देने का काम कर रही है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप होश में आइये। आपको जनता बहुत प्यार से सरकार में बैठायी है इसलिए आप उनके विश्वास में खरा उतरिये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं इस अभिभाषण का घोर विरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। नीलकंठ टेकाम जी।

श्री सुशांत शुक्ला :- लेकिन आज आपने अपने उद्बोधन में गलत तथ्य दिये हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि कोई लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। हम सबको देंगे और आप जिसको बोलेंगी, उसको भी देंगे। आप क्यों चिंता कर रही हैं ? आपको नहीं देंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मोर से का पेरशानी है ? (हंसी)

श्री नीलकंठ टेकाम (केशकाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि नये विधायकों को भी बोलने का अवसर दिया जा रहा है। माननीय महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि यह 27 पेज का अभिभाषण 27 वर्ष का जो ब्लूप्रिंट है, जो विजन डॉक्यूमेंट है उसको इसमें समाहित किया गया है। साथ ही साथ पिछली सरकार 5 साल तक लड़खड़ाते-लड़खड़ाते आखिरकार गिर गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने वायदों और इरादों के लिए सच्ची सरकार मानी जाती है, उसको पुनः मौका मिला है। चूंकि समय कम है इसलिए मैं इसके बहुत ही चुनिंदा मुद्दों पर बात करना चाहूंगा। इसमें आदिवासी वर्ग और अति पिछड़ी जनजाति के बारे में बात की गई है। पिछली सरकार ने आदिवासियों के साथ इतना बड़ा धोखा किया। उनके 32 प्रतिशत आरक्षण के संवैधानिक अधिकार की सुरक्षा करने में भी नाकाम रही। न केवल आदिवासियों के साथ, बल्कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का असत्य वायदा करके पूरे 5 साल तक उनको बेवकूफ बनाती रही। हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को 16 प्रतिशत आरक्षण देने का झूठा वायदा की। युवाओं के साथ धोखा किया और उनको 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर पूरे 5 साल तक परेशान किया।

समय :

5:00 बजे

माननीय अध्यक्ष महोदय, न केवल बेरोजगारों को, बल्कि ऐसे तमाम छोटे-छोटे कर्मचारी, जो कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको नियमित करने का दिलासा देकर ये लोग सरकार में आए और उनके साथ अन्याय किया। उसका परिणाम यह हुआ कि इन्हें आज विपक्ष में बैठना पड़ा है। इस अभिभाषण में जो मुद्दा बताया गया है कि एक वंचित आदिवासी वर्ग को सही समय पर संरक्षण नहीं मिला, चाहे हम अबुझमाड़िया की बात करें, चाहे बैगा की बात करें या पहाड़ी कोरवा की बात करें तो यह निश्चित तौर पर विलुप्त हो जाएगा और इसीलिए सरकार ने इनके लिए जो व्यवस्था बनाई है, एक स्थायी व्यवस्था है, जिसमें पक्की सड़क, बिजली, पानी और उनके स्वरोजगार के बारे में उल्लेख किया गया है। निश्चित तौर पर मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि यह आदिवासी वर्ग के लिए बहुत ही सकारात्मक पहल है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर गुड गवर्नेंस की बात देखी जाये तो हमारे विष्णु देव साय की सरकार द्वारा मात्र दो महीने में ही कम से कम 50 से ज्यादा आई.ए.एस. और आई.पी.एस. आफिसर के

ट्रांसफर किए गए, लेकिन किसी को कानों-कान पता नहीं चला । अगर कांग्रेस की सरकार के समय की बात करेंगे तो सभी को याद होगा कि ट्रांसफर की लिस्ट बनने के चर्चे चौराहों के चौपाल में कहे जाते थे कि कौन, कहां का कलेक्टर बन रहा है, कौन, कहां का एस.पी. बन रहा है, ये बातें पान दुकान में सुनाई देती थीं । पहले सोशल मीडिया में सप्लीमेंट्री लिस्ट आती थी, उसके बाद पक्का लिस्ट बनकर आता था ।

श्री विक्रम मण्डावी :- नेताम जी, आप भी हमारे शासनकाल में कलेक्टर रह चुके हैं, क्यों भूल रहे हैं ?

श्री प्रबोध मिंज :- इसीलिए वे बता रहे हैं ।

श्री नीलकंठ टेकाम :- इसीलिए मैं अनुभव के आधार पर बता रहा हूं । कांग्रेस पार्टी में गुड गवर्नेंस की जो कमी रही है, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और इसी का परिणाम है कि आज जो पी.एस.सी. का घोटाला हुआ, उसकी सी.बी.आई. की जांच संस्थित की गई है, जांच चालू हो गई है । क्योंकि पी.एस.सी. हो या फिर व्यापम हो या फिर ऐसी तमाम एजेंसियां, जो शासकीय सेवाओं में भर्तियां करती हैं, यह माँ के कोख के समान रहता है । अगर इसमें खराबी रहेगी तो खराब संतान पैदा होंगे और खराब संतानों से हम कभी भी अच्छे भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते । मैं हमारे सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना जो कमिटमेंट है, उसको पूरा करते हुए इसकी जांच कराने का काम किया है । इसमें जो मुद्दे अभिभाषण के माध्यम से बताये गए हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं, जिनके बारे में मैं बताऊंगा जैसे तेंदूपत्ता, ईमली की बात है । यह आदिवासी क्षेत्रों के जीवन का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है । कांग्रेस के कार्यकाल में पता ही नहीं चलता था कि तेंदूपत्ता की तोड़ाई कब शुरू हुई और कब खतम हो गया । दो दिन या तीन दिन । तीन दिन से ज्यादा कभी भी तेंदूपत्ता की तोड़ाई नहीं होती थी । इसकी वजह क्या है, इस पर बहुत विस्तार से चर्चा होगी, जब विभागीय बजट पर चर्चा होगी, उस दिन बताया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वनोपज के मामले में खासकर तेंदूपत्ता, महुआ और ईमली के मामले में एक व्यवस्थित निर्देश जारी किये हैं कि तेंदूपत्ता का 5500 रुपया प्रति मानक बोरा और 4500 रुपए बोनस का निर्देश जारी किये हैं । यह वास्तव में खासकर आदिवासी वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा । बाकी मुद्दों पर बातें आ चुकी हैं । मातृ वंदन योजना के बारे में काफी विस्तार से चर्चा हुई और अभी भी इसमें अलग-अलग प्रकार से भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है । भ्रम पैदा करने के बजाय उन्हें उन माताओं को फार्म भराने में सहयोग करना चाहिए। जिनके लिए जो पात्रता बनती है, उस हिसाब से उनको इसमें फायदा दिलाने में मदद करनी चाहिए, ऐसा हमारे विपक्षी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, धन्यवाद नीलकंठ जी।

श्री नीलकंठ टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसने हमारे धार्मिक क्षेत्रों के लिए, अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन के लिए सहयोग देने की बात कही है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाये, उतनी कम है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर मिला, उसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। द्वारिकाधीश जी, 5 मिनट में अपनी बातें पूरी करेंगे।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप अध्यक्ष निर्वाचित हुए तो मैं बहुत खुश था। मैं इसलिए खुश था कि आप लेफ्ट हाथ से दस्तखत करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे तरफ थोड़ा स्नेह रहेगा।

अध्यक्ष महोदय :- पूरा-पूरा स्नेह रहेगा। आप शुरू करिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय द्वारा सदन में गलत अभिभाषण पढ़ाया गया, उनका छत्तीसगढ़ के पवित्र सदन में अभिभाषण हुआ, मैं उसके विरोध में खड़ा हूं। मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मांघी पुन्नी मेला के स्थान पर कुम्भ मेला नाम परिवर्तित किया गया, यह पढ़ाया गया है। जबकि विधानसभा में पारित हुए बिना मांघी पुन्नी मेला की जगह राजिम कुंभ किया गया, जिसको मैं आपके माध्यम निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि विधानसभा में पारित नहीं हुआ है, इसलिए अभिभाषण में संशोधन किया जाये। दूसरी बात, अभी हमारी दीदी किसानों के ऊपर बोल रहीं थीं कि पूर्व की सरकार में किसान बहुत परेशान थे, खेतों में सोते थे, खलिहान में सोते थे, लेकिन सही बात यह है कि जब हमारी सरकार बनी तो दो घंटे के अंदर 9 हजार करोड़ रुपये के कर्जमाफी की शुरुआत हुई तो देश के अंदर पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि चाहे वह सौ एकड़ का किसान हो, चाहे 10 एकड़ का किसान हो, चाहे पांच सौ एकड़ का किसान हो, उसके कर्ज माफी की शुरुआत 2 घंटे के अंदर हुई।

श्री अजय चन्द्राकर :- ममा,

श्री द्वारिकाधीश यादव :- हां, बोलिये भाचा।

श्री अजय चन्द्राकर :- करेक्ट दू घंटा मा माफ होय रहिस कि दू मिनट आगू-पाछू रहिस हे ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- 2 घंटे के अंदर। आदरणीय भाचा जी, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी अपने माता-पिता का आर्शीवाद लेने नहीं गये, सीधा मंत्रालय जाकर किसानों के कर्जमाफी की शुरुआत की, पहला हस्ताक्षर किसान का कर्जमाफी से हुआ।

श्री धर्मजीत सिंह :- 2 घंटे में कर्जमाफ किए होते तो इतना बुरा हाल क्यों हुआ होता ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- हम अभी भी 35 हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, खुश हो ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- हम लोग 15 नहीं हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- 35 में खुश हो ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं। अब तो वह जनता का फैसला है। खुश हैं या नाखुश हैं, उसको मैं अकेले मैं आपको बता दूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि किसानों की धान खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल में होगी और एक मुश्त भुगतान करने का वादा किया था। अभी तक किसानों को 3100 रुपये क्विंटल के हिसाब से भुगतान नहीं मिला है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह हुई थी कि किसानों को बैंक में लाईन लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, ग्राम पंचायत को बैंक का स्वरूप दिया जायेगा और ग्राम पंचायत में किसानों को अपना भुगतान मिलेगा, ऐसा कहा गया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि किसान अपने धान को बेचने के लिए, अपनी मेहनत की कमाई को बेचने के लिए इस समय जितना परेशान हुए, शायद कभी नहीं हुए होंगे। अध्यक्ष महोदय, इसका कारण यह है कि धान खरीदी 15 क्विंटल से 21 क्विंटल हुआ है, लेकिन 21 क्विंटल के हिसाब से एक भी सोसायटी, धान खरीदी केन्द्र नहीं खोला गया, जिससे कि सोसायटी के स्थल पर किसान को धान रखने की जगह नहीं थी और किसान इससे परेशान हुये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि किसानों के हित में धान खरीदी केन्द्र भी खोले जाये। दूसरी बात, महतारी वंदन के बारे में बहुत सारी बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने की है। महतारी वंदन का फार्म ऐसा भरवाया गया, अखबारों में भी यह प्रकाशित हुआ है, चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, 60 हजार फार्म भरवाये। कुछ विधान सभा में तो यह भी हुआ कि 1 हजार इस महीने का रख लीजिए, अगले महीने जैसे ही आपकी सरकार बनेगी, आपके खाते में पैसा आ जायेगा। मैं आज आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि महतारी वंदन तो लागू हो रहा है, लेकिन कौन से महीने से होगी? महतारी वंदन में एक और बात हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने अपने भाषण में बोले हैं कि महतारी वंदन उस तर्ज में देंगे, प्रदेश के दो मुख्यमंत्रियों की पत्नी, जो हमारी राजमाता है, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है कि उन माताओं के साथ इसमें धोखा हुआ है। दोनों माताओं के साथ धोखा है। हमारे हजारों महतारियों के साथ यह सरकार अन्याय कर रही है। तीसरी बात, पहली बार छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णु देव साय जी बने हैं। मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदिवासी समाज से हैं, आदिवासियों को जंगल के प्रति कहीं अधिक स्नेह स्वाभाविक है, दूसरा स्नेह हम यादवों के प्रति है और अच्छे भी हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री शपथ नहीं लिये हैं, विधान सभा के हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारे धर्मजीत भईया के प्रस्ताव पर, आपकी मांग पर, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था कि हसदेव बांगों का जितने भी कोल ब्लॉक

हैं, उसे निरस्त किया जाये। उस दिशा में सरकार आगे भी बढ़ी, पत्र-व्यवहार हुआ, केन्द्र सरकार से अनुरोध भी किया गया। लेकिन केवल और केवल कोल ब्लॉक के आबंटन का अधिकार केन्द्र सरकार को है, उसके अतिरिक्त अनुमति देने का अधिकार है, वह राज्य सरकार को है। उस अधिकारी का साहस देखिये, विधान सभा में सर्वसम्मति से अशासकीय संकल्प पारित हो, बिना मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री की सहमति के देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक वन विभाग के अधिकारी को पेड़ काटने की अनुमति दी गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी विधान सभा में जांच होनी चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, हसदेव के जो जंगल कटे हैं, छत्तीसगढ़ के धान के कटोरे के बाद इस प्रदेश की पहचान जंगलों से भी है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप अरबों रुपये भी खर्च करेंगे तो 200 साल में भी हसदेव जैसा घना जंगल कोई भी सरकार नहीं बना सकती है, जिसको नष्ट कर दिया गया है। ऐसा केवल ओर केवल एक उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के लिये किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उज्जवला योजना की बात है। उज्जवला योजना निश्चित रूप से गरीबों के लिये अच्छी योजना थी। जब यह योजना शुरू हुई तो मैंने उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना था और भाषण सुनकर मैं खुश भी हुआ था। हमारे हिन्दुस्तान की माताएं एवं बहनें जब खाना पकाती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आते हैं। अब उज्जवला गैस प्रदाय से उन माताओं, बहनों की आंखों में आंसू नहीं आयेंगे, यहां तक तो ठीक था। जब योजना की शुरुआत हुई तो कैसे माताओं और बहनों की आंखों में आंसू आये। एक महीने बाद जैसे ही रिफिलिंग के लिये जाते थे तो 450 रुपये की गैस की कीमत 1100 रुपये हो गयी। वे जैसे ही पर्स में हाथ डालती थी तो दूसरी आंख में भी आंसू शुरू। इसका परिणाम यह हुआ कि इतनी माताएं और बहनें गैस रिफिलिंग कराने के वक्त रोयीं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि इस योजना का वास्तविक लाभ देखना है तो आप उसकी जांच करवा सकते हैं। उज्जवला योजना में सिर्फ 25 प्रतिशत रिफिलिंग हो रही है, बाकी इस योजना के तहत कहीं पर भी महिलाएं सिलेण्डर रिफिलिंग कराने की स्थिति में नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब राज्य में कानून व्यवस्था के विषय में बात करना चाहता हूँ। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। मुझे माननीय धर्मजीत भैया की वह बात याद आ रही है, जब वह इधर थे और हम उधर थे। उस वक्त आपने बहुत अच्छी बात बोली थी, वह बात गलत नहीं है। आपने कहा था कि कानून व्यवस्था होनी चाहिए। थानेदार की बूट की आवाज में यह बात होनी चाहिए कि पुलिस है। आपके घोषणा पत्र में था कि कानून का राज होगा, गुण्डों का राज नहीं होगा लेकिन अपराध बढ़ रहे हैं, घटनाएं घट रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। कानून व्यवस्था के सुधार में समय लग सकता है, मैं इस बात से सहमत हूँ लेकिन उप मुख्यमंत्री जी, आप ईश्वर की कृपा से इतने सौभाग्यशाली हैं कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतनी कम उम्र में और पहली बार चुनकर आने वाला व्यक्ति गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री नहीं बना। आपके ऊपर ईश्वर की

विशेष कृपा है कि आप गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री बने हैं। आप युवा मोर्चा से आये हैं लेकिन आपकी उम्र के हिसाब से कानून व्यवस्था के नियंत्रण में कहीं कंट्रोल नहीं दिख रहा है। आप जिस उम्र में गृह मंत्री बने हैं, उसका परिणाम कानून व्यवस्था में नहीं दिख रहा है। मैं आपको एक छोटी-सी बात बताना चाहूंगा। यहां हमारे सरायपाली जिला की विधायक महोदया बैठी हैं। वहां पर यादव पारा में सामाजिक सामुदायिक भवन बन रहा है। उसका कॉलम खड़ा हो गया था लेकिन उसको एक पार्षद ने स्वयं तोड़ दिया और वह काम बंद करवा दिया। उसके खिलाफ आवेदन लिखवाया गया कि सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया गया, जिससे सरकारी काम में बाधा हुआ। लेकिन आपकी पुलिस ने अभी तक बयान लेना उचित नहीं समझा, यह आपकी पुलिस का कर्तव्य था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृहमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी पुलिस सरकार की संपत्ति की रक्षा नहीं कर पायेगी, शासन के कामों में जो बाधा चल रही है, उसको ठीक नहीं कर पायेगी तो इसका मतलब साफ है कि कानून का राज नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट। मैं आपके माध्यम से कानून व्यवस्था के ऊपर बोलना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ की राजधानी में ऐसा कोई दिन नहीं है, जिस दिन 100 से 200 गैर जमानती अपराध नहीं हो रहे हैं। समाचार पत्रों में केवल इतना ही आ रहा है। अगर वास्तविक आंकड़े देखें तो कुछ और ही होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपको दलगत भावना से ऊपर बोलना चाहता हूँ कि प्रदेश की राजधानी में यह स्थिति है कि आप बगैर प्रोटोकाल में नगर घड़ी चौक मत जाईएगा। राजधानी में भी रात को 11.00 बजे के बाद किसी के साथ कुछ भी घटना घट सकती है। आप हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। अभी आपको इस प्रदेश की 5 साल सेवा करनी है। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूँ कि इसलिए वहां आप बगैर प्रोटोकाल के मत जाईएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि राजधानी को आप बहुत जल्दी सुरक्षित करेंगे। ग्रामीण अंचल में नक्सलवाद की भी समस्या का निदान हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपको निवेदन किया है कि सराईपाली में सरकारी बिल्डिंग तोड़ी जा रही है। मैं तो यह चाहता हूँ कि आप उसमें तत्काल कार्यवाही का आश्वासन भी दें और उस क्षेत्र में कार्यवाही भी हो। अंत में यह कहना चाहता हूँ कि हमारे विद्वान भांचा ने अपने भाषण में वास्तविक धान खरीदी की एक बात कही कि छत्तीसगढ़ में किसानों के द्वारा इतना धान नहीं बेचा गया। यह उन्होंने कहा था। मैं उस बात पर यह कहना चाहता हूँ कि सरकार आपकी है। अगर किसानों ने धान नहीं बेचा तो यहां किसने धान बेचा ? या फिर ऐसा है कि इस सरकार में आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। दूसरी बात यह है कि यह जांच का विषय है कि अगर इस प्रदेश में किसानों ने धान नहीं बेचा तो यहां किसका धान बिक गया। सरकार के पैसे से उसका भुगतान हो जाएगा। यह जांच का

विषय है। मैं अंत में एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आदरणीय विद्वान हमारे भांचे जी ने जो पूंजी व्यय के ऊपर कहा। छत्तीसगढ़ राज्य पूंजीगत व्यय के मामले में बहुत पीछे हो रहा है। इसमें कहीं पर पूंजी व्यय नहीं दिख रहा है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण का विरोध करते हुए, अपनी बात खत्म करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विक्रम मण्डावी (बीजापुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में विरोध में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण हो रहा था और पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को उम्मीद और भरोसा था, लेकिन जिस तरीके से विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र आया था, उसके अनुरूप इसमें बहुत सारी बातें आएंगी और इस पर लोगों को बहुत विश्वास था कि उसके अनुरूप यह माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, लेकिन जिस तरीके से कहीं से भी इस अभिभाषण में बात आनी थी, यहां पर कोई भी बात नहीं आयी। अगर मैं इस प्रदेश के किसानों की बात करूं तो जिस तरीके से किसानों के लिए बात हुई थी कि अब धान खरीदी की दर प्रति क्विंटल 3100 रुपये होगी और किसानों को एक साथ, एक मुश्त दिया जायेगा। इस अभिभाषण में कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि किसानों को कैसे 3100 रुपये मिलेगा। यह एक मुश्त राशि कैसे मिलेगी। उन्हें कब और कहां मिलेगा ? इसमें ऐसी किसी भी बातों का उल्लेख नहीं हुआ है। उसके साथ ही किसानों को जो बोनस देने की बात हुई थी हम वर्ष 2016-17, वर्ष 2018 का बकाया बोनस 300 रुपये की दर से देंगे और उन्हें वर्ष 2014-15 का बोनस मिलता है। लगातार किसान एक आशा और विश्वास के साथ देख रहे हैं कि यहां पर जनमत की सरकार आयी है, वह अपने वायदे पूरे करेगी। हमारा प्रदेश किसानों का प्रदेश है, लेकिन इसमें कहीं पर भी किसानों की बातों का उल्लेख नहीं किया गया है। अगर हम पिछली सरकार की बात करें। यहां पर जिस तरीके से हमारे साथी बता रहे थे कि हमने मात्र 2 घण्टे में अपना वादा पूरा किया और 2500 रुपये धान जो दर था, वह हमने दिया। उसी तर्ज पर हमारी सरकार के ऊपर किसानों को बड़ा विश्वास था और उससे बढ़कर, आपकी सरकार ने जो कहा कि हम धान खरीदी में 3100 रुपये की दर से देंगे, आपने अभी तक यह नहीं दिया, उसके ऊपर विश्वास था। वह वायदा पूरा नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार किसानों के कर्ज माफी की बात कर रहे हैं तो हमारे उप मुख्यमंत्री जी गृहमंत्री जी भी हैं। छत्तीसगढ़ में उनके वीडियो चल रहे हैं कि हम सभी का कर्जा माफ करेंगे। किसानों ने जितना कर्ज लिया है हम सभी का कर्ज माफ करेंगे। इस तरीके से वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, लेकिन आज भी यह स्पष्ट नहीं है कि उनका कर्ज माफ होगा, कैसे होगा या नहीं

होगा। सरकार की तरफ से कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं है। यहां पर महतारी वंदन योजना पर बहुत लम्बी चौड़ी बात हुई अभी जिस तरीके से महतारी वंदन योजना की बात हो रही है, इस योजना का लाभ कुछ क्राइटेरिया के अंतर्गत ही देंगे। उसमें बहुत सारे नियम-शर्तें रखी गई हैं। लेकिन शुरूआती दौर में जब यह घोषणा पत्र बांटा जा रहा था तब कोई भी शर्तों का उल्लेख नहीं थी, शर्तों की बात नहीं की गई थी। चाहे कोई भी हो, चाहे कलेक्टर की या विधायक की पत्नी हो, हम सबको इस योजना का लाभ देंगे। इस तरीके से बहुत बड़ी-बड़ी बातें की गईं। लेकिन अब इस योजना में पूरी शर्तों रखी जा रही हैं। लाईन से एक-एक शर्तें लागू की जा रही हैं, जो गरीब महिलायें हैं, जो मजदूर की पत्नी हैं, जो गांव के लोग हैं, वह इस योजना की शर्तों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात रखें कि महतारी वंदन योजना का लाभ किन-किन को मिलेगा? यह बोले थे कि सभी विवाहित महिलाओं को 1 हजार रुपये देंगे। वर्तमान समय में यह बात आ रही है कि पेंशन पात्रता धारी महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उनको जो भी राशि मिल रही है, उसमें कटौती करते हुए शेष राशि उन्हें मिलेगी। जबकि शुरूआती दौर में यह बात का कहीं पर उल्लेख नहीं था कि उनको 1000 रुपये नहीं मिलेंगे, पेंशन वाली बात का कहीं पर उल्लेख नहीं था। इस प्रकार से महतारी वंदन योजना के बारे में भी असत्य बोलने का काम इस सरकार ने किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं बस्तर अंचल से आता हूं। हमारे साथी तेंदूपत्ता की बात कर रहे हैं। पिछले 15 साल की सरकार में और पिछले 05 साल की सरकार में तेंदूपत्ता की दर कितनी थी? जो तेंदूपत्ता की तुड़ाई करते हैं, यह सब जानते हैं। हमने 4 हजार रुपये एकमुश्त दिया। आप 5500 रुपये देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। यह राशि मिलनी चाहिए, लेकिन वह राशि कैसे मिलेगी, कब मिलेगी? उसमें भी सरकार के द्वारा 4500 रुपये तक का बोनस देने की बात कही गई है। पिछली सरकार में कुछ ही लघु वनोपजों की शासकीय दर पर खरीदी होती थी, हमारी सरकार ने 62 लघु वनोपजों को शासकीय दर पर खरीदा और आदिवासियों को वनोपज का उचित मूल्य दिया जो पहली बार हुआ। वह अपनी वनोपज को बाजार में सस्ती दर में बेचते थे, उन्हें उनकी वनोपज का बाजार दर से मूल्य मिला और उसका वह फायदा उठाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी शुरूआत में कहा गया था, लंबे-चौड़े वादे किये गये थे कि हम 18 लाख लोगों को आवास देंगे। वहां पर भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देंगे, कब देंगे। पूरे प्रदेश भर में लाखों से फार्म भराये गये थे। अब उन फार्मों का क्या होगा जो चुनाव के वक्त भराये गये थे? और अब जो नियम-शर्तें बनाई गई हैं, उसका क्या होगा? प्रधानमंत्री आवास में भी कहीं से भी स्पष्ट नहीं है। पिछले चुनाव में जो घोषणा पत्र जारी किया गया था, इस घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 लाख रुपये का

इलाज, महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेण्डर देने की बात कही गई थी, यह सब योजनाओं का क्रियान्वयन अभी कहीं भी धरातल पर दिख नहीं रहा है। जिस तरीके से वहां की महिलाओं को फायदा मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है। ऐसे बहुत सारे वादे हमारे यहां के किसानों, कर्मचारियों के लिये किये गये थे, लेकिन उसका कहीं भी सरकार की तरफ से इस अभिभाषण में उल्लेख नहीं हुआ है। हमारे यहां पर वरिष्ठ सदस्य धर्मजीत भैया, अजय चन्द्राकर जी बार-बार कह रहे थे कि पिछली सरकार के अंदर में इस तरीके से घोटाला हुआ है, गलत काम हुआ है। आप दोनों हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं उनसे चाहता हूं कि ठीक है अगर गलत हुआ भी है तो अभी आपकी सरकार है। आप सरकार में हैं। आप जांच कराईये, कार्रवाई करिये, हम तैयार हैं।

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 8 का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये, मैं समझता हूं कि सभा सहमत है।

सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई।

श्री विक्रम मंडावी :- आप कार्रवाई करिये, इसमें हम सभी सहमत हैं। लेकिन इस तरीके से बार-बार बातों को उछालकर विपक्ष को डराने का जो प्रयास हो रहा है, वह निंदनीय है, वह नहीं होना चाहिए। जहां तक राजिम कुंभ, राम मंदिर की बात है, कभी भी किसी भी कांग्रेस के नेता ने राम मंदिर का विरोध नहीं किया है। हमने हमेशा ही सभी धर्मों का सम्मान किया है। सभी धर्मों की बात रखी है। हमारे सभी लोग भगवान को, सभी धर्मों को मानते हैं। कहीं भी किसी बात का विरोध नहीं है। लेकिन बार-बार आपके द्वारा यह कहकर प्रचारित करना कि हम कांग्रेस के लोग उसका विरोध कर रहे हैं, भगवान का विरोध कर रहे हैं। भगवान पर सबकी आस्था है, भगवान सबके होते हैं। उसको आप कांग्रेस और भाजपा में मत बांटिये। राम सबके हैं, आपके भी हैं, हमारे भी हैं। मंदिर सबके हैं। हमारे भी हैं, आपके भी हैं। मैं आप सब से यही कहना चाहता हूं जिस तरीके से माननीय राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण हुआ है, उस पर कहीं पर भी सरकार के द्वारा घोषणा पत्र में किये वादे की जो बात आनी थी, वह नहीं आई है। इसके विरोध में मैंने अपनी बात रखी है। इसमें असहमति व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की छठवीं विधान सभा का यह दूसरा सत्र है। वर्ष 2024 का यह पहला सत्र है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय के प्रति उनके अभिभाषण के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय राज्यपाल महोदय जी ने

विस्तार से हमारी सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं और नीतियों के बारे में बताया है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। इस चर्चा में भाग लेने के लिए सभी सम्माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्री पुन्नूलाल मोहले, श्री भोलाराम साहू, श्री धर्मजीत सिंह, श्री कुंवर सिंह निषाद, सुश्री लता उसेण्डी, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री नीलकंठ टेकाम, श्री द्वारिकाधीश यादव एवं श्री विक्रम मण्डावी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस सत्र में हमने वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए तीसरा अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत किया, जिसे सदन से पारित कर दिया है। इसके लिए मैं सदन को धन्यवाद देता हूँ। हमारी सरकार को अभी काम-काज शुरू किए दो महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। आज इस सदन में मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इन थोड़े से दिनों में ही हमने अनेक बड़ी उपलब्धियाँ हासिल कर ली हैं। इन थोड़े से दिनों में ही मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए मुझे अद्भुत अनुभव हुए हैं। इस दौरान मेरा यह विश्वास और भी दृढ़ हुआ है कि जब कोई सरकार नेक नीयती और ईमानदारी के साथ काम करती है तब जनता-जनार्दन किस तरह दिल खोलकर आशीर्वाद देती है। पिछली कांग्रेस की सरकार ने हमारी राह में कम कांटे नहीं बिछाये हैं। कांग्रेस की सरकार ने हमें विरासत में खाली खजाना और भारी कर्ज सौंपा है। अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संसाधनों का इंतजाम हमारे सामने बड़ी चुनौती हो सकती थी, लेकिन जनता-जनार्दन के आशीर्वाद, विश्वास, समर्थन और सहयोग से ऐसी तमाम तरह की चुनौतियों पर विजय पाने में हम कामयाब हो रहे हैं। हमने प्रदेश में सुशासन की स्थापना का संकल्प लिया है। इसके लिए हमारी पहली प्राथमिकता जीर्ण-शीर्ण हो चुके प्रदेश के वित्तीय ढांचे को फिर से मजबूत करने की है। पिछली सरकार से पहले प्रदेश में 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। हमारी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ी मेहनत के साथ एक सफल और परिणाममूलक वित्तीय तंत्र राज्य में स्थापित किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में ही उस तंत्र को चौपट कर दिया। हमारे पास यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार का मार्गदर्शन और सहयोग है। हम फिर से कुशल वित्तीय प्रबंधन की स्थापना करेंगे। शीघ्र ही राज्य का खजाना भरा हुआ होगा, शीघ्र ही राज्य की आर्थिक समृद्धि लौट आएगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य देश के सामने रखा है। उन्होंने भारत को दुनिया की तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने का लक्ष्य भी देश के सामने रखा है। देश इन लक्ष्यों को जरूर हासिल करेगा, इसमें छत्तीसगढ़ राज्य की भी महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। विकसित भारत के निर्माण के लिए हमारी सरकार ने विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण का संकल्प लिया है। इस दिशा में काम शुरू हो चुका है। केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक पहुंचाने के लिए हम युद्ध-स्तर पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने की गारंटियां दी हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नीति के अनुरूप उन्होंने सभी वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए कार्यक्रम और योजनाएं लागू करने की गारंटी दी

है। हमारी सरकार मोदी जी की हर गारंटी को पूरा करने के लिए तत्परता के साथ और त्वरित गति से निर्णय ले रही है। (मेजों की थपथपाहट) हमारे दूसरे अनुपूरक बजट का उद्देश्य मोदी जी के गारंटियों के क्रियान्वयन की शुरुआत करना था। अब यह तीसरा अनुपूरक बजट शुरू हो चुके काम को आगे बढ़ाने तथा गति देने के लिये प्रस्तुत किया गया था। इसी सत्र में वर्ष 2024-25 के लिये हमारी सरकार पहला मुख्य बजट भी प्रस्तुत करेगी जैसा कि हमारे वित्तमंत्री जी ने संकेत दिया है कि यह बजट अनेक मायनों में ऐतिहासिक बजट होगा। प्रधानमंत्री जी का फोकस किसानों, महिलाओं, गरीबों और युवाओं पर रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिये जो गारंटियां दी हैं उनका फोकस भी मुख्य रूप से इन्हीं वर्गों पर है। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिये सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करना, सामाजिक और भौतिक विकास में तेजी लाने के लिये अधोसंरचनाओं का निर्माण करना, शिक्षा-चिकित्सा, संस्कृति, संस्कार, रोजगार, व्यापार जैसे क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ काम करना मोदी जी की गारंटियों का लक्ष्य है। साथ ही यह हमारी सरकार के लिये मोदी जी का मार्गदर्शी संदेश भी है। मोदी जी की गारंटियों को पूरा करने के क्रम में शपथ ग्रहण के दूसरे ही दिन कैबिनेट की पहली ही बैठक में 18 लाख परिवारों के आवास के निर्माण के लिये हमारी सरकार ने स्वीकृति दे दी थी। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा में दूसरा अनुपूरक बजट प्रस्तुत कर आवासों के निर्माण के लिये 3799 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान पारित कराया गया था। इसी तरह मोदी जी की गारंटी के अनुरूप पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन, सुशासन दिवस 25 दिसम्बर, 2023 को राज्य के 12 लाख किसानों को 2 साल के बकाया धान के बोनस की राशि 3716 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है। (मेजों की थपथपाहट) इस तीसरे अनुपूरक अनुमान में कृषक उन्नति योजना के लिये 12,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मोदी जी की गारंटी को पूरा करते हुए हमने राज्य में 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की और इस साल प्रदेश में सर्वाधिक धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बनाया है। (मेजों की थपथपाहट) हमने इस साल 144.92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की है। इस साल 24 लाख 72,440 किसानों ने धान बेचा है। पिछले साल की तुलना में इस साल 37 लाख मीट्रिक टन धान ज्यादा उपार्जित किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) हमने न सिर्फ अब तक की सर्वाधिक मात्रा में धान की खरीदी की है बल्कि इस बार धान बेचने वाले किसानों की संख्या भी सर्वाधिक रही है। किसानों की मांग पर हमने धान खरीदी की अवधि में बढ़ोत्तरी भी की थी। अवधि बढ़ाने से 19000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए और वे भी अपना धान बेच पाये। चालू खरीफ विपणन वर्ष में प्रदेश में 130 लाख मीट्रिक टन धान के उपार्जन का अनुमान था लेकिन रिकॉर्ड खरीदी के चलते अनुमानित उपार्जन का आंकड़ा काफी पीछे छूट गया है। राज्य में कस्टम मीलिंग का काम भी तेजी से जारी है। उपार्जित धान 144.92 लाख टन में से 105.1 लाख टन धान के उठाव का डी.ओ. जारी किया जा चुका है जिसके विरुद्ध मिलर्स द्वारा 98.41 लाख टन धान का उठाव किया

जा चुका है। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, महिलाओं एवं बच्चों का पोषण सुनिश्चित करने, महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूती देने, लैंगिक और सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना शुरू कर दी गयी है यह योजना भी मोदी जी की गारंटियों में शामिल है। (मेजों की थपथपाहट) महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रदेश की प्रत्येक पात्र विवाहित महिला को 12,000 रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान की जायेगी। दूसरे अनुपूरक बजट में इसके लिये 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। (मेजों की थपथपाहट) योजना को कैबिनेट में स्वीकृति मिलने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा योजना की विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। यह योजना 01 मार्च 2024 से लागू की जायेगी। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 5 फरवरी, 2024 से ऑनलाईन व ऑफलाईन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ हो चुका है। कल 7 फरवरी तक इस तरह केवल 3 दिनों में ही 16 लाख 82,000 आवेदन भरे जा चुके हैं। (मेजों की थपथपाहट) स्पष्ट है कि इस योजना को लेकर महिलाओं में बहुत उत्साह है। उनका उत्साह और खुशी देखकर मुझे भी बहुत खुशी और संतुष्टि मिल रही है। दिनांक 22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुके हैं। भारत की सदियों की आशाएं पूरी हो गई हैं। भारत का सदियों का सपना पूरा हो गया है। रामलला प्रत्येक भारतीय की आत्मा में रचे-बसे हैं। जब अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव चल रहा था तब पूरा देश राम मय हो गया था। छत्तीसगढ़ से भगवान श्री राम का अटूट नाता है। वे हमारे भांजे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग भी अयोध्या जाकर श्री रामलला के दर्शन करना चाहते हैं। सभी लोग अयोध्या जाकर प्रभु श्री रामलला के दर्शन कर सकें, इसलिए छत्तीसगढ़ शासन ने श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत कर दी है। (मेजों की थपथपाहट) इस योजना के तहत हर साल हजारों यात्रियों को श्री रामलला दर्शन हेतु यात्रा पर ले जाया जायेगा। छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य है, जिसे प्रभु श्री राम के साथ-साथ शक्ति का भी आशीर्वाद प्राप्त है। यहां अनेक शक्ति पीठ हैं। ये शक्ति पीठ छत्तीसगढ़ के लोगों की श्रद्धा और आस्था का केन्द्र होने के साथ-साथ हमारी संस्कृति के भी केन्द्र हैं। राज्य शासन ने चार धाम परियोजना की तर्ज पर 5 शक्ति पीठों कुदरगढ़, चन्द्रपुर, रतनपुर, दंतेवाड़ा तथा डोंगरगढ़ को विकसित करने के लिए कार्ययोजना के निर्माण के लिए काम शुरू कर दिया है। (मेजों की थपथपाहट) भारतीय जनता पार्टी की हमारी पिछली सरकार ने राजिम के वैभव और कीर्ति में वृद्धि के लिए राजिम कुंभ के आयोजन की परंपरा शुरू की थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उस वैभव और कीर्ति को नष्ट कर दिया। हम राजिम को फिर से देश के मानचित्र पर महत्वपूर्ण तीर्थ के रूप में पहचान दिलायेंगे। राजिम कुंभ के आयोजन की परंपरा को हम फिर शुरू करेंगे। अब यह आयोजन और भी भव्यता के साथ किया जायेगा। (मेजों की थपथपाहट) मोदी जी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब संग्रहण पारिश्रमिक 4000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 प्रति मानक बोरा प्रदान करने का निर्णय लिया जा चुका है। (मेजों की थपथपाहट) कैबिनेट ने तेंदूपत्ता

संग्राहक सामाजिक सुरक्षा हेतु नवीन योजनाएं संचालित किये जाने का निर्णय लिया है। अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने अपने भ्रष्टाचारी हाथों से प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य का गला घोंटा है, उन्हें हम बख्शेंगे नहीं। (मेजों की थपथपाट) पी.एस.सी. की परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों से बड़ी मात्रा में शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। तब भी तत्कालीन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। भ्रष्टाचार की वजह से लाखों युवाओं के भविष्य पर अंधेरा छा गया था। युवाओं में भारी आक्रोश था। मोदी जी ने इन शिकायतों की जांच कराने की गारंटी दी थी। उनकी गारंटी के अनुरूप पी.एस.सी. घोटाले की जांच सी.बी.आई. से कराने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है। इस महाघोटाले में अपने भविष्य की बलि देने वाले बच्चों को हमने आश्वासन दिया था कि आपके साथ भी अन्याय की जांच कर आपको वाजिब हक दिलायेंगे। इस मामले में ई.ओ.डब्ल्यू. ने पी.एस.सी. के तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव पर धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार के मामले पर कल एफ.आई.आर. दर्ज कर ली है। (मेजों की थपथपाट) पी.एस.सी. की परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता हो, इसके लिए हमने इसे यू.पी.एस.सी. की तर्ज पर आयोजित करने का निर्णय लिया है। (मेजों की थपथपाट) अध्यक्ष महोदय, सुशासन बगैर पारदर्शिता संभव नहीं है। यह पारदर्शिता आती है ई-गवर्नेंस से। पिछली सरकार ने डिजिटल तकनीक को लागू करने की दिशा में कोई काम तो नहीं किया अपितु भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए खनिज के परिवहन और परमिट को मैनुअल पद्धति से जारी करने का आदेश पारित करा दिया। हमने प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए प्रदेश में खनिज के परिवहन और परमिट को पुनः ऑनलाइन कर दिया है। (मेजों की थपथपाट) नई व्यवस्था से व्यवसायी अब निर्भीक होकर पारदर्शी व्यवस्था में अब बेहतर तरीके से अपना कारोबार कर सकेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ के निर्माण के वादा को पूरा करने की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाते हुए 25 दिसंबर, 2023 को अटल जी की जयंती के अवसर पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल लांच कर दिया गया है। (मेजों की थपथपाट) इस पोर्टल के माध्यम से शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी और समीक्षा की जा सकेगी। राज्य शासन ने नवा रायपुर में मध्य भारत का यूनिवर्सल हब बनाने की दिशा में भी तैयारी शुरू कर दी है। इस यूनिवर्सल हब के जरिए लाखों की संख्या में रोजगार के नये अवसरों का निर्माण होगा। तीसरे अनुपूरक में केन्द्र शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया था। प्रधानमंत्री जनमन योजना, विशेष पिछड़ी जनजातियों को विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से संचालित है। इस योजना के तहत अनेक तरह की सुविधाओं एवं योजनाओं का लाभ इन समुदायों तक पहुंचाया जा रहा है। इस योजना के लिए भी तृतीय अनुपूरक में बजट पारित कराया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य, चिकित्सा, महिला सुरक्षा एवं महिला कल्याण, अधोसंरचना, युवा कल्याण, विद्युत जैसे विषयों के लिए भी तीसरे अनुपूरक में अनुमान प्रस्तुत किया गया था, जिसे सम्माननीय सदन ने पारित कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, दैनिक वेतन भोगी, अनियमित एवं संविदा कर्मचारियों के नियमितिकरण किए जाने के संबंध में भी मैं सम्माननीय सदन को

अवगत कराना चाहूंगा कि इस विषय पर विधिवत् नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है (मेजो की थपथपाहट) । राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत् समस्त संविदा कर्मचारियों को देय एकमुश्त संविदा वेतन में 27 प्रतिशत वृद्धि की गई है तथा दैनिक मासिक वेतन पर शासकीय विभागों में कार्य करने वाले अकुशल, अर्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल दर के कर्मचारियों को 4 हजार रूपए मासिक श्रम सम्मान राशि दिए जाने हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं (मेजो की थपथपाहट) । मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में कार्यरत् सभी कर्मचारियों की समस्याओं एवं मांगों की समीक्षात्मक प्रक्रिया प्रारंभ करने एवं मार्ग प्रशस्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना सहित भारत सरकार की अनेक योजनाओं एवं कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए सदन को बताया है कि हमारी सरकार किस तरह केन्द्र की योजनाओं में भी लगातार उपलब्धियां हासिल कर रही है। मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं कि प्रदेश में हमारी सरकार कानून का राज स्थापित करने के लिए संकल्पित है । हम छत्तीसगढ़ से माओवादी आतंकवाद को पूरी तरह से उन्मूलन के लिए कटिबद्ध हैं (मेजो की थपथपाहट) । हमारी सरकार नक्सल पीडित क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा स्थापित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर तेजी से बुनियादी सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करेगी । पिछली कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में मैदानी क्षेत्रों के शहरों और गांवों में भी कानून व्यवस्था का बुरा हाल था । आए दिन हत्या और लूटमार की घटनाएं होती रहती थीं । आम नागरिक सड़क पर चलते हुए भी डरते थे । नशाखोरी चरम पर थी, हमारी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए राज्य में फिर से भयमुक्त वातावरण का निर्माण किया है । पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सुशासन के बिना विकास संभव नहीं है । हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का भी हमारे लिए यही संदेश है । हम लोग इसे सुशासन कहते हैं, उसी का एक नाम रामराज भी है । छत्तीसगढ़ में भी रामराज का सपना शीघ्र साकार होगा । माननीय राज्यपाल महोदय को उनके अभिभाषण के लिए मैं पुनः धन्यवाद देते हुए सभी सम्माननीय सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद (मेजो की थपथपाहट) ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं समझता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में जितने संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं, उन पर एक साथ मत ले लिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर प्रस्तुत समस्त संशोधन स्वीकृत किये जाएं ।

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 09 फरवरी, 2024 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित ।

(05 बजकर 50 मिनट पर विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 09 फरवरी, 2024 (माघ 20, शक सम्वत् 1945) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा

सचिव

रायपुर (छत्तीसगढ़)

दिनांक : 08 फरवरी, 2024

छत्तीसगढ़ विधान सभा